

राजभाषा संबधी आदेशों का संकलन (वर्ष 2005 से वर्ष 2021 तक)

संकलन कार्य : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय, चेन्नै

सूचना : इस संकलन में प्रस्तुत सभी आदेश राजभाषा वेबसाइट (<https://rajbhasha.gov.in>) पर उपलब्ध हैं ।
इस संकलन में विषयवार संकलित किया गया है।

विषय-सूची	पत्र की तारीख	पृ सं
राजभाषा नीति		
1. 12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिन्दी का समुचित विकास		1
2. राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा-हिन्दी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में	29-01-2021	12
3. संवैधानिक, वैधकि एवं प्रशासनिक दायित्व	24-02-2012	15
4. राजभाषा नियमों का उल्लंघन	29-02-2016	18
5. समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें -शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता	29-02-2016	19
6. समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें -शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता	29-02-2016	20
7. संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों के पालन के संदर्भ में	09-08-2017	21
8. कार्यालय की परिभाषा	05-06-2014	24
प्रशिक्षण		
9. हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराने की फीस में वृद्धि के संबंध में	09-08-2007	25
10. हिन्दीतर राज्यों से मैट्रिक स्तर तक का हिन्दी का ज्ञान प्राप्त केन्द्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनिवार्यता के संबंध में	12-10-2007	26
11. केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों तथा केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी वर्ग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर कंप्यूटर पर हिन्दी टाइप लेखन / शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना	28-11-2008	28
12. केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों तथा केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर्स/डाटा एंट्री आपरेटर्स/ डाक सहायकों / कार्यालय सहायकों / दूर संचार सहायकों / कर सहायकों आदि के लिए कंप्यूटर पर हिन्दी टाइपलेखन / शब्द संसाधन का	03-12-2008	30

प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना		
13. छठे वित्तन आयोग की सिफारिशों के आलोक में वर्ग घ से वर्ध ग में आए कर्मिकों के लिए हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण देने के संबंध में	06-01-2010	33
14. केन्द्र सरकार के कर्मिकों को सरकारी काम हिन्दी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू किए जाने के बारे में	22-04-2015	34
15. 2015 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए	22-04-2008	36
16. 2025 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए	04-06-2015	39
17. केन्द्र सरकार के कर्मिकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जाना	18-07-2016	41
18. गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण	14-10-2016	43
19. गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण	28-03-2017	44
20. हिन्दी आशुलिपि पास करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के लिए न्यूनतम अंक	26-07-2017	46
21. वित्तीय वर्ष 2021-22 से केन्द्र सरकार के कर्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिन्दी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम पारंगत के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में । (पुरस्कार राशि की सूचना)	21-12-2020	48
22. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन -नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी भाषा , हिन्दी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि (latest orders)	29-07-2011	56

धारा 3(3)

23. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना	29-01-2016	63
24. सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश	17-09-2020	66

अनुवाद कार्य

25. अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक / मानदेय के संबंध में (शर्तों की सूचना)	11-11-2011	70
26. अनुवाद (अंग्रेजी से हिन्दी एवं हिन्दी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक / मानदेय में वृद्धि के संबंध में (latest rates)	15-5-2018	73
27. अनुवाद कार्य - प्रतिपृष्ठ अनुवाद की दर में अनुवाद, टंकण, पुनरीक्षण कार्य शामिल	24-07-2018	74
28. सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश	28-05-2018	76
29. सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिन्दी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश	26-09-2011	77

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

- | | | | |
|-----|--|------------|----|
| 30. | केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों में गठित हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों के विचारार्थ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैक-लिस्ट | 01-05-2011 | 82 |
| 31. | हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए परिचय पत्र, पार्किंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि जारी किए जाने के संबंध में । (आवश्यक नहीं की सूचना) | 07-09-2017 | 86 |

तिमाही प्रगति रिपोर्ट

- | | | | |
|-----|--|------------|----|
| 32. | तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक | 10.01.2019 | 87 |
| 33. | मंत्रालयों / विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे | 10-06-2014 | 88 |

जनसंपर्क स्थलों पर बोर्डों का प्रदर्शन

- | | | | |
|-----|---|-------------------|----|
| 34. | हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्ड , नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है । | 07/1
3-04-2011 | 90 |
| 35. | केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों द्वारा जनता द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले फार्म आदि तथा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग । | 20-06-2012 | 92 |

कोड / मैनुअल

- | | | | |
|-----|---|------------|-----|
| 36. | कोड/मैनुअल आदि द्विभाषी रूप (हिंदी व अंग्रेजी) में मुद्रित कराने के संबंध में | 02-04-2012 | 100 |
|-----|---|------------|-----|

विज्ञापन

- | | | | |
|-----|--|------------|-----|
| 37. | अंग्रेजी विज्ञापन के अंत में हिन्दी रूपांतर के संबंध में उल्लेख | 22-07-2014 | 101 |
| 38. | मंत्रालयों /विभागों / उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / बैंकों आदि द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जानेवाली राशि के संबंध में | 03-03-2016 | 102 |
| 39. | समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के संबंध में । | 18-05-2016 | 103 |
| 40. | मंत्रालयों / विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में | 30-06-2017 | 104 |

कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य

- | | | | |
|-----|--|------------|-----|
| 41. | राज्य की भाषा (राजभाषा) में कंप्यूटरों पर कार्य करना | 17-02-2012 | 108 |
|-----|--|------------|-----|

42. मंत्रालयों / विभागों की वेबसाइट द्विभाषी होने के संबंध में	09-08-2017	112
43. सभी कंप्यूटर यूनिकोड इनेबल्ड होना था वेबसाइट द्विभाषी होना अनिवार्य है	12-01-2022	115

हिन्दी दिवस / सप्ताह /पखवाड़ा का आयोजन

44. हिन्दी दिवस / सप्ताह / पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों / कर्मिकों की सहभागिता	01-09-2015	116
45. हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन (मार्गदर्शी सिद्धांत तथा आयोजन राशि के संबंध में सूचना)	26-02-2016	117

गृह पत्रिका

46. राजभाषा गृह पत्रिकाओं की गुणवत्ता व उच्च स्तर को बनाने के लिए सुझाव	21-01-2015	120
47. राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय	16-06-2016	122

हिन्दी कार्यशाला

48. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन (मार्गदर्शी सिद्धांत)	29-02-2016	124
49. Honorarium for Guest faculty (DOPT order)	23-09-2014	126
50. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन - मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण	16-06-2016	127

सरकारी कामकाज में हिन्दी में कार्य

51. सरकारी कामकाज में टिप्पण / आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में	14-09-2016	128
52. सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना (मूल पत्र)	16-02-1988	132

अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन

53. अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन - मार्गदर्शी सिद्धांत	6-03-1989	140
54. अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेखन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में	14-09-2016	143

मानदेय / प्रोत्साहन भत्ता

55. हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिन्दी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर नियुक्त अंशकालिक	04-04-2012	145
--	------------	-----

अनुदेशकों को देय मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन के संबंध में		
56. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देना	06-05-2014	147

राजभाषा गौरव एवं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजनाएं

57. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना - संकल्प एवं मार्गदर्शी सिद्धांत	25-03-2015	159
58. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना - आंशिक संशोधन	31-10-2016	175
59. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - संकल्प एवं मार्गदर्शी सिद्धांत	15-03-2015	178
60. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन	31-10-2016	181

हिन्दी पद

61. विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती में समस्या (भर्ती नियमों में संशोधन)	02/ 06-04-2009	184
62. राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जोकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है	15-11-2017	195
63. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की संवर्ग समीक्षा (Cadre Review)-भागीदार मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पदों की संख्या निर्धारित मानदंड के अनुसार होने संबंधी सूचना मंगाए जाने के संबंध (इस पत्र के साथ मानदंड संबंधी 22.07.2004 का पत्र संलग्न है)	07-01-2021	218

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

64. नराकास की बैठकों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश	29.02.2016	205
65. नराकास को दिए जानेवाले पुरस्कारों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 करना	14-07-2016	211
66. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होनेवाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में ।	19.06.2018	213
67. नराकासों की बैठक पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे	26.09.2018	214
68. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश	07.12.2018	215
69. बैंकों की नराकास में सदस्य कार्यालय के रूप में बीमा कंपनियों को शामिल किए जाने के संबंध में	26.07.2021	217

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

डॉ. सुमीत जैरथ

राजभाषा अर्थात् राज-काज की भाषा, अर्थात् सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India- Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के

दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (मांग)

Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात् पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से

प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – “आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।” कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6 प्रयोग (Usage)

‘यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं’ (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक

होता है की भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के

द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। **राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।** राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा क्रियान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण,

सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है **जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है।** अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

- (क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। **यहां कवि सोहन लाल द्विदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि**

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

नहीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है

मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों **आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Conditions)** हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास **पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions)** हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन

सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'; 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

सचिव
राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार



अ.शा.प. सं. : 14011/01/2021-रा.भा. (नीति)

दिनांक : 20 जनवरी, 2021

आदेश कक्ष,

विषय : राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा - हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में।

राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को और तीव्र करना है, एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करना है। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारी राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सदभावना पर आधारित है। इस संदर्भ में और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा "स्मृति विज्ञान" (Mnemonics) से प्रभावित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिए 12 "प्र" की रूपरेखा बनाई है जिसके स्तंभ हैं :

- प्रेरणा (Inspiration and Motivation)
- प्रोत्साहन (Encouragement)
- प्रेम (Love and affection)
- प्राइज़ अर्थात् पुरस्कार (Rewards)
- प्रशिक्षण (Training)
- प्रयोग (Usage)
- प्रचार (Advocacy)
- प्रसार (Transmission)
- प्रबंधन (Administration and Management)
- प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)
- प्रतिबद्धता (Commitment)
- प्रयास (Efforts)

हिंदी के संवर्धन के लिए अंतिम दो “प्र” प्रतिबद्धता और प्रयास पर विशेष बल देने की महती आवश्यकता है।

2. संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा - हिंदी को और अधिक सरल, सहज, सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए यह एक **आवश्यक परिस्थिति (Necessary Condition)** है। इस दिशा में और गति देने के लिए मंत्रालय / विभाग / सरकारी उपक्रम / राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, अध्यक्ष और महा प्रबंधक) की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थिति (**Sufficient Condition**) है।

3. अभी हाल में ही 02-05 नवम्बर 2020 को सम्पन्न केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (COLIC) की बैठक में यह निष्कर्ष निकल कर आया कि यदि शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी / उत्तरोत्तर ही नहीं अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करे, जिसके लिए राजभाषा नियम, 1976 का नियम 12 भी इंगित करता है, इससे उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय / विभाग को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाए और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (monitoring) करे, तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होगी। हमारी संसदीय राजभाषा समिति ने भी हमें इस दिशा में उपयुक्त सुझाव और दिशा निर्देश देने के लिए कहा है।

4. उपरोक्त के आलोक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय आपसे आग्रह करता है :

(क) हर माह में एक बार सचिव / अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/ विभाग/ संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/ प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

5. प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों" (Self Reliant India- Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो। यदि आप अपने विभाग / मंत्रालय में अपने अधिकारियों को "कंठस्थ" का प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक हैं तो हमें अपने तकनीकी दल द्वारा आपके यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला आयोजित करने में अपार हर्ष होगा।

जय राज शास्त्रा ! जय हिंद !

शुभेच्छु,
सुमीत जैरथ
20/01/2024
(डॉ. सुमीत जैरथ)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव एवं बैंकों/संस्थानों के अध्यक्ष

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2012

प्रेषक: ए.एन.पी.सिन्हा

सचिव

सेवा में,

सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार

महाशय,

इस पत्र के द्वारा मैं आपका ध्यान राजभाषा नीति के संवैधानिक, वैधिक एवं प्रशासनिक दायित्वों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिससे केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी का प्रभावी व्यवहार हो सके।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का न केवल अनुपालन किया जाए बल्कि इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त और प्रभावी व्यवस्था भी की जाए। तदनुसार आपके द्वारा निम्न कार्रवाई आवश्यक होगी:-

(क) सरकारी दस्तावेज एवं पत्राचार

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत बताए गए 14 प्रकार के दस्तावेज(अनुलग्नक-1) हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हो। साथ ही सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष, लिफाफों और लेखन सामग्री आदि पर शीर्षों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाए।
- रजिस्ट्रारों और सेवा-पुस्तिकाओं में विषय पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में लिखें जाएं और आवश्यक प्रविष्टियां भी हिंदी में दर्ज हों।
- हिंदी में प्राप्त या हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है। साथ ही "क" और "ख" क्षेत्र से राज्य सरकार एवं गैर सरकारी व्यक्तियों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में भिजवायें एवं लिफाफों पर पते भी हिंदी में लिखें।
- हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों को टिप्पणियाँ और प्रारूप को मूलरूप से हिंदी में लिखने का निदेश दिया जाए।

(ख) लक्ष्य, समीक्षा एवं निरीक्षण

- राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आपके मंत्रालय एवं अधीनस्थ/सम्बद्ध और स्वायत्त कार्यालयों द्वारा सघन प्रयास किए जाएं ।
- कार्यालय प्रमुख द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में हिंदी संवाद एवं हिंदी के प्रयोग की मद भी रखी जाए ।
- संगठन एवं प्रबंधन (ओ.एण्ड एम.) तथा प्रशासनिक/वित्तीय निरीक्षणों के समय निरीक्षण दल द्वारा राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा भी की जाए ।
- राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट सही आंकड़ों सहित प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर भिजवायें ।

(ग) प्रोत्साहन

- राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभावी उपयोग करें ।
- विभागीय पत्रिकाओं में अपने कार्यालयों से संबंधित विषयों पर गंभीर एवं शोधपरक लेख प्रकाशित करवाए जाएं ।
- शोधपत्र/प्रस्तुतियाँ/वक्तव्य यथासम्भव हिंदी में दिए जाएं । संगोष्ठी की कार्यवाही को पुस्तक के रूप में भी छपवाएं । वर्ष में कम से कम एक तकनीकी संगोष्ठी हिंदी में अवश्य हो ।
- अपने से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार/प्रोत्साहन योजनाएं बनाये । हालांकि राजभाषा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना एवं राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

(घ) वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा उदाहरण

- यदि वरिष्ठ अधिकारी फाइलों पर कम से कम छोटी-छोटी टिप्पणियाँ एवं पत्र हिंदी में लिखें तो अधीनस्थ कर्मिकों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी । उल्लेखनीय है कि फोनेटिक का प्रयोग कर, रोमन स्क्रिप्ट के माध्यम से, हिंदी का टंकण अत्यंत आसानी से स्वयं कर सकते हैं ।

(ड.) हिंदी आई टी टूल्स का प्रयोग

- कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य को सुगम बनाने एवं उसमें एकरूपता लाने के लिए हिंदी का यूनीकोड समर्थित फॉन्ट एवं इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड ही इस्तेमाल करें ।
- राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों यथा "लीला", "मंत्र राजभाषा", "श्रुतलेखन राजभाषा", "ई-महाशब्द कोश" आदि की जानकारी एवं अभ्यास हेतु सरकारी कर्मियों को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित किए जाने वाले "कम्प्यूटर पर हिंदी के आई.टी.टूल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम" में भेजें ।

(च) नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

- सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के प्रधान अपने-अपने नगर की नराकास के सदस्य बनें तथा इसकी बैठकों में सक्रिय भाग लें ।

(छ) हिंदी के पद

- हिंदी कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप हिंदी पदों का सृजन करें एवं अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों में भी राजभाषा संवर्ग बनवाएं ।

(ज) प्रशिक्षण

- हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण वर्ष 2015 तक पूरा किया जाना है । अतः सभी पात्र कर्मचारियों का रोस्टर अद्यतन करवाकर उन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामित करें एवं भेजें ।

3. मुझे यह आशा है कि राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त बिन्दुओं पर आपका सक्रिय सहयोग मिलेगा ।

(ए.एन.पी.सिन्हा)

सं. 12019/03/2016-रा.भा.(शिका.)/विविध-1

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग
चौथी मंजिल, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली

दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:-राजभाषा नियमों का उल्लंघन ।

वर्ष 2015 में प्राप्त सभी शिकायतों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से यह स्थिति सामने आई है कि प्रायः निम्नलिखित राजभाषा संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

1. हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में देना।
2. वेबसाइट द्विभाषी न होना।
3. हिंदी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देना।
4. राजभाषा द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों का प्राप्त न करना।
5. सरकारी कार्यालय के कार्यों में हिंदी की उपेक्षा।
6. बैंकों / बीमा कंपनियों के फार्म द्विभाषी न होना।

राजभाषा के नियमों को पालन सुनिश्चित करवाना प्रत्येक मंत्रालयों / विभागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है। अतः सभी से अनुरोध है कि रुचि लेकर हिंदी में कार्य नियमानुसार करवायें।



(गिरीश शंकर)
सचिव(राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी. विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 29 फरवरी, 2016

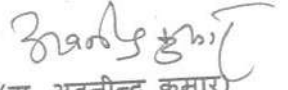
कार्यालय जापन

विषय : समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें - शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता ।

लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर निरंतर बल दिया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग से उपर्युक्त विषय पर का.जा. प्राप्त हुआ है जिसको इस आशय के साथ परिचालित किया जा रहा है कि का.जा. में अंतर्निहित अभिप्रेत के अनुरूप अपने प्रभाग/अनुभाग से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायतों पर संज्ञान लेकर उनका निवारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक-शिकायतों की जांच करके उनका निवारण किया जाए एवं तत्संबंधी कार्रवाई से दो माह की समयसीमा के भीतर नागरिक को अवगत कराया जाए और यदि शिकायत का निवारण उक्त अवधि के दौरान नहीं हो पाता है तो उसे अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया जाए।

इसके अतिरिक्त पीजी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को अद्यतन रखा जाए ताकि उपर्युक्त विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को अवगत कराया जा सके।


(डा. अवनीन्द्र कुमार)
परामर्शदाता (शिका.)

संलग्नक : यथोपरि
सेवा में,

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी)
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
3. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4. सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
5. निदेशक (प्रशासन/बजट/सेवा)
6. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी)
7. उप-सचिव (प्रशिक्षण)
8. उप-सचिव (अनुसंधान/शिकायत)
9. संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

क्र. सं. १४ (आ)
क्र. सं. ११ (आ)
म. क्र. ११०१९/४/२०१५-लोक. शि. मी।

१६७७९/१६८८५/५६
१७/२/२०१६
(३)

सं. ५
निवेशक (पू.)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(लोक शिकायत प्रभाग)

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली ; ११०००१

दिनांक : ११ फरवरी, २०१६

कार्यालय जापन

विषय: समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें - शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता ।

एक कारगर शिकायत निवारण तंत्र सरकार की प्राथमिकता है । यह सरकार का दायित्व है कि प्रशासन को और अधिक अनुक्रियाशील बनाएं तथा लोक शिकायतों पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करें ।

२. अतः यह दोहराया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखने के लिए समाचार-पत्रों के शिकायत कॉलम की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से शिकायत का निवारण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए । नागरिक को दो माह की समय-सीमा के अंदर शिकायत के निवारण हेतु की गई कार्रवाई के बारे में अविलम्ब सूचित किया जाना चाहिए । जहां शिकायत का निवारण करने में अधिक समय लगने की संभावना हो तो नागरिक को उठाए गए कदमों के बारे में उल्लेख करते हुए एक अंतरिम जवाब भेजा जाना चाहिए तथा यह आश्वासन देना चाहिए कि इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

३. उपर्युक्त के अतिरिक्त आगे यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग के निदेशक, लोक शिकायत के नाम भी "pgportal.gov.in" पर अद्यतन रखा जाए ।

सचिव राजस्थान



एल.कुमार

(स्मिता कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सचिव

मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)

६६४/१६.१२.१६
२३.२.१६

उप-सचिव (आ.स.)

५१७२६/१६/१२
२३/२/१६

20012/10/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

(6)

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01

दिनांक : 9 अगस्त, 2017

कार्यालय जापन

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेशों के पालन के संदर्भ में।

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31.03.2017 को जारी किए गए थे। समिति ने संस्तुति सं 7 में उल्लेख किया है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 जिसके अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाना अनिवार्य है, का उल्लंघन किया जा रहा है। समिति ने संस्तुति सं 8 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के भी क्षीण अनुपालन का मुद्दा उठाया है। प्रायः देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों में अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता दी जाती है, जो संविधान में निहित भावना के प्रतिकूल है।

2. समिति ने संस्तुति सं० 79 में राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किए जाने पर भी बल दिया है।

3. उक्त सभी संस्तुतियां संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और आम आदमी से सबल संपर्क की स्थापना कि दृष्टि से की गई हैं तथा इन संस्तुतियों को माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार करके अनुपालन के आदेश भी दिये हैं। अतः केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में उक्त संस्तुतियों का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक - संस्तुति सं 7,8,79



(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

	पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	
6	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग/मंत्रालय आदि हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषयों के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं। हिंदी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7	सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8	सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9	हिंदी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। "क" एवं "ख" क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग" क्षेत्र में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिंदी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
10	कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात् उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13	प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।	
77	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिव्स' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
78	सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए, विशेषकर कंप्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिंदी में ही किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
79	राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
80	एअर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
81	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
82	भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
83	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कर्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
84	मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय-बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
85	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

सं0-13035/01/2013-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वायत्त निकायों के संबंध में दिनांक 22.7.2004 के का.ज्ञा.सं.13035/3/1995-रा.भा.(नीति एवं समन्वय) का लागू होना ।

अधोहस्ताक्षरी को स्वायत्त निकायों में हिंदी पदों के सृजन के मानदंडों के संबंध में इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 30.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/2012-एबीसीडी का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है ।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कार्यालयों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

- i अतः सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
- ii केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय;
- iii केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय

3. इसलिए उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग निर्णय करे कि उन्हें केन्द्र सरकार के कार्यालयों में शामिल किया जाय अथवा नहीं ।

हस्ता.

(भोपाल सिंह)

निदेशक(नीति)

सेवा में,

उप सचिव

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,

इलेक्ट्रॉनिक निकेतन,

6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. राजभाषा विभाग के एन.आई.सी. अनुभाग से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

10 21034/35/2007-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

16 AUG 2007

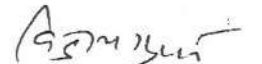
लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा कराने की फीस में वृद्धि के संबंध में ।

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते तथा अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं के संवीक्षा शुल्क में वृद्धि किए जाने का मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है । अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस शुल्क को रु. 5/- से बढ़ाकर रु. 50/- कर दिया जाए । यह फीस उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को देय रु. 50/- के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दी जाएगी जो कि संवीक्षा करवाने के लिए आवेदन-पत्र के साथ भेजा जाना होगा ।

2. उपर्युक्त वृद्धि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।
3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त-॥, गृह मंत्रालय की टिप्पणी संख्या एफ-900/07/ए.एस.एण्ड एफ.ए.(एच), दिनांक 29 जून, 2007 के तहत दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है ।


(विजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि ।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को उनकी फाईल सं. 15/65/2007- उप निदेशक (परीक्षा) पर प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव के संबंध में ।
3. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली ।
4. सभी संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
5. सभी सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
6. वित्त-॥ अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी के संदर्भ में ।
7. गार्ड फाइल ।
8. अतिरिक्त प्रतियां 100 ।

सं० 21034/47/2007- रा०भा० (प्रशि०)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली; दिनांक 10 अक्टूबर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

12 OCT 2007

विषय:- हिंदीतर राज्यों से मैट्रिक स्तर तक का हिंदी का ज्ञान प्राप्त केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनिवार्यता के संबंध में ।

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों से मैट्रिक स्तर तक हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में पढ़ी है, उनके लिए प्राज्ञ का प्रशिक्षण अनिवार्य है अथवा नहीं, इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कार्यालयों आदि से समय-समय पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं । इस विषय में विचार-विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं० 14034/36/2001-रा.भा.(प्रशि०) तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरणों से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है । अतः स्थिति को स्पष्ट करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 में दी गयी है जो कि स्वतः स्पष्ट और मान्य है ।

(ख) तथापि पूर्व में जारी आदेशों/स्पष्टीकरणों से उत्पन्न असमंजसता को समाप्त करने के लिए पुनः स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक स्तर तक हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है परन्तु हिंदी में उत्तीर्ण होने हेतु संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें हिंदी के प्रवीण स्तर का ज्ञान प्राप्त है, परन्तु प्राज्ञ स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं है । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा तथा उन्हें प्राज्ञ पाठ्यक्रम में तभी दाखिला दिया जा सकता है, जबकि पात्रता के अनुसार उनके लिए प्राज्ञ का पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम हो । प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को इस विभाग के दिनांक 02.09.1976 के का.ज्ञा.सं.12014/2/76- रा.भा.(डी) तथा दिनांक 14.02.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/1/78 -रा.भा. (डी) के अनुसार वैयक्तिक वेतन देय होगा और वे दिनांक 14.05.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15/1/69-एच-1 एवं दिनांक 29.10.1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा.भा. (घ) में निहित शर्तें पूरी करने पर क्रमशः नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार के भी पात्र होंगे ।

.....2/-

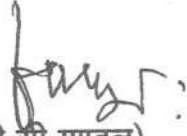
(ग) केंद्रीय सरकार के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदीतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षाबोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक स्तर तक अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी द्वितीय अथवा तृतीय अथवा किसी अन्य भाषा के साथ संयुक्त विषय के रूप में हिंदी में निर्धारित उत्तीर्णांक लेकर उत्तीर्ण की है, उनके संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्हें हिंदी के प्राज्ञ स्तर का अथवा राजभाषा के नियमानुसार हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं होगा।

2. इसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 10 (1) (ख) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करता है कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए हिंदी के प्रवीण अथवा प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य नहीं होगा।

3. यह आदेश केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ एवं संबंधित कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/निकायों इत्यादि के उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हैं, भले ही वे दिनांक 30.05.1988 से पूर्व भर्ती हुए हों।

4. कृपया इसे सभी के ध्यान में लाया जाए।

5. अंग्रेजी रूपांतर अलग से जारी किया जा रहा है।


(बी.सी.मण्डल)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाएं)।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डैस्क।
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
12. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव।
13. अतिरिक्त प्रतियां (100)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

3 DEC 2008

लोकनायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली 110003

दिनांक 28 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी वर्ग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब सभी वर्ग के अधिकारियों द्वारा अधिकांश शासकीय कार्य अपने स्तर पर कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इस संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों को क्या केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए?

2. कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सभी वर्ग के अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन की प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है। किंतु, ये अधिकारी प्रशिक्षण के उपरान्त हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

3. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28.08.2008 दिप्पणी सं.1530/1530/AS&FA (H) द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

(विजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव(प्रशिक्षण)

जारी...2/-

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/ डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी0 जी0 ओ0 कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल संख्या- 22011/173/2008/केहिप्रसं/अ.वि(टं/आ) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना ।
6. एकीकृत वित्त प्रभाग (गृह मंत्रालय) को उनकी दिनांक 28.08.2008 की टिप्पणी संख्या- 1530/AS& FA[HI] के संदर्भ में।
7. उप संपादक, पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
8. तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित ।
9. अतिरिक्त प्रतियों (39)।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

....

3 DEC 2008

लोकनायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली 110003

दिनांक 28 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर्स/डाटा एंट्री आपरेटर्स/डाक सहायकों/कार्यालय सहायकों/दूर संचार सहायकों/कर सहायकों आदि के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/ शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना।

इस विभाग के दिनांक 10.08.1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/4/74-हिंदी-2/रा.भा.(डी) तथा दिनांक 10.01.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12016/2/78-रा.भा.(डी), के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर भर्ती किया जा सकता है और स्थान रिक्त होने पर उन्हें कक्षाओं में दाखिला दिया जा सकता है, और सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और हिंदी अनुवादकों को हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर अवर श्रेणी लिपिकों की भांति विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि "सहायकों" और "उच्च श्रेणी लिपिकों" के पदों में ग्रुप 'ग' के वे सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे जो दूसरे कार्यालयों में उनसे मिलता जुलता कार्य करते हों, न कि पर्यवेक्षण कार्य और जिनके भिन्न पदनाम हैं, जैसे— लेखा परीक्षा विभाग में प्रवर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक आदि।

2. केंद्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब अधिकांश शासकीय कार्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। कंप्यूटराइजेशन के बाद कार्य एवं प्रकृति में आए आमूल-मूल परिवर्तन के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कई विभागों/कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में अवर श्रेणी लिपिक और इसके समतुल्य पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना, पदनाम में परिवर्तन किया गया है जैसे—

- i डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि !
- ii रेल डाक सेवा में छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि !
- iii दूर संचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि !
- iv आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायक आदि एवं
- v विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स/डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आदि।

जासी..2/-

3. विभिन्न मंत्रालयों एवं कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि जिन पदों को अपग्रेड कर अथवा उनकी स्थिति को बदले बिना पदनाम में परिवर्तन किया गया है, उन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, अथवा नहीं? यह भी स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि इन कर्मचारियों के लिए यदि हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य है तो क्या प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा पास करने पर ये कर्मचारी भी विभिन्न सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार हैं अथवा नहीं ?

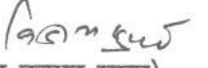
4. कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना शासकीय कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः ग्रुप 'ग' के निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा:-

- (क) डाक विभाग में डाक सहायक एवं कार्यालय सहायक आदि !
- (ख) रेल डाक सेवा में छंटाई सहायक/कार्यालय सहायक आदि !
- (ग) दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायक आदि !
- (घ) आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायक आदि तथा
- (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटाएंट्री ऑपरेटर !

5. इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी तरह /इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कर्मचारी भी इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में निहित प्रावधानों और शर्तों के अधीन सभी वित्तीय लाभ पाने के हकदार होंगे जैसे-वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार तथा एकमुश्त पुरस्कार आदि।

6. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

7. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28.08.2008 की टिप्पणी सं.1530/AS& FA[H] पर प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है ।


(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव(प्रशिक्षण)

सेवा में

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- 2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
- 5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

जारी...3/-

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/ डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी0 जी0 ओ0 कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल संख्या- 22011/173/2008/केहिप्रसं/अ.वि(टं/आ) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना ।
6. एकीकृत वित्त प्रभाग (गृह मंत्रालय) को उनकी दिनांक 28.08.2008 की टिप्पणी संख्या- 1530/ AS& FA[H] के संदर्भ में।
7. उप संपादक, पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
8. तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित ।
9. अतिरिक्त प्रतियां (30)।

सं० 14034/30/2009-रा०भा० (प्रशि०)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 2010

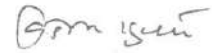
कार्यालय जापन

विषय:- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कर्मिकों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के संबंध में।

छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 2.2.9 के अनुसार वर्ग "घ" कर्मिकों को वर्ग "ग" वेतन वर्ग में शामिल कर लिया गया है। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" कर्मिकों के लिए हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः विभाग में इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए।

2. प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कर्मिक अग्रिम वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे।

3. ये आदेश केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों/बैंकों/ निगमों/ निकायों आदि के सभी कर्मिकों पर लागू होंगे तथा कार्यालय जापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।



(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशि०)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय जापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाएं।)
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डेस्क/अनुभाग।
10. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
11. अतिरिक्त प्रतियां - (100)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 22 अप्रैल, 2015

कार्यालय जापन

विषय:- केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम "पारंगत" लागू किए जाने के बारे में ।

संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन के सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त: निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित पाठ्यक्रम 'पारंगत' लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

2. यह पाठ्यक्रम वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा । इसकी कक्षाएं कार्यालय समय में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी ।

3. **पात्रता:-**

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे ।

4. **पाठ्यक्रम की विषय वस्तु:**

I "पारंगत" पाठ्यक्रम मुख्यतः अभ्यास आधारित होगा जिसमें कुल प्रशिक्षण समय का 80 प्रतिशत समय अभ्यास के लिए एवं 20 प्रतिशत समय सैद्धांतिक पाठ्यक्रम चर्चा के लिए निर्धारित होगा ।

II पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित पाठ होंगे -:

1. प्रशासन 2. वित्त 3. बैंकिंग 4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
5. पारिभाषिक शब्दावली ।

5. यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलाया जाएगा ।

- i. प्रथम व्यवस्था में यह कार्यक्रम गहन रूप से 20 कार्यदिवसों (160 घंटे) में पूरा होगा ।
- ii. द्वितीय व्यवस्था में इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 1 घंटा अथवा एकांतर दिवसों में 1.5 घंटे की कक्षाएं होगी । इस व्यवस्था में यह पाठ्यक्रम 5 माह में पूरा होगा ।

पाठ्यक्रम संबंधी कैलेंडर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा ।

6. परीक्षा:

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत आधार पर परीक्षा ली जाएगी ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त निकायों/उद्घमों/अभिकरणों/निगमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाएं ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
8. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. सभी संघराज्य क्षेत्र ।
10. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क ।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. सचिव (राजभाषा) जी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
13. संयुक्त सचिव (राजभाषा) जी के निजी सचिव ।
14. अतिरिक्त प्रतियां (20)

(भारत के राजपत्र, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल, 2008

संकल्प

सं. 21034/18/2008-रा.भा. (प्रशि.) संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा0भा0 (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा-5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प सं. 14034/17/2005-रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 16 नवंबर, 2005 के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

2. उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2015 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

पि विवल्सला जी कुट्टी

(पी.वी.वल्सला जी. कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पि विवल्सला जी कुट्टी

(पी.वी.वल्सला जी. कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

.....2/-

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. भारत का निर्वाचन आयोग ।
4. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
9. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
13. निदेशक (जनसम्पर्क), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
14. संसद का पुस्तकालय (15 अतिरिक्त प्रतियाँ) ।
- ✓ 15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक ।
16. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग (5 प्रतियाँ) ।
17. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।
18. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड नई दिल्ली ।
19. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
20. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
21. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
22. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम), 10788-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई, दिल्ली-110055 ।
23. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 18वां तल, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, आचार्य जे.सी.बोस रोड, कोलकता-700020 ।
24. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तीसरा माला, कामर्स हाउस, बेलार्ड एस्टेट, करीम भाई रोड, मुंबई-400001.
25. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नं. 302, तीसरा तल, सी.जी.ओ.भवन, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 ।
26. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, 5वां तल, "डी विंग", कोरमंगला, बैंगलूर- 560034 ।
27. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, 6/3, चितौड़ काम्पलैक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011

.....3 /-

28. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभ विभाग, " विल्लनशेरिल भवन", एम जी रोड, पेरुमानूर, कोचीन.682015
29. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभ पूर्व सरणिया रोड, पोस्ट-शिलपुखरी, चांदमारी, गुवाहाटी-781003 ।
30. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभ ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23
31. अतिरिक्त प्रतियां (25) ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 4 जून 2015

संकल्प

सं0 21034/8/2015-राभा(प्रशि)- संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा-संशोधित, 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-राभा (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2008 के संकल्प संख्या 21034/18/2008-राभा(प्रशि) के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2015 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

2. उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे यह अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने सबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
5. बैंकिंग प्रभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
8. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
10. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
12. नीति आयोग, नई दिल्ली।
13. निदेशक (जनसंपर्क), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. संसद का पुस्तकालय, नई दिल्ली।
15. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग तथा एकक।
16. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
17. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
18. सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
19. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स वाई-68, सरोजनीनगर, नई दिल्ली।
20. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र, (दिल्ली नगर निगम) 1088-89, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055
21. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 18 वां तल, निजाम पैलेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020
22. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सदन, कमरा नं० 601-ए, सेक्टर-10, छटा तल, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई-400614
23. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं० 302, तीसरा तल, सी.जी.ओ.काम्पलैक्स, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद 201001
24. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सदन, 5वां तल, डी विंग, कोरमंगला, बेंगलूरु-560034
25. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कमरा नं० 206, निर्माण सदन, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
26. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय भवन, ब्लाक सी-1, सातवां तल, सेस पी.ओ., कोचीन-682037
27. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, राजगढ़ रोड, वाई लेन नं० 1, पोस्ट-शिलपुखरी, गुवाहाटी-781003
28. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
29. अतिरिक्त प्रति- 25

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

बी विंग, चौथा तल,
एनडीसीसी-2 भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001 दिनांक-18 जुलाई, 2016

कार्यालय जापन

विषय : केंद्र सरकार के कर्मिकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में दिया जाना ।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा इस वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित है ।

2. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अन्य के साथ-साथ यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में सभी कर्मिकों को हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए । वर्तमान में यह देखा जाता है कि हिंदी प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता के बावजूद कर्मिकों को प्रशिक्षण अंग्रेजी में दिया जा रहा है जिसके कारण वे सरकारी काम-काज हिंदी में नहीं कर पाते हैं । कर्मचारियों तथा अधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण हिंदी में दिए जाने से वे मूल रूप से हिन्दी में काम करने में सक्षम हो सकेंगे ।

3. केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से हिंदी माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 'क' क्षेत्र में 70%, 'ख' क्षेत्र में 60% और 'ग' क्षेत्र में 30% निर्धारित किया गया है ।

4. केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण केंद्रों से कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित तिमाही रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में राजभाषा विभाग को तिमाही समाप्त होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन भेजी जाए । यह प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

1. प्रशिक्षण केंद्र का नाम2. राज्य				
3. नियंत्रक मंत्रालय/कार्यालय.....				
प्रशिक्षण की कुल अवधि (सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल अवधि)	(प्रशिक्षण की अवधि घंटों में)			लक्ष्य: 'क' क्षेत्र 70% 'ख' क्षेत्र 60% 'ग' क्षेत्र 30%.
	हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिली जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण	हिन्दी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिशतता (लक्ष्य के आधार पर)
क	ख	ग	घ	ङ
(ङ = $\frac{\text{ख} \div \text{क} \times 100}{}$)				

5. सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, उपक्रमों, बोर्डों, संस्थानों आदि के मुख्यालयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।


(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (का.)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग कृपया अपने सभी अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्था/केंद्र सरकार की बीमा कंपनियों आदि की प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रेषित करें।
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
4. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(NIC), राजभाषा विभाग कृपया इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।


(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक:- 14 अक्टूबर, 2016.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के नाम पर महंगे शिविरों व कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं तथा विज्ञापन के माध्यम से धन अर्जित कर रही हैं । इस विषय पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को निःशुल्क विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं (www.ctb.rajbhasha.gov.in और www.chti.rajbhasha.gov.in)। राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार सभी कार्यालय/बैंक/उपक्रम इत्यादि अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं । राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा (www.rajbhasha.gov.in) उपलब्ध है। अतः राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है ।

ऐसी स्थिति में किसी भी गैर-सरकारी संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले तथा कथित प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर व कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजभाषा के प्रचार के नाम पर भाग लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सभी विभागाध्यक्ष कृपया इस विषय पर जिम्मेदारी समझते हुए समुचित कदम उठाएं।


(बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी. विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 28 मार्च, 2017

कार्यालय जापन

विषय: गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

राजभाषा विभाग में प्राप्त अनेक शिकायतों में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों में केंद्र सरकार के अधिकारियों को नामित न किए जाने संबंधी इस विभाग के दिनांक 14/10/2016 के कार्यालय जापन सं.12019/04/2016-रा.भा.(शिका.)/अन्य शिका.4 पर चिंता व आपत्ति व्यक्त की गई है ।

राजभाषा विभाग की स्थापना संघ सरकार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए की गई है। अतः विभाग का ध्येय एवं मूल भावना यही रही है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में अंतर्निहित राजभाषा हिंदी की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जाए । इस प्रयोजनार्थ किए जा रहे विविध प्रयासों यथा, केंद्र सरकार के कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों आदि द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित किए जाना, हिंदी प्रशिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था होना आदि के साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा प्रशिक्षण का कार्य भी निःशुल्क एवं व्यापक स्तर पर नियमित रूप से किया जा रहा है । राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं - तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उडिया, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती, एवं बोडो के माध्यम से सरकारी काम-काज के लिये अनिवार्य हिन्दी का प्रशिक्षण देने की सुविधा <http://lilappp.rb-aai.in> पर उपलब्ध है । भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किये जा रहे हैं ।

केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि राजभाषा विभाग द्वारा गठित नराकास मंच व अपने स्तर पर कर्मियों/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, वर्कशॉप आदि समय-समय पर आयोजित करते रहते हैं।

संदर्भित कार्यालय जापन (प्रति संलग्न) में स्पष्ट वर्णित है कि राजभाषा विभाग द्वारा किसी भी गैर-सरकारी संस्था को राजभाषा संबंधी सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है । उक्त व्यवस्था किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु की गई है ।


(मंजुला सक्सेना)
उप सचिव (शिका.)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (इस अनुरोध के साथ कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बीमा कंपनियों/बैंकों के संज्ञान में लाएं)

प्रतिलिपि:

1. राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन-॥ अनुभाग) कृपया सभी नराकासो को भेजें ।
2. राजभाषा विभाग (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें ।

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक:- 14 अक्टूबर, 2016.

कार्यालय जापन

18 OCT 2016

विषय: गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के नाम पर महंगे शिविरों व कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं तथा विज्ञापन के माध्यम से धन अर्जित कर रही हैं। इस विषय पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को निःशुल्क विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं (www.ctb.rajbhasha.gov.in और www.chti.rajbhasha.gov.in)। राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार सभी कार्यालय/बैंक/उपक्रम इत्यादि अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा (www.rajbhasha.gov.in) उपलब्ध है। अतः राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है।

ऐसी स्थिति में किसी भी गैर-सरकारी संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले तथा कथित प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर व कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजभाषा के प्रचार के नाम पर भाग लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सभी विभागाध्यक्ष कृपया इस विषय पर जिम्मेदारी समझते हुए समुचित कदम उठाएं।


(बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 जुलाई 2017

कार्यालय जापन

26 JUL 2017

विषय:- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन-वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 02 सितंबर 1976 के कार्यालय जापन संख्या 12014/2/76-राभा (घ) के पैरा 1(5) (क) (ख) के मौजूदा प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

(क) हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में अराजपत्रित कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपि की परीक्षा में राजपत्रित आशुलिपिकों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 75% या अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

लेकिन जिन कर्मचारियों ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा।

2. राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 02 सितंबर 1976 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
3. यह कार्यालय जापन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है।

(विजय कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय
6. भारत का निर्वाचन आयोग।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय
8. संघ लोक सेवा आयोग।
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग।
10. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
11. गृह मंत्रालय (मुख्यालय)/न्याय विभाग/जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।
12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट।
13. निदेशक (नीति/तकनीकी/कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
15. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
- ✓ 16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजभाषा विभाग।
17. गार्ड फाइल।
18. अतिरिक्त प्रतियां 25

(विजय कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष - 24361852

Tel - 24368158

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
सातवाँ तल, अन्तोदय भवन,
सी.जी.ओ.काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली.110003
दिनांक -

सेवा में,

उप निदेशक (मध्योत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर),
हिंदी शिक्षण योजना,
नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, गुवाहाटी।
उप निदेशक(टंकण/आशुलिपि), 2ए पृथ्वीराज रोड/आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
प्रभारी सहायक निदेशक के.हि.प्र. उप संस्थान
बैंगलुरु, सिकंदराबाद।

08 JAN 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कर्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने के लिए दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर सूचित करना है कि पारंगत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। राजभाषा विभाग का तत्संबंधी दिनांक 21 दिसंबर, 2020 का कार्यालय जापन सं. 21034/69/2008-रा.भा. (प्रशि.) इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इसे अपने क्षेत्राधीन सभी संबंधितों में परिचालित करें।

भवदीया,

Suman Lal
08.1.2021

(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक
को० प्रशि

संलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि : 1. सहायक निदेशक, (भाषा, टंकण/आशुलिपि) के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली।

2. सहायक निदेशक, श्री नरेंद्र कुमार प्रसाद (आशुलिपि/टंकण) - को इस निदेश के साथ कि राजभाषा विभाग के उक्त कार्यालय जापन की प्रति संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सं.21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय जापन

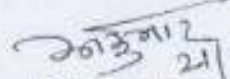
विषय -वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु.
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु.
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा ।

3. यह कार्यालय जापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।


(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

.....जारी

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
5. निदेशक(तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
6. अवर सचिव (ई.कार्ड), ई.समन्वय अनुभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 17.12.2020 की अं.वि.ति.सं.14(2)ई.समन्वय 2015 (1526920) के संदर्भ में ।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां ।

सं० 21034/34/2007- रा०भा० (प्रशि०)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 10.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिंशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

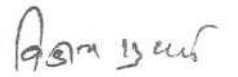
<u>परीक्षा</u>		<u>नकद पुरस्कार</u>
<u>हिंदी भाषा</u>		
क. <u>प्रबोध</u>		
1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.	800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.	400/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.	200/-
ख. <u>प्रवीण</u>		
1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.	1,200/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.	800/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.	400/-

.....2/-

<u>परीक्षा</u>	<u>नकद पुरस्कार</u>
ग. <u>प्राज्ञ</u>	
1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.1,200/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-

2. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3 यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।


(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं.18/6/2005-हिं.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं० 21034/34/2007- रा०भा० (प्रशि०)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

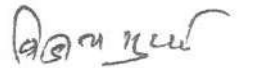
उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 14.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

	<u>परीक्षा</u>	<u>नकद पुरस्कार</u>
क.	<u>हिंदी टंकण</u>	
1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.1,200/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-
ख.	<u>हिंदी आशुलिपि</u>	
1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.1,200/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-

.....2/-

2. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।


(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं.18/6/2005-हिं.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं० 21034/34/2007- रा०भा० (प्रशि०)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन - एक मुश्त पुरस्कारों में वृद्धि

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, एकमुश्त पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

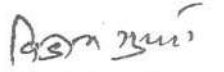
परीक्षा

एक मुश्त पुरस्कार

- | | | |
|-----|---|-----------|
| (1) | हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा | रु.1000/- |
| (2) | हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा | रु.1000/- |
| (3) | हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा | रु.1200/- |
| (4) | स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिंदी परीक्षाएं, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है। | रु.1200/- |
| (5) | केंद्रीय हिंदी निदेशालय की "हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम" परीक्षा | रु.1200/- |
| (6) | हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन परीक्षा | रु. 800/- |
| (7) | हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा | रु.1500/- |

.....2/-

2. एक मुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।
3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।


(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं. 18/6/2005-हिं.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं 21034/66/2010-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञापन

29 JUL 2011

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 16.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/34/2007-रा0भा0 (प्रशि0) में आंशिक संशोधन करते हुए नकद पुरस्कारों/ एकमुश्त पुरस्कारों की राशि को निम्न दरों से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:-

I	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क.	प्रबोध		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 200/-	₹ 400/-

ख.	प्रवीण		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 600/-

ग.	प्राज्ञ		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

II	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क.	हिंदी टंकण		
1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

ख.	हिंदी आशुलिपि		
1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

III	निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं	वर्तमान एकमुश्त पुरस्कार की राशि	संशोधित एकमुश्त पुरस्कार की राशि
1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	₹ 1200/-	₹ 2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	₹ 800/-	₹ 1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	₹ 1500/-	₹ 3000/-

टिप्पणी - जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

2. नकद पुरस्कारों एवं एकमुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय जापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.॥(ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

4. यह कार्यालय जापन जारी होने की तारीख से मान्य होगा।

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डैस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
6. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं. 21034/14/2006-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार को दिसम्बर 2005 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 04 सितम्बर 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/1/2001-रा.भा.(प्रशि0) का हवाला देते हुए, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय एकमुश्त पुरस्कार को **31 दिसम्बर, 2005 से आगे 31 दिसम्बर, 2008** तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है । बढ़ाई गई यह अवधि ४ क ४, ४ ख ४ एवं ४ स सभी तीनों क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगी । इस पुरस्कार की पात्रता के लिए शर्तें एवं दरें वही होंगी जो इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/3/76-रा.भा.(घ), दिनांक 21.05.1977; कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा.भा.(घ), दिनांक 29.10.1984 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिं.शि.यो. (मु.), दिनांक 16.02.1995 में दी गई हैं ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।
3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या- 7/16/2006-ई. III (ए), दिनांक 31.07.2006 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है ।
4. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।

6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली । उनकी दिनांक 21.08.2006 की अ.वि.टिप्पणी संख्या-102-लेखा परीक्षा (नियम) / 67-98 के संदर्भ में ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय, वित्त- II अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली । उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या- 52/वित्त- II /हिंदी/2006, दिनांक 05.05.2006 के संदर्भ में ।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डेस्क/अनुभाग
6. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
7. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।
8. गार्ड फाइल ।
9. अतिरिक्त प्रतियां - 50

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या-21034/62/2009-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.॥ भवन,

चौथा तल, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001.

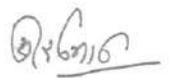
दिनांक : 22 अगस्त, 2013

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार को दिसम्बर, 2008 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के कार्यालय जापन संख्या-21034/14/2006-रा.भा.(प्रशि.) का हवाला देते हुए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय एकमुश्त पुरस्कार को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे 31 दिसम्बर, 2015 तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है। बढ़ाई गई यह अवधि "क", "ख" एवं "ग" सभी तीनों क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगी। इस पुरस्कार की पात्रता के लिए शर्तें एवं दरें वही होंगी जो इस विभाग के कार्यालय जापन संख्या-12013/3/76-रा.भा.(घ) दिनांक 21.05.1977, कार्यालय जापन संख्या-12011/5/83-रा.भा.(घ) दिनांक 29.10.1984, कार्यालय जापन संख्या-18/3/94-हि.शि.यो.(मु.) दिनांक 16.02.1995 एवं कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2010 रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.07.2011 में दी गई है।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।
3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या-175743/2011 दिनांक 14 मई, 2013 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है।
4. यह कार्यालय जापन सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए।


(सूरज भान)

उप सचिव, भारत सरकार

.....2/-

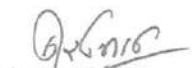
सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली । (दिनांक 04.06.2013 के यु.ओ.न. 861-स्टाफ हक (नियम) 5-2013 के संदर्भ में)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय, वित्त-II अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। उनकी डायरी सं0-CF84298/JS(Fin/Pes) दिनांक 16.05.2013.
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003.
6. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डैस्क/अनुभाग ।
7. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
8. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।
9. गार्ड फाइल ।
10. अतिरिक्त 50 प्रतियां ।

11. एन.आई.एफ. - अनुसूचित व निरक्षर विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।


(सूरज भाटनगर)

उप सचिव, भारत सरकार

फा.सं.1 4011/01/2016-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2016

कार्यालय जापन

विषय: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि के लिए सांविधिक अपेक्षा है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करें । परन्तु देखने में आता है कि इस अपेक्षा की ओर बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी उल्लिखित कागजात कई कार्यालयों द्वारा केवल अंग्रेजी में ही जारी किये जा रहे हैं । जबकि धारा 3(3) के अन्तर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञापित आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं ।

- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा । लेकिन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं ।
- परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ।

- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।
2. इसके साथ-साथ ही अपने मंत्रालय/विभाग के प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग (आर एंड आई) में काम करने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं कि धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में मंत्रालय/विभाग से जारी किए जाने वाले सभी पत्रादि द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) में जारी किए जाएं ।
 3. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में एक साथ जारी करें और जारी कराते समय यह ध्यान रखा जाये कि हिन्दी रूपान्तर, अंग्रेजी के ऊपर रहे ।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सचिव,
समस्त मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. मंत्रिमंडल सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के मंत्रालय/विभाग में हिंदी इकाई के प्रभारी अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र की प्रतियां अपने मंत्रालय/विभाग में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों में परिचालित करें ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
10. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

11. भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
13. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
14. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. निदेशक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम,वेस्ट ब्लॉक-7, नई दिल्ली ।
17. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली ।
18. समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी इसकी प्रतियां परिचालित करें ।
19. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।



अ.शा. पत्र सं 14013/01/2020-रा.भा. (नीति)

दिनांक : 17 सितंबर, 2020

आदरणीय सहोदय,

विषय : सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश।

हिंदी मास / पखवाड़े / दिवस के पुनीत अवसर पर मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से पुनः आपको और आपके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं असीम शुभकामनाएं देता हूँ।

2. अनेक महत्वपूर्ण मंचों एवं शीर्ष स्तर की बैठकों में बार-बार राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज में सरल, सुबोध और स्वाभाविक रूप में प्रयोग करने पर बल दिया जाता रहा है। इस संदर्भ में कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, जिसे राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 20017/02/2018-रा.भा. (नीति)- पार्ट 15 दिनांक 03.10.2018 द्वारा सभी मंत्रालयों / विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया था।

3. केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों को उल्लिखित करना उचित होगा -

मद सं. 14.5 - सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी का अंतर कम करें।

मद सं. 14.6 - दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करें।

मद सं. 14.7 - दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिंदी भाषा में जोड़ें।

मद सं. 14.9 - सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक है। कई बार अनुवाद कठिन भाषा में किया जाता है। इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए और अनुवाद की भाषा सरल सुनिश्चित करनी चाहिए।

मद सं. 14.12 - देश की भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है, उसके उपाय किए जाएं।

4. कामकाज की भाषा में अत्यंत क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसका मानसिक प्रतिरोध बढ़ता है। बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद कर प्रस्तुत किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है। अतः सरकारी कामकाज को हिंदी में मूल रूप से करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित करने की महती आवश्यकता है। मूल रूप से मसौदा तैयार करते समय उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाए जाएं ताकि हिंदी आम जन के लिए आसानी से समझ में आने वाली भाषा बन सके।

5. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना प्रासंगिक होगा :

(i) का.ज्ञा. सं II/13034/23/75- रा.भा. (ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है। जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है।

(ii) शासकीय पत्र सं 1/14013/04/99-रा.भा. (नीति) दिनांक 30.06.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक, पठनीय और बोधगम्य होनी चाहिए। इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे।

(iii) का. ज्ञा. सं. 1/14011/04/2010- रा. भा. (नीति-1) दिनांक
19.07.2010

इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए।

(iv) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक
26.09.2011

इस शासकीय पत्र में सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश दिए गए थे। सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रयोगकर्ता की हैसियत से, वे जिन शब्दों को हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे।

(v) शासकीय पत्र सं 1/14011/02/2011-रा.भा. (नीति-1) दिनांक
11.08.2016

इस शासकीय पत्र में केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदी की सरलता, सहजता, सुगमता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिंदी में कार्य करने और आम बोलचाल की भाषा में मूल रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित किया गया है।

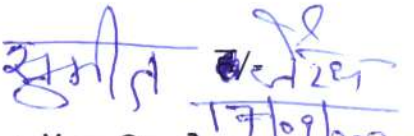
6. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब **अनुच्छेद 343** के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के **अनुच्छेद 351** में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि " संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए।

7. अंततः मैं आप से पुनः अनुरोध ही नहीं, आग्रह करूंगा कि सरल हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं जिससे आपके अधिकारी /कर्मचारी सहज हिंदी में मूल लेखन- टिप्पणियां, मसौदे, पत्राचार इत्यादि करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हों।

8. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि संविधान द्वारा राजभाषा संबंधी दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप सभी सरल हिंदी का उत्तरोत्तर ही नहीं, अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। इससे राष्ट्र के विकास की गति तेज होगी, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ आम जन को प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, नवीन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे पाएंगे।

जय राज शाखा ! जय हिंद !

शुभेच्छ,


(डॉ. सुमीत जैरथ) 11/09/2020

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

सं.13011/1/2009-रा.भा.(नी.स.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनाक्यक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक/मानदेय के संबंध में।

अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक देने के संबंध में राजभाषा विभाग के दिनांक 25.2.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं 13017/2/96 -रा0भा0 (नी0स0) तथा 21/26 जुलाई, 2010 के का.ज्ञा.सं.13017/1/2010-रा.भा.(नी.स.) का अधिक्रमण करते हुए ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना है तथा कई कार्य केवल हिंदी में ही किए जाने हैं। कई कार्यालयों में अनुवाद की समस्या के कारण इन आदेशों का अनुपालन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों, जिनमें अनुवादक के पद नहीं हैं या जिनमें अनुवाद कार्य की अधिकता की वजह से उपलब्ध अनुवादक अनुवाद कार्य पूरा नहीं कर पाते, वहां अनुवाद कार्य पारिश्रमिक के आधार पर करवाया जाए तथा पारिश्रमिक की दरें आकर्षक रखी जाएं। संहिताओं, नियम पुस्तकों, आदि के तकनीकी स्वरूप के अनुवाद कार्य सहित सभी प्रकार के अनुवाद कार्य की पारिश्रमिक की नई दरें 250/-रुपए प्रति हजार शब्द देय होगी।

2 पारिश्रमिक/मानदेय स्वीकृत करते हुए निम्न लिखित बातें ध्यान में रखी जाएं:-

- (क) अनुवाद कार्य सेवा निवृत्त या दूसरे कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से करवाया जा सकता है। इसके लिए उचित होगा कि प्रत्येक कार्यालय अपने यहां योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार रखें।

(Handwritten signature)
[Signature]

- (ख) अनुवाद कार्य इस बात को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाना चाहिए कि यह संबंधित व्यक्तियों की सामान्य सरकारी ड्यूटी तथा उत्तरदायित्वों के कुशलता पूर्वक निर्वहन में बाधकारी न हो।
- (ग) हिंदी से संबंधित पदाधिकारियों से पारिश्रमिक के आधार पर अनुवाद नहीं करवाया जाए।
- (घ) विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि अनुवाद करवाना आवश्यक था और वास्तव में उतने शब्दों का अनुवाद किया गया जिसके लिए पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा रहा है।
- (ङ) इस पारिश्रमिक/मानदेय स्वीकृत पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा अपने स्वीकृत बजट से किया जाएगा।
- (च) जो व्यक्ति पहले से ही हिंदी जानते हैं या जिन्होंने हिंदी की परीक्षा पास करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रयास यह किया जाए कि जो पत्र हिंदी में जाने हैं उनके मसौदे हिंदी जानने वाले अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप में हिंदी में ही तैयार करें। जहां ऐसा करने में कठिनाई हो या कोई पत्र, परिपत्र आदि हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना हो तभी अनुवाद का सहारा लिया जाए।
- (छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.7.1998 की का.जा.सं. 17011/3/97-स्था.(भत्ते) के अनुसार मानदेय की अधिकतम सीमा राशि 5000/-रु. प्रतिवर्ष है।

3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जहां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं व फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्य विधि साहित्य का अनुवाद किया जाता है, में अनुवाद कार्य में कार्यरत तथा ब्यूरो के बाहर के अनुवादकों जिनमें कार्यरत तथा सेवा-निवृत्त अनुवादक/अनुवाद अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा अनुवाद कार्य या अनुवाद प्रशिक्षण से संबद्ध अनुभवी सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्ति हो सकते हैं, के द्वारा करवाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर विभिन्न मंत्रालय / विभाग / कार्यालय भी सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त योग्य व्यक्तियों/गैर-सरकारी व्यक्तियों का पैनल बना कर उपरोक्त दर से पारिश्रमिक देकर उनसे अनुवाद कार्य करवा सकते हैं।

4. सेवानिवृत्त योग्य व्यक्तियों द्वारा अनुवाद कार्य कराने पर उनको देय राशि मानदेय न होकर पारिश्रमिक है अतः सेवानिवृत्त योग्य व्यक्तियों को अनुवाद कार्य के लिए दी जाने वाली राशि पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 17.7.1998 की मानदेय सीमा लागू नहीं होगी।

की
रूप में
॥

5. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।
6. यह कार्यालय ज्ञापन, गृह मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग (वित्त-II) के दिनांक 24.10.2011 की अ0वि0टि0सं0-36597-वित्त-II/2011 में दी सहमति से जारी किया जाता है ।

(एस.क.मल्होत्रा)
(एस.क.मल्होत्रा)

निदेशक (नीति), भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. संघ लोक सेवा आयोग ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई0पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
8. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
9. सरकारी उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
10. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारी/डेस्ट/अनुभाग/एकक ।
11. निदेशक (अनुसंधान) एवं का0 राजभाषा विभाग (5 अतिरिक्त प्रतियां) अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को भिजवाएं तथा इसे राजभाषा भारती में प्रकाशित करवाएं ।
12. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
13. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
14. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली ।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

(एस.क.मल्होत्रा)
(एस.क.मल्होत्रा)

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय जापन

विषय : अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/- रुपये प्रति हजार शब्द तय की गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है।

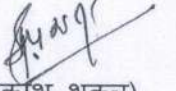
2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रु.300/- (रुपये तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है। यह दर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगी :-

- (i) रुपये 300/- प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी। यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे GFR-2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
- (ii) बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जायेगी।

3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी।

4. यह आदेश इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

5. इसे आंतरिक वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.सं.3423357/वित्त-2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-॥ बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 24 जुलाई, 2018

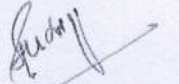
कार्यालय जापन

विषय : अनुवाद कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 15.05.2018 के समसंख्यक कार्यालय जापन (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए रु.300/- (रुपए तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की गई है।

2. अनुवाद की दरों में वृद्धि के संबंध में इस कार्यालय जापन के जारी होने के उपरांत अनेक मंत्रालयों/विभागों से पत्र के माध्यम से इस विभाग को अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि एक मानक पृष्ठ में शब्दों की संख्या स्पष्ट की जाए, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

3. उक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक मानक पृष्ठ में 300 शब्द गिने जाएं। रु.300/- प्रतिपृष्ठ अनुवाद की दर में अनुवाद, टंकण और पुनरीक्षण कार्य शामिल हैं।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)
फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि

सं.13034/2/2018/रा.भा./नीति

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 मई, 2018

कार्यालय जापन

विषय : अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/- रुपये प्रति हजार शब्द तय की गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है।

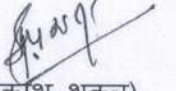
2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रु.300/- (रुपये तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है। यह दर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अधीन होगी :-

- (i) रुपये 300/- प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी। यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे GFR-2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
- (ii) बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जायेगी।

3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं.13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी।

4. यह आदेश इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

5. इसे आंतरिक वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.सं.3423357/वित्त-2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति)

फोन : 23438250

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि

सं.1/14011/01/2012-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

.....

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 28 मई, 2012.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति निर्देश ।

संघ के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग से समय-समय पर सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश जारी किए गए हैं । इस विषय पर तत्कालीन सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 1/14011/02/2011-रा.भा.(नीति-1), दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में निम्न पूर्व निर्देशों का उल्लेख किया गया है:--

- (क) कार्यालय ज्ञापन सं. II/13034/23/75-रा.भा.(ग), दिनांक 17.3.1976
- (ख) कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/1/88(ग), दिनांक 27.4.1988
- (ग) अ.शा. पत्र सं. I/14013/04/99-रा.भा.(नीति), दिनांक 30.6.1999
- (घ) कार्यालय ज्ञापन सं. I/14011/04/2010-रा.भा.(नीति-1), दिनांक 19.7.2010

2. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने हिंदी के ज्ञान के स्तर पर आधारित, आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर सकता है । तथापि ऐसे शब्दों की कोई मानक या निर्देशात्मक/उदाहरणार्थ सूची बनाना न तो अपेक्षित है और न ही संभव है । अतः यह महसूस किया गया है कि ऊपर लिखित चार निर्देशों के अतिरिक्त और कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी । मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि केवल ऊपर लिखित दिनांक 17.3.1976, 27.4.1988, 30.6.1999 और 19.7.2010 के चार संदर्भों में उल्लिखित मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाए ।



(रति राम)

अवर सचिव, भारत सरकार

1. सचिव, समस्त मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार ।
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110006.
3. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग ।



सं. I/14011/02/2011-रा.भा.(नीति-1)

दिनांक 26 सितम्बर, 2011

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग के लिए नीति-निर्देश ।

अनेक महत्वपूर्ण मंचों, जिनमें शीर्ष स्तर की बैठकें भी शामिल हैं, में बार-बार हिंदी के संघ की राजभाषा के रूप में व्यापक प्रसार और प्रयोग के लिए सरकारी कामकाज में बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है । माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई, 2011 को आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 30वीं बैठक में भी राजभाषा हिंदी के सरल स्वरूप को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया था । उक्त बैठक के क्रम में माननीय श्री जितेन्द्र सिंह, गृह राज्यमंत्री की अध्यक्षता में 8.9.2011 में आयोजित अंतर्मंत्रालयीय एवं अंतरविभागीय समन्वय और समीक्षा बैठक में भी अनेक अधिकारियों ने हिंदी भाषा के सरल रूप को अपनाने की बात कही थी । इस मत को व्यापक समर्थन मिला था ।

2. किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं—साहित्यिक और कामकाज की भाषा । कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा विशेष की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है, और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी ने भी अपने स्वरूप को बदलते समय के साथ खूब ढाला है । आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के विख्यात साहित्यकारों जैसे शेक्सपियर, विलियम थैकरे या मैथ्यू आर्नल्ड की शैली की अंग्रेजी नहीं लिखती है । अंग्रेजी भाषा में भी विभिन्न भाषाओं ने अपनी जगह बनाई है, तथा इसके कामकाजी स्वरूप में रोजमर्रा के शब्दों ने अपने लिए बखूबी जगह बनाई है । बदलते माहौल में, कामकाजी हिंदी के रूप को भी सरल तथा आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा । राजभाषा में कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से राजभाषा को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है । शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए भाषा को सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की मांग है ।

3. जब-जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न कर उसे अनुवाद की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो हिंदी का स्वरूप अधिक जटिल और कठिन हो जाता है । अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की शैली को बदलने की सख्त आवश्यकता है । अच्छे अनुवाद में भाव को समझकर वाक्य की संरचना करना जरूरी है न कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते हुए वाक्यों का निर्माण करने की । बोलचाल की भाषा में अनुवाद करने का यह अर्थ है कि उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी खुलकर प्रयोग में लाए जाएं । भाषा का विशुद्ध रूप साहित्य जगत के लिए है; भाषा का लोकप्रिय और मिश्रित रूप बोलचाल और कामकाज के लिए है ।

4. 14.9.2011 में हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह कहा कि 'सहज, सरल और बोलचाल की हिंदी ही समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में लोकप्रिय होगी और स्थायी रूप से अधिक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाएगी'। मंत्रिमंडल सचिव ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त मंत्रालयों में भेजे गए संदेश में सरल हिंदी के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा है कि 'कार्यालयों में हम टिप्पणियों तथा पत्रादि के मसौदों में, जहां तक हो सके, आसानी से समझ में आने लायक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बैठकों, चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को बढ़ावा देने से हिंदी का अधिकाधिक आधार और व्यापक एवं मजबूत होगा। अधिकारी स्वयं हिंदी को अपनाकर अपने मातहतों के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं'।

5. हिंदी के सरल रूप को अपनाने के लिए राजभाषा विभाग ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं जिन्हें संक्षेप में दोहराना उपयोगी होगा:

(i) कार्यालय जापन संख्या II/13034/23/75-रा.भा.(ग) दिनांक 17.3.1976

इस कार्यालय जापन में यह स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारी हिंदी कोई अलग किस्म की हिंदी नहीं है। यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है। जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि लिखने वाला कहना क्या चाहता है। इस जापन में यह सलाह भी दी गई थी कि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि हिंदी में लिखा तकनीकी शब्द कठिन लगे, तो 'ब्रेकेट' में अंग्रेजी पर्याय लिख देना चाहिए। आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम चलते हैं, उनका कठिन अनुवाद करने की बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा।

(ii) कार्यालय जापन संख्या 13017/1/88 (ग) दिनांक 27 अप्रैल, 1988

इस कार्यालय जापन में लिखा गया था कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 2.12.1987 की बैठक में भी यह विचार व्यक्त किया गया था हिंदी में किए गए अनुवाद सरल और स्वाभाविक भाषा में हों। अनुवाद की भाषा ऐसी हो जो आम व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए।

(iii) शासकीय पत्र संख्या 1/14013/04/99-रा.भा.(नीति) दिनांक 30.6.1999

इस शासकीय पत्र में यह कहा गया था कि अनुवाद की भाषा-शैली सहज, सरल, स्वाभाविक (नेचुरल), पठनीय और बोधगम्य (आसानी से समझ आने वाली) होनी चाहिए। इस पत्र के साथ सरल अनुवाद के उदाहरण भी दिए गए थे।

(iv) कार्यालय जापन सं. 1/14011/04/2010-रा.भा. (नीति-I) दिनांक 19.7.2010

इस कार्यालय जापन में कहा गया था कि अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं और हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखें। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के आम

इस्तेमाल में आने वाले शब्दों के कठिन हिंदी शब्द बनाने की बजाय उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए ।

6. वर्तमान समय में हिंदी पत्रिकाओं में हिंदी का नया और सरल रूप दिखाई दे रहा है । हिंदी का कुछ ऐसा ही रूप सरकारी कामकाज में अपनाए जाने पर इसका व्यापक प्रसार हो जाएगा । आपकी सूचना के लिए हिंदी पत्रिकाओं में लिखी जा रही हिंदी भाषा की आधुनिक शैली के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं:

- (i) 'इस प्रोजेक्ट का 'मकसद साफ़ तर्कों की अहमियत को लेकर अवेयरनेस फैलाना है और इसके अंतर्गत कैम्पस के आसपास का एक बड़ा एरिया आता है।
- (ii) 'कालेज में एक री-फारेस्टेशन अभियान है, जो रेगुलर चलता रहता है । इसका इस साल से एक और प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हर स्टूडेंट एक पेड़ लगाएगा।
- (iii) 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को जमा करने पर कैम्पस विशेष ध्यान देता है।
- (iv) 'रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल सिंगिंग और एविनयानिक्स जैसे किसी भी क्षेत्र में फायदे का कैरियर चुनिए'।
- (v) 'किसी भी स्ट्रीम में बेस्ट फाइव में पचास प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र कोर्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं।
- (vi) प्रतिभाशाली भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वित्तीय सहायता वाले स्कालरशिप के नए अवसर मौजूद हैं, जो पूरा करेंगे उनके हायर एजुकेशन के और क्षेत्र विशेष में अपना कैरियर बनाने के सपने को।

7. सरकारी कार्यालयों में हिंदी के सरलीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं-

- (i) विदेशी शब्द जो हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे- टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, बटन, फीस, बिल, कमेटी, अपील, ऑफिस, कंपनी, बोर्ड, गज़ट, तथा अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जैसे अदालत, कानून, मुकदमा, कागज, दफ्तर, जुर्म, जमानत, तनख्वाह, तबादला, फौज, बंदूक, मोहर को उसी रूप में अपनाने से भाषा में प्रवाह बना रहेगा।
- (ii) बहुचर्चित अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी में लिप्यांतरण करना कभी-कभी ज्यादा अच्छा रहता है बजाय इसके कि किसी कठिन और बोझिल शब्द को गढ़कर लिखा जाए। 'प्रत्याभूति' के स्थान पर 'गारंटी', परिदर्शक के स्थान पर 'गाइड', अनुच्छेद के स्थान पर 'पैरा', यंत्र के स्थान पर 'मशीन', मध्याह्न भोजन के स्थान पर 'लंच', व्यंजन सूची की जगह 'मैन्यू', भंडार की जगह 'स्टोर', अभिलेख के स्थान पर 'रिकार्ड' आदि जैसे प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाया जा सकता है।

इसी प्रकार संगणक के स्थान पर 'कंप्यूटर', मिसिल के स्थान पर 'फाइल', कुंजीपटल के स्थान पर 'की-बोर्ड', शब्दों का इस्तेमाल अधिक वांछनीय होगा ।

(iii) यदि कोई तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी ऐसा शब्द है जिसका आपको हिंदी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिख सकते हैं जैसे इंटरनेट, वेबसाइट, पेनड्राइव, ब्लाग आदि ।

8. हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया तब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में 'हिंदुस्तानी' और आठवीं अनुसूची में दी गई भारत की अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए।

9. इस पत्र की प्रति राजभाषा विभाग के तीनों अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं नामतः सेन्ट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यथा सीएचटीआई (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान), सेन्ट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो यथा सीटीबी (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) तथा रीजनल इम्प्लीमेंटेशन आफिसिज़ यथा आरआईओज़ (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों); एवं सेन्ट्रल कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलोजिज़ यथा सीएसटीटी (केंद्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है (और अनुवाद के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा घोषित शीर्षतम संस्था है), को भेजी जा रही है। उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र में की गई अपेक्षा अनुसार क्रमशः हिंदी भाषा प्रशिक्षण, अनुवाद प्रशिक्षण, कार्यालयों में इस्तेमाल की भाषा, और हिंदी अनुवाद के लिए तैयार/अपडेट किए जा रहे शब्दकोशों में तदनुसार परिवर्तन लाएं।

9.1 सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से यह अनुरोध है कि यूज़र (प्रयोगकर्ता) की हैसियत से, वे जिन शब्दों का हिंदी भाषा द्वारा अपनाया जाना उचित समझते हैं, उन्हें लगातार निदेशक, सीएसटीटी, निदेशक, सीएचटीआई, निदेशक, सीटीबी, सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), सचिव, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता, तथा सचिव, उच्च शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), को उपलब्ध कराते रहें ताकि यह प्रक्रिया निरंतर और स्थायी रूप से चलती रहे।

सहभावन।

सचिव,

समस्त मंत्रालय/विभाग,

भारत सरकार

भवदीया,
वीणा उपाध्याय
26.9.1

1.

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को इस अनुरोध सहित पृष्ठांकित की वे इस पत्र की प्रतियां अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों में परिचालित करें।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: मई, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों के विचारार्थ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैक-लिस्ट ।

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु सलाह देने के उद्देश्य से हिंदी सलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है ।

2. संघ सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिंदी सलाहकार समितियां एक अत्यंत सशक्त मंच हैं । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजभाषा विभाग ने व्यापक चिंतन के पश्चात् हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में हिंदी सलाहकार समितियों के माननीय सदस्यों के विचारार्थ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची (चैकलिस्ट) तैयार की है । बैठक के सदस्यों के विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण राजभाषा संबंधी बिंदुओं को सूचीबद्ध किया है जो कि संलग्न है ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में चैक-लिस्ट में उल्लिखित बिंदुओं पर आवश्यक रूप से विचार कर मंत्रालय/विभाग को उपयुक्त मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यह मार्गदर्शक सूची है न कि स्वतः संपूर्ण सूची । मंत्रालयों/विभागों में संबंधित संयुक्त सचिव, इंचार्ज राजभाषा/निदेशक, इंचार्ज राजभाषा तथा निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, राजभाषा इकाई, इन बिंदुओं पर चर्चा सुनिश्चित कराएंगे ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(रमेशबाबू अणियेरी)
निदेशक, भारत सरकार
टैलिफैक्स: 24617 807

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के राजभाषा प्रभारी संयुक्त सचिव (प्रशासन)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों के लिए चेक लिस्ट
(अधोलिखित सुझावित समीक्षा बिंदुओं में मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ/संबद्ध, एवं स्वायत्त
इकाइयों को भी शामिल किया जाये)

हिंदी पदों की स्थिति व हिंदी अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

1. क्या न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पद सृजित हैं और भरे हुए हैं। नहीं, तो इस संबंध में की जा रही/की गई कार्रवाई।
2. मंत्रालयों/विभाग के संबद्ध कार्यालयों में हिंदी का कामकाज कर रहे कार्मिकों के लिए संवर्ग की स्थापना व उसका विवरण या अन्य उपायों द्वारा उन्हें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
3. कनिष्ठ अनुवादकों को सेवा-प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स कर रिक्तियों को भरने की स्थिति।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4. निम्न कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति :
 - i. क्या राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी स्वरूप में जारी होने वाले अभिलेखों को सुनिश्चित ढंग से सूचीबद्ध किया गया है? यदि हां, तो ऐसे कुल अभिलेखों की संख्या।

(राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) : उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही -

- (i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं ;
- (ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए ;
- (iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।)

- ii. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दी गई सूचना की विस्तृत समीक्षा हो।

(नियम 5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।)

iii. राजभाषा नियम 1976 का नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में दी गई सूचना की विस्तृत समीक्षा हो।

(नियम 11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

- (1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
 - (2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
 - (3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी)
5. हिंदी प्रयोग संबंधी वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आंकड़ों की लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करते हुए उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा।
 6. तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिये गये आंकड़ों के तथ्यपरक होने संबंधी औचक जांच परिणाम।
 7. संसदीय राजभाषा समिति के सभी 08 खंडों में की गई संस्तुतियों पर पारित वे आदेश जिन पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, लेकिन अभी तक नहीं की गई है।
 8. उपक्रमों द्वारा हिंदी प्रसार कार्य में किए योगदान की प्रस्थिति।
 9. मंत्रालय/विभाग में प्रोत्साहन योजनाओं की स्थिति।

कंप्यूटर एवं वेबसाइट

10. (क) वेबसाइट अनिवार्य रूप से द्विभाषी है या नहीं;
 - (ख) क्या हिंदी की वेब-साइट भी अंग्रेजी की वेबसाइट की तरह पूर्ण है और समय-समय पर अद्यतित की जाती है ?
 - (ग) वेबसाइट के रख-रखाव की व्यवस्था।
11. (क) सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड में हिंदी कार्य करने की सुविधा सक्रिय कराने एवं कंप्यूटर पर हिंदी कार्य करने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के प्रयोग संबंधी जानकारी/प्रशिक्षण की स्थिति।
 - (ख) 'मंत्रा' चैंपियन व्यवस्था का परिणाम, (जिन 8 मंत्रालयों/विभागों गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), उच्चतर शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं आई.सी.ए.आर. में लागू है)
 - (ग) सी-डैक व एन.आई.सी. से उपलब्ध तकनीकी सहायता
12. विभाग (मंत्रालय में सामान्यतया प्रयोग होने वाले पत्रों/कार्यालय ज्ञापन/फार्म) के दस्तावेजों के हिंदी प्रारूप को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की स्थिति।

प्रशिक्षण

13. हिंदी भाषा, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, अनुवाद के प्रशिक्षण की स्थिति की समीक्षा। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनको वर्ष 2015 तक हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिलाने के लिए नामित किये जाने की कार्ययोजना की स्थिति।

शब्द-कोष/संचय

14. (क) संबंधित कार्यक्षेत्र की अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली तैयार करने एवं उसके उपलब्ध कराने (वेबसाइट पर रखने सहित) की स्थिति।
(ख) वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए शब्द-संचय की उपलब्धता की स्थिति
(ग) सी-डैक द्वारा तैयार किए ई-महाशब्दकोष की उपलब्धता व उपयोगिता की स्थिति।

अन्य

15. संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से प्राप्त मामला, जो राजभाषा विभाग में लंबित है या राजभाषा विभाग द्वारा उनके साथ उठाया गया कोई मुद्दा।

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-11 भवन, बी विंग, चौथा तल,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,

दिनांक: 07 सितंबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

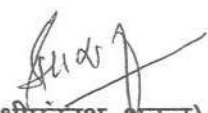
विषय- हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए परिचय पत्र, पार्किंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि जारी किए जाने के संबंध में।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है। इस संबंध में प्रायः ऐसी मांग आती रहती है कि हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र आदि जारी किया जाए।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संबंधित मंत्रालय के माननीय मंत्री को हिंदी के प्रयोग के संबंध में सलाह देना है न कि मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण करना अथवा निचले स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह देना। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें वर्ष में आमतौर पर दो बार होती हैं साथ ही समिति के गैर सरकारी सदस्यों को मंत्रालयों/विभागों अथवा कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। इसलिए समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए किसी प्रकार के स्थायी परिचय पत्र आदि की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती है।

3. अतः हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को परिचय पत्र, पार्किंग कार्ड एवं विजिटिंग कार्ड आदि नहीं जारी किया जा सकता है।

4. इसे माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि -1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), भारत सरकार के समस्त
मंत्रालय/विभाग

2. परिपठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजभाषा विभाग।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 10.01.2019

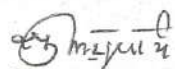
कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन/परिवर्तन किया गया है। हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा तथ्यपरक आंकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय आदि को विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी देना होगा-

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

2. उक्त प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित होगा और पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी।

3. उक्त प्रमाण पत्र राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.nic.in पर सूचना प्रबंधन प्रणाली में भी उपलब्ध है और यह 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से लागू होगा।


(सुस्मिता भट्टाचार्य)

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष: 23438143

प्रतियां:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
3. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4. भारत का निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली
5. राजभाषा विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(संलग्न सूची के अनुसार) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।

- ✓ 6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

संख्या : 12019/86/2014-रा.भा.(का0-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए का.ज्ञा. संख्या 12024/1/87-रा.भा.(ख-2) दिनांक 21-01-88 के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से कराने के लिए समुचित निदेश दिए गए थे । राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि इन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपेक्षित एवं प्रभावशाली चर्चा नहीं हो पा रही है ।

2. उपरोक्त स्थिति के संबंध में राजभाषा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया जाए कि वे उक्त बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा अवश्य करें :-

- (i) धारा(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करना
- (ii) हिंदी में पत्राचार की स्थिति
- (iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना ।
- (iv) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण देना ।
- (v) हिंदी(भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण
- (vi) वेबसाईट पूरी तरह से द्विभाषी बनाना और अद्यतित रखना ।
- (vii) विभागीय आई.टी. सिस्टमों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित कराना ।
- (viii) कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना ।
- (ix) सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा(यूनिकोड में) उपलब्ध कराना ।
- (x) राजभाषाई निरीक्षणों की स्थिति ।
- (xi) अनुभागों को अपना पूरा काम हिंदी में करने के लिए अधिसूचित करना ।
- (xii) मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्य विशेष मुद्दे ।

....2/-

3. राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि मंत्रालय/विभाग समिति की हुई बैठक की तिथि, कार्यवृत्त तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर टिप्पण अपलोड कर सकते हैं और आगामी बैठक की प्रस्तावित तिथि भी भर सकते हैं ।


10/6/2014
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि प्रेषित

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिचालित कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि वे उपर्युक्त मद 03 पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

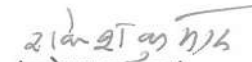
हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है) में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत हैं, के प्रयोग संबंधी प्रकरण पर सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/उकेरेंगे। सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे जाएंगे अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे। राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को – इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें ।
- (ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें ।
2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सचिवों (राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को ।
3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां ।
4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में ।
5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें ।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाये:-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (08),
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।

सं./16034/06/2008-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों द्वारा जनता द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले फार्म आदि तथा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं :-

(क) कार्यालय ज्ञापन सं07/9/65-रा.भा. दिनांक 25-3-1968

सभी मंत्रालय/विभाग अपने स्थानीय कार्यालयों में स्थानीय जनता की सुविधा के लिए जनता द्वारा प्रयुक्त संबंधित फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध कराएं; सरकारी कार्यालय में भरा जाने वाला खण्ड केवल हिंदी व अंग्रेजी में छपवाएं और लम्बे फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में अलग-अलग छपवाएं।

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/5/76-रा.भा.(क-1) दिनांक 18-6-1977

केन्द्रीय हिंदी समिति की 11-1-1977 की बैठक में दिए गए सुझाव के अनुरूप सभी मंत्रालय/विभाग हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों के नामों के बोर्ड और जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्ड (i) क्षेत्रीय भाषा (ii) हिंदी और (iii) अंग्रेजी भाषाओं में इस क्रम में सभी लिपियों के अक्षर बराबर आकार के रखते हुए बनवाएं। तमिलनाडु के संबंध में 'यथास्थिति' कायम रखी जाए।

(ग) कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/2/86-रा.भा.(क-1) दिनांक 26-2-1986

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 11 (3) के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख व लेखन सामग्री की अन्य

मदें हिंदी और अंग्रेजी में तैयार/लिखी या मुद्रित की जाएं। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/5/76-रा.भा.(क-1) दिनांक 18-6-1977 में दिए गए निदेशों के अनुसार तैयार किए जाएं। राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 11 (3) के प्रावधान तमिलनाडु राज्य स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों पर लागू नहीं होते, अतः वहां इनका अनुपालन संबंधित कार्यालयों पर छोड़ दिया जाए।

(घ) कार्यालय ज्ञापन सं01/14013/7/2010-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 7-4-2011

हिंदी भाषी राज्यों (जिनकी राजभाषा हिंदी है) में स्थित केंद्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व उपक्रम के बोर्ड, साइनबोर्ड, नामपट्ट, दिशा संकेतकों में हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों की राजभाषाओं में सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान रखते हुए लिखे/मुद्रित/उत्कीर्ण/उकेरे जाएंगे। ये सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे/मुद्रित किए जाएंगे। राज्य की राजभाषाओं व अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों में बोर्ड, साइनबोर्ड, नामपट्ट, दिशा-संकेतकों में दिनांक 18.6.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में दिए गए निदेशों के अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग किए जाएंगे।

2. राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा उपर्युक्त निदेशों पर समुचित पालन/कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे राजभाषा विभाग के द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अपने मंत्रालयों/विभागों तथा अपने अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों आदि में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से तत्काल राजभाषा विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।



(रति राम)

अवर सचिव, भारत सरकार

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

P&C(RTI)



एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

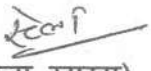
कार्यालय ज्ञापन

04 MAY 2017

विषय:- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्ड, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-07-2010-रा.भा.(नीति-I) दिनांक 07.04.2011 का अवलोकन करें।

2. राजभाषा विभाग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के दृष्टिगत दिनांक 07.04.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे। संबंधित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु संलग्न है।


(स्टेला खाखा)

अवर सचिव(नीति)

के.सी. सामरिया

प्रभारी आयुक्त

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक(मुख्यालय)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,

11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि:-

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को -इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें।

(ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें।

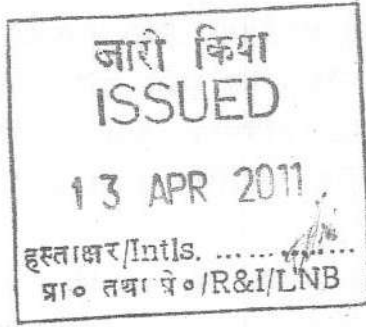
2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सचिवों(राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को।
3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां।
4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में।
5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इन निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाए:-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(08),
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय, अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

क्र.सं. 6(जा)

25/3



संख्या I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

कार्यालय जापन

13 APR 2011

विषय:-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है) में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत है, के प्रयोग संबंधी प्रकरण पर सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/उकेरेंगे। सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे जाएंगे अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे। राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय जापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राकेश कुमार
(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को - इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें।

3/2010
11/4/2011

- (ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इस अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें।

2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सचिवों (राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को।

3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां।

5/2010
11/4/2011

4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में।

27/2009
11/4/2011

5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्प्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को इस निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाये:-

B.N. 1/2010
11/4/2011

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (08),
2. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।

CS
26

No. I/14013/07/2010-O.L.(Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi , Dated 07 April, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Use of languages, other than Hindi and English, recognized for use for official purposes by the State Governments having Hindi as their first Official Language, on Boards, Sign-boards, Name-plates, and Directional Signs.

The matter of use of languages, other than Hindi and English, recognized for use for official purposes, in the Hindi-speaking States i.e. States located in Region A (these States have Hindi as their Official Language) on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs has received careful consideration, keeping all relevant aspects in view.

2. Taking into consideration the public convenience and welfare of the large sections of our society living in the said States, it has been decided that all Central Government Offices, and Public Sector Banks and Undertakings shall write, print, paint, inscribe or emboss the information on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs in language/s, other than Hindi, recognized for use for official purposes in the given State/s, in addition to Hindi and English. The font sizes of the texts of all the languages will be of the same size.

3. The Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs will be written/ printed/ painted/inscribed/embossed in Hindi first. The order of the other language/s, including English, will be determined by the Department concerned or the State concerned.

4. As for the use of languages on Boards, Sign-boards, Name-plates and Directional Signs in the non-Hindi speaking States i.e. States located in Regions B and C, the instructions contained in the OM No. I/14013/5/76-OL(A1) dated 18.6.1977 which require the use of Regional Language, Hindi and English, in that order, on the stated media, will continue to hold good.

5. These orders come into force with immediate effect.

Rakesh Kumar
(Rakesh Kumar)
Director (Technical & Policy)

1. (a) Secretaries of all Departments and Ministries, Government of India with the request that a copy of these instructions be circulated to all Subordinate/Attached offices, and autonomous undertakings under the control of their Departments, and

27

that immediate compliance by organizations having significant public interface e.g. Railways, Airport Authority of India, MTNL and BSNL etc. be particularly ensured.

(b) Secretary, Financial Services with the request to circulate these instructions immediately to all Chairpersons of Public Sector Banks, Insurance Companies and other organizations rendering financial services in the said States.

2. All Secretaries (Official Languages) of the States in Region 'A' i.e. Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Uttarakhand, UT Administration of Andaman & Nicobar Islands, and Government of NCT of Delhi.

3. Chairmen of all Town Official Language Implementation Committees (TOLICs) in the above-referred to States.

4. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi with reference to their OM No. हिन्दी 2010/रा.भा.1/8/5 dated 8.11.2010 and subsequent communications in respect of language/s to be used on the Name-plates, Sign-boards on Railway Stations.

5. Shri Onkar Kedia, ADG, Media & Communication, Ministry of Home Affairs

6. Senior Technical Director (KK), NIC with the direction to upload it on web-site both under 'What's New' and Important Orders.

Copy, for information, and direction to disseminate this information through TOLICs, and other publicity means :

- (i) O/c incharges, Regional Implementation Offices,
- (ii) Director, Central Hindi Teaching Institute, 7th Floor, Paryavaran Bhavan, B Block, CGO Complex, New Delhi
- (iii) Director, Central Translation Bureau, 8th Floor, Paryavaran Bhavan, B Block, CGO Complex, New Delhi

सं.1/14013/5/2011.रा.भा.(नीति)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल, 2012

विषय:- कोड/मैनुअल आदि द्विभाषी रूप (हिंदी व अंग्रेजी) में मुद्रित कराने के संबंध में ।

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, के नियम-II में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय (डिगलॉट) रूप में मुद्रित एवं प्रकाशित किए जाएंगे । 31 अगस्त, 1976 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12012/5/76-रा.भा. (ख) के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस नियम की ओर दिलाते हुए उनसे कहा गया था कि मैनुअल और फार्म आदि सिर्फ अंग्रेजी में छपवाना नियम के विरुद्ध है । उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे मैनुअलों, कोडों और फार्मों की पांडुलिपियों को द्विभाषी रूप में तैयार करवाएं और उन्हें द्विभाषी रूप में (डिगलॉट फार्म में) मुद्रणालयों को भेजें । मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे अपने नियंत्रणाधीन प्रेसों को तथा अन्य कार्यालयों को आवश्यक आदेश जारी करें कि इस बारे में सरकार की नीति का पूरी तरह से पालन करें और कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छपने के लिए स्वीकार न करें । 31 मई, 1988 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/8/88.रा.भा. (क- I) के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रकाशन निदेशालय को यह निर्देश दें कि कोड/मैनुअल आदि प्रिंटिंग के लिए वे तभी स्वीकार करें जब वे द्विभाषी रूप में भेजे जाएं । इन निर्देशों को सभी मंत्रालयों/विभागों को भी परिचालित किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मुद्रण के लिए भेजे जाने वाली सामग्री द्विभाषी रूप में सरकारी मुद्रणालयों को भेजें । उनसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें ।

अभी भी कुछ सरकारी प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग छापे जा रहे हैं । अतः शहरी विकास मंत्रालय तथा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि सरकारी प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में छपवाने से संबंधी उपर्युक्त नियम और आदेशों का मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा बैंकों/उपक्रमों आदि में पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें । कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजे और अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि को इस विषय में दिए गए निर्देशों की एक प्रति भी उपलब्ध कराएं ।

हरिन्द्र कुमार
12/4/2012

निदेशक (तकनीकी/नीति)

टेलीफैक्स: 24617695

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।

सं0 12019/35/2013-रा.भा.(शि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-|| भवन, बी-विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 17 जुलाई, 2014

22 JUL 2014

परिपत्र

विषय:- राजभाषा विभाग के शिकायत कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में

राजभाषा विभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों में 20% से 25% शिकायतें, हिन्दी के समाचार-पत्रों में 'अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशन' से संबंधित प्राप्त हो रही हैं।

2. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों तथा राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना अपेक्षित है। परिभाषित 'क' क्षेत्र में केवल हिंदी में ही पत्रोत्तर करना है।

3. अतः सभी मंत्रालयों / विभागों को सलाह दी जाती है कि हिंदी के अखबार में हिंदी का विज्ञापन तथा अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी का विज्ञापन दें। जब अंग्रेजी के अखबार में अंग्रेजी में विज्ञापन दिया जाए तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दें कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिन्दी रूपान्तर वेबसाइट पर उपलब्ध है(पूर्ण लिंक दी जाए)" ।


(विजय कुमार)

उप-सचिव (शिकायत)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 03 मार्च, 2016

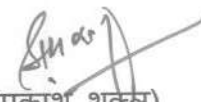
कार्यालय जापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/बैंकों आदि द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में ।

राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2008 को जारी किए गए संकल्प सं. I/20012/07/ 2005-रा.भा.(नीति) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति के आठवें खण्ड में की गई शिफारिशों के क्रम सं. 70 में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर प्राप्त बजट की कुल राशि के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:-

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिश	माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश
विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषायों पर किया जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों/निगमों/स्वायत्त निकायों/कार्यालयों से अनुरोध है कि राष्ट्रपति जी के उक्त आदेश के अनुपालन में अपने मंत्रालय/विभाग/निगम/स्वायत्त निकाय/कार्यालय/बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत संबंधी नीति निर्धारित करें और इसकी सूचना राजभाषा विभाग को एक माह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें ।


(डा. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रति:

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (राजभाषा अध्यक्ष) ।
- ✓ 2. निदेशक, तकनीकी (एनआईसी) से अनुरोध है कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी. विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय जापन

विषय: समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के संबंध में ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/ अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। शिकायत अनुभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों के विश्लेषण से यह स्थिति सामने आई है कि अधिकांश मामले हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाने से संबंधित हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.07.2014 के परिपत्र सं. 12019/35/2013-रा.भा.(शिका.) के अनुसार हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाने चाहिए न कि अंग्रेजी में। परन्तु यह देखने में आया है कि इस अपेक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार राजभाषाई आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

राजभाषाई आदेशों के प्रति अधिकारियों/ कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान द्वारा ली जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची में इस बिन्दु को शामिल किया जाए और इस पर चर्चा की जाए एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन के निदेश भी दिए जाएं।

अतः पुनः सलाह दी जाती है कि हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि "अधिसूचना/ विज्ञापन/ रिक्ति संबंधी परिपत्र" का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस हेतु पूर्ण लिंक भी दी जाए।

संघ सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे अपने सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ उपक्रमों आदि को इस संबंध में अपनी तरफ से आवश्यक निदेश शीघ्र जारी करें।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव (रा.भा.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग

20012/01/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 30 जून 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन करें, जो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में है।

2. संस्तुति सं० 88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में है जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं -

सं	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

3. अतः केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों से अपेक्षित है की विज्ञापन संबंधी उपर्युक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

संदीप
(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन), सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (स्म. आई. सी), कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें। 104

सं. 12015/13/2011-रा.भा.(तक)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक : 17 फरवरी, 2012

प्रेषक – ए.एन.पी. सिन्हा,
सचिव।

सेवा में – मुख्य सचिव,
सभी राज्य/यूटी (UT) सरकार।

विषय : राज्य की भाषा (राजभाषा) में कंप्यूटरों पर कार्य करना।

महोदय,

सरकारी कार्यों में सामान्यतः अभी की प्रवृत्ति अंग्रेजी की तरफ है। कंप्यूटरों के माध्यम से राज्य की राजभाषा में कार्य करने में राजभाषा को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रसंग में निम्न कारवाई अपेक्षित होगी।

यूनिकोड एनकोडिंग

2 राज्य की राजभाषा में कार्य करने में एक गंभीर समस्या है, विभिन्न सॉफ्टवेयरों में प्रयुक्त (used) फ़ॉन्टस का कम्पैटिबल (compatible) न होना। इस कारण राजभाषा की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान-प्रदान (transfer) नहीं कर पाते हैं। राजभाषा पाठ (text) को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने (paste) करने में भी समस्या आती है। अतः भारत सरकार ने यूनिकोड एनकोडिंग को मान्यता दी है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से सभी कार्य किये जा सकते हैं, जैसे – वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि। राजभाषा में बनी फाइलों का आसानी से आदान प्रदान तथा राजभाषा की-वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं।

3 अतः केवल यूनिकोड कम्प्लायेंट फ़ॉन्टस प्रयोग करें एवं यूनिकोड के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। यूनिकोड को install/use करना बहुत आसान है। इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की साइट (<http://rajbhasha.gov.in>) पर उपलब्ध है।

इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड

4. कंप्यूटरों पर राजभाषा में कार्य करने के लिए तीन की-बोर्ड विकल्प हैं – रेमिंग्टन, इंस्क्रिप्ट तथा फोनेटिक। हालांकि अभी तक रेमिंग्टन की-बोर्ड पूर्व से प्रचलित होने के कारण (popular) है, तुलना में

इंस्क्रिप्ट में टंकण सीखना बहुत आसान है। इंस्क्रिप्ट ले-आउट भारत सरकार का मानक होने की वजह से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाल्ट में, यानि पहले से मौजूद रहता है। साथ ही किसी भी एक भाषा में इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड सीखने पर, सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से टंकण कर सकते हैं। अतः मात्र रेमिंग्टन की-बोर्ड पर प्रशिक्षित पुराने कर्मचारी, जिनका सेवाकाल केवल 2 वर्ष बचा हो, रेमिंग्टन में टंकण करें। शेष सभी इंस्क्रिप्ट का ही प्रयोग करें। (<http://ildc.in>) पर इंस्क्रिप्ट सीखने के लिए ट्यूटर उपलब्ध है।

5. सभी कंप्यूटरों के साथ केवल द्विभाषी की-बोर्ड की ही खरीद की जाए, जिसमें इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड ले-आउट अवश्य हो।

6. उल्लेखनीय है कि फोनेटिक की-बोर्ड में, हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी, रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए, हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं।

द्विभाषी सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट

7. सॉफ्टवेयर खरीदते या विकसित करवाते समय यह सुनिश्चित करें कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, उसमें राजभाषा में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो।

लीला सॉफ्टवेयर (हिंदी स्वयं-शिक्षण)

8. इंटरनेट पर लीला (LILA-LEARN Indian Languages through Artificial Intelligence) हिंदी स्वयं-शिक्षण पैकेज कई भाषाओं (अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगला, असमी, उड़िया, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली तथा बोडो) के माध्यम से, हिंदी सीखने के लिए निःशुल्क उपलब्ध (<http://Rajbhasha.gov.in>) हैं।

9. लीला के लिए मात्र एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त है। और इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त है अक्षर लिखने का पाठ ग्राफिक्स के जरिये है। 'रिकार्ड एंड कंपेयर' सुविधा से प्रयोगकर्ता अपना उच्चारण मानक उच्चारण से मिलान कर सकता है। टीचर मॉड्यूल के जरिये संशोधित उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। 'फ्री एवं कंट्रोल लर्निंग' का विकल्प भी है।

श्रुतलेखन - राजभाषा (हिंदी में डिक्टेशन)

10. श्रुतलेखन-राजभाषा, एक स्पीकर - इनडिपेंडेंट, हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है जो बोली गई भाषा (dictation) को डिजिटাইज करके इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट एक 'स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट' (यूनीकोड के अनुरूप) के रूप में देता है। हिंदी भाषी राज्य इसका प्रयोग करें एवं फीडबैक दें।

मंत्र-राजभाषा (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)

11. “मंत्र-राजभाषा” की सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों, संकल्प आदि का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। “मंत्र-राजभाषा” इंटरनेट (<http://rajbhasha.gov.in>) तथा स्टैंडअलोन दोनों वर्जन में उपलब्ध है। स्टैंडअलोन वर्जन को डाउनलोड करने की सुविधा भी है।

12. प्राप्त फीडबैक के अनुसार इस पैकेज द्वारा अनुवाद का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। इसका एक कारण शब्दों एवं वाक्यों का व्यापक कार्पस का न होना है। अतः हिंदी भाषी राज्य इस पैकेज को इस्तेमाल करें और फीडबैक दें, ताकि मंत्र को बेहतर बनाया जा सके।

13. विकल्प में ‘गूगल ट्रांसलेशन’ का प्रयोग करें। ‘गूगल ट्रांसलेशन’ सभी तरह के अनुवाद (हिंदी, बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू से अंग्रेजी में एवं vice versa तेज गति से करता है। गूगल में अकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर, गुगल अनुवादित वाक्यों को मेमोरी में ले लेता है जिससे भविष्य में समान पाठ (text) आने पर सही अनुवाद देता है।

ई-महाशब्दकोश

14. प्रशासनिक, वित्तीय एवं बैंकिंग, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, पर्यटन तथा शिक्षा क्षेत्र के शब्दकोश (हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी) निःशुल्क <http://rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं - अर्थ एवं संबंधित जानकारी, द्विभाषी एवं द्विआयामी उच्चारण सहित शब्दकोश, खोजे गये शब्द का उच्चारण तथा संबंधित जानकारी, यूनिकोड कंप्लायंट फॉन्ट। हिंदी भाषी राज्य इसका उपयोग करें एवं फीडबैक दें।

राजभाषा विभाग का गुगल ग्रुप तथा फेसबुक पृष्ठ

15. उपर वर्णित IT टूल्स के प्रयोग में कठिनाई के समाधान आदि के लिए राजभाषा विभाग ने गुगल ग्रुप (<http://groups.google.com/group/rajbhashavibhag-itsolution>) तथा फेसबुक पेज (<http://facebook.com> पर ‘राजभाषा विभाग’) बनाया है। इनका सदस्य बनकर लाभ उठाये।

17. सभी राज्य/UT सरकारों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार अपने एवं अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि से उपरोक्त आई.टी. टूल्स का अधिक से अधिक उपयोग करायें एवं फीडबैक दें ताकि इनमें निरंतर सुधार लाया जा सके।

आपका विश्वासी

(ए.एन.पी. सिन्हा)

सं.12015/13/2011-रा.भा.(तक)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक : 17 फरवरी, 2012

प्रेषक – ए.एन.पी. सिन्हा,
सचिव।

सेवा में – सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार।

विषय : केन्द्र सरकार एवं उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों एवं उपक्रमों में कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना।

महोदय,

राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अर्न्तगत जारी किए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों के सही कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार एवं उनके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों एवं उपक्रमों में कंप्यूटरों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों में हिंदी में काम करने की पूरी व्यवस्था हो ताकि कर्मियों को हिंदी में काम करने में आसानी हो। इस प्रसंग में निम्न कारवाई आवश्यक होगी।

यूनिकोड एनकोडिंग

2 हिंदी में कार्य करने में एक गंभीर समस्या है, विभिन्न सॉफ्टवेयरों में प्रयुक्त (used) फॉन्ट्स का कम्पैटिबल (compatible) न होना। इस कारण हिंदी की फाइलों को, अंग्रेजी की तरह आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, आदान-प्रदान (transfer) नहीं कर पाते हैं। हिंदी पाठ (text) को दूसरे सॉफ्टवेयर में जोड़ने (paste) में भी समस्या आती है। अतः भारत सरकार ने यूनिकोड एनकोडिंग को मान्यता दी है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से सभी कार्य किये जा सकते हैं, जैसे – वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि। हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान तथा हिंदी की-वर्ड पर गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं।

3 अतः सभी मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम केवल यूनिकोड कम्प्लायन्ट फॉन्ट्स एवं यूनिकोड के अनुरूप सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें। यूनिकोड को install/use करना बहुत आसान है। इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की साइट (<http://rajbhasha.gov.in>) पर उपलब्ध है।

इंस्क्रिप्ट एवं फोनेटिक की-बोर्ड

4. कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए तीन की-बोर्ड विकल्प हैं – रेमिंगटन, इंस्क्रिप्ट तथा फोनेटिक। हालांकि अभी तक रेमिंगटन की-बोर्ड पूर्व से प्रचलित होने के कारण (popular) है, तुलना में इंस्क्रिप्ट में हिंदी टंकण सीखना बहुत आसान है। इंस्क्रिप्ट ले-आउट भारत सरकार का मानक होने की वजह से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाल्ट में, यानि पहले से मौजूद रहता है। साथ ही किसी भी एक भाषा में इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड सीखने पर, सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से टंकण कर सकते हैं। अतः मात्र रेमिंगटन की-बोर्ड पर प्रशिक्षित पुराने कर्मचारी, जिनका सेवाकाल केवल 2 वर्ष बचा हो, रेमिंगटन में टंकण करें। शेष सभी इंस्क्रिप्ट का ही प्रयोग करें। (<http://ildc.in>) पर इंस्क्रिप्ट सीखने के लिए ट्यूटोर उपलब्ध है।

5. सभी कंप्यूटरों के साथ केवल द्विभाषी की-बोर्ड की ही खरीद की जाए, जिसमें इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड ले-आउट अवश्य हो।

6. 1 अगस्त, 2012 से सभी नई भर्तियों के लिए टाइपिंग परीक्षा इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर लेना अनिवार्य हो। सभी प्रशिक्षण संस्थाएं हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण केवल इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर ही दें।

7. उल्लेखनीय है कि फोनेटिक की-बोर्ड में, हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी, रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए, हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं।

द्विभाषी सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट

8. सॉफ्टवेयर खरीदते या विकसित करवाते समय यह सुनिश्चित करें उसमें हिंदी में कार्य करने की पूर्ण सुविधा हो। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, जैसे वैज्ञानिक कार्यों के लिए, हिंदी सॉफ्टवेयर उपलब्ध न हो सके तो ऐसे मामले राजभाषा विभाग की जानकारी में लाएं।

9. सभी मंत्रालय अपनी एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों की वेबसाइट द्विभाषी करायें तथा उनका updation हिंदी में भी, यूनिकोड कम्प्लायेंट फॉन्ट में करायें।

लीला सॉफ्टवेयर (हिंदी स्वयं-शिक्षण)

10. इंटरनेट पर लीला (LILA-LEARN Indian Languages through Artificial Intelligence) हिंदी स्वयं-शिक्षण पैकेज के पाठ्यक्रम कई भाषाओं (अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बंगला, असमी, उडिया, मणिपुरी, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली तथा बोडो) के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए, निःशुल्क उपलब्ध (<http://Rajbhasha.gov.in>) हैं।

11. लीला से हिंदी सीखने के लिए मात्र एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त है। हिंदी अक्षर लिखने का पाठ ग्राफिक्स के जरिये है। 'रिकार्ड एंड कंपेयर' सुविधा से प्रयोगकर्ता अपना उच्चारण मानक उच्चारण से मिलान कर सकता है। टीचर मॉड्यूल के जरिये संशोधित उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। 'फ्री एवं कंट्रोल लर्निंग' का विकल्प भी है।

श्रुतलेखन - राजभाषा (हिंदी में डिक्टेशन)

12. श्रुतलेखन-राजभाषा, एक स्पीकर - इनडिपेंडेंट, हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जो बोली गई भाषा (dictation) को डिजिटাইज करके इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट एक 'स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट' (यूनीकोड के अनुरूप) के रूप में देता है। इसका प्रयोग करें एवं फीडबैक दें।

मंत्र-राजभाषा (अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद)

13. "मंत्र-राजभाषा" की सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों, संकल्प आदि का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। "मंत्र-राजभाषा" इंटरनेट (<http://rajbhasha.gov.in>) तथा स्टैंडअलोन दोनों वर्जन में उपलब्ध है। स्टैंडअलोन वर्जन को डाउनलोड करने की सुविधा भी है।

14. प्राप्त फीडबैक के अनुसार इस पैकेज द्वारा अनुवाद का स्तर आशा के अनुरूप नहीं है। इसका एक कारण शब्दों एवं वाक्यों का व्यापक कार्पस का न होना है। अतः इस पैकेज को इस्तेमाल करें और फीडबैक दें, ताकि मंत्र को बेहतर बनाया जा सके।

15. विकल्प में 'गूगल ट्रांसलेशन' का प्रयोग करें। 'गूगल ट्रांसलेशन' सभी तरह के अनुवाद (हिंदी, बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू से अंग्रेजी में एवं vice versa तेज गति से करता है। गूगल में अकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर, गूगल अनुवादित वाक्यों को मेमोरी में ले लेता है जिससे भविष्य में समान पाठ (text) आने पर सही अनुवाद देता है।

ई-महाशब्दकोश

16. प्रशासनिक, वित्तीय एवं बैंकिंग, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, पर्यटन तथा शिक्षा क्षेत्र के शब्दकोश निःशुल्क <http://rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं - अर्थ एवं संबंधित जानकारी, द्विभाषी एवं द्विआयामी उच्चारण सहित शब्दकोश, खोजे गये शब्द का उच्चारण तथा संबंधित जानकारी, यूनीकोड कंप्लायंट फॉन्ट। इसका उपयोग करें एवं फीडबैक दें।

राजभाषा विभाग का गुगल ग्रुप तथा फेसबुक पृष्ठ

17. उपर वर्णित IT टूल्स के प्रयोग में कठिनाई के समाधान आदि के लिए राजभाषा विभाग ने गुगल ग्रुप (<http://groups.google.com/group/rajbhashavibhag-itsolution>) तथा फेसबुक पेज (<http://facebook.com> पर 'राजभाषा विभाग') बनाया है। इनका सदस्य बनकर लाभ उठाये।

तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग

18. राजभाषा विभाग तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए MIS सॉफ्टवेयर बना रहा है। इससे देशभर के कार्यालयों से ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त होगी एवं समय पर MIS मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि कई नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां) ऐसे MIS स्वयं विकसित कर व्यवहार में ला रही हैं।

19. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार त्वरित कार्रवाई करें तथा अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि द्वारा इनका पालन सुनिश्चित कराएं। उपरोक्त आई.टी. टूल्स के अधिक उपयोग एवं फीडबैक से, इनमें निरंतर सुधार लाया जा सकेगा। आपकी सुविधा के अनुसार राजभाषा विभाग आपके समक्ष प्रेजेंटेशन देगा।

आपका विश्वासी

(ए.एन.पी. सिन्हा)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु:

- (क) केन्द्र सरकार के सभी संबंधित/अधीनस्थ कार्यालय, उपक्रम, वित्तीय संस्था के प्रमुख आदि।
- (ख) सभी नराकास के अध्यक्ष/क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
- (ग) सदस्य, सभी मंत्रालयों के हिंदी सलाहकार समिति

प्रतिलिपि:

- (क) निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को देते हुए अनुरोध है कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त IT Tools का पूर्ण समावेश करें। साथ ही यथासंभव प्रशिक्षण कंप्यूटर पर हो।

20012/10/2017-रा.भा.(नीति)

3

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 9 अगस्त, 2017

कार्यालय जापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट द्विभाषी होने के संबंध में।

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31.03.2017 को जारी किए गए थे।

2. समिति ने संस्तुति सं० 87 में प्रतिवेदन किया है मंत्रालयों और इनके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए। यह संस्तुति माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर ली है।

3. समिति ने संस्तुति सं० 28 में सिफारिश की थी कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़े को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

4. उक्त संस्तुतियां संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और आम आदमी से संपर्क करने की दृष्टि से की गई हैं तथा इन संस्तुतियों को माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार करके अनुपालन के आदेश भी दिये हैं। अतः केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में उक्त संस्तुतियों का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक - संस्तुति सं 87.28


(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

	उनमें कार्यालयाध्यक्षों की सहभागिता, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अधिकारियों की इन बैठकों में उपस्थिति आदि की सूचना क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से उपलब्ध कराकर नराकासों की मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके।	
26	जैसे-जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढ़ाई जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
27	समिति का मानना है कि एक ऐसा मानक फोन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश-विदेश में आसानी से किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध साफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिंदी के मानक की-बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी साफ्टवेयरों में लोड किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
28	समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकड़ों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
29	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी-डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों को दें। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
30	सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिंदी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	
86	नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं "स्वागत" और "नमस्कार" के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन लोकप्रिय पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके।	संस्तुति संख्या 58 पर पारित आदेशानुसार कार्रवाई हो।
87	मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती हैं की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
89	आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिंदी के सभी अनुवादक-सह-उद्घोषकों को नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उद्घोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
90	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय नामतः भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिंदी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य अधीनस्थ कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिंदी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

डॉ० मीनाक्षी जौली

संयुक्त सचिव

DR. MEENAKSHI JOLLY

JOINT SECRETARY

Telefax : 23438130

E-mail : jsol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAगृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRSराजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGEचतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

दिनांक 12 जनवरी, 2022

प्रिय महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध सभी कंप्यूटर 'यूनिकोड इनेबल्ड' नहीं है जिससे अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में कठिनाई आ रही है। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट भी पूर्णतया द्विभाषी एवं अद्यतित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट 100% हिंदी में भी होनी चाहिए। अतः निम्नलिखित कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए:-

1. मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध सभी कंप्यूटर, यूनिकोड इनेबल्ड (Unicode Enabled) हों तथा उन पर हिंदी में पूर्णतया काम करने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों। मंत्रालयों/विभागों में तैनात राजभाषा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी उच्चाधिकारी को हिंदी में कार्य करने में असुविधा न हो।
2. मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पूर्णतया द्विभाषी होनी चाहिए अर्थात् अंग्रेजी में उपलब्ध सभी जानकारी हिंदी में भी उपलब्ध हो और सभी शीर्ष/लिंक्स अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी रूप में भी उपलब्ध हो।
3. मंत्रालयों/विभागों में तैनात राजभाषा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में वेबसाइट की जांच की जाए और इसे आवश्यकतानुसार अद्यतित किया जाए। वेबसाइट पर उपलब्ध सभी सामग्री अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अद्यतित होना सुनिश्चित किया जाए।
4. मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद के लिए विकसित किए गए स्मृति आधारित अनुवाद टूल (कंठस्थ) का प्रयोग किया जाए और इसके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में राजभाषा विभाग को techcell-ol@nic.in पर सूचित किया जाए।
5. मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैकड्रॉप में कार्यालय का नाम द्विभाषी रूप में लिखे जाना, सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त के संबंध में सभी मंत्रालय/विभाग अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।

शुभेच्छ,
मीनाक्षी जौली
(डॉ० मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी (राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष)।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी'विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मिकों की सहभागिता ।

प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क.1) दिनांक 21.4.1987 तथा दिनांक 23.9.1987 के अनुक्रम में हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/ कर्मिकों की सहभागिता के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

- I. इन प्रतियोगिताओं में इसके आयोजनकर्त्ता/ हिंदी अनुभाग/प्रभाग तथा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा केंद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सभी संवर्ग के नियमित अधिकारी/ कर्मचारी/ नियमित एम.टी.एस. भाग ले सकते हैं ।
 - II. जिन अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती हिंदी आशुलिपिक/ टंकक के रूप में हुई है, वे हिंदी आशुलिपि/ टंकण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, तथापि अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं ।
2. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा ।
 3. इसे सचिव (रा.भा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(डा. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष. 23438250

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस संबंध में जारी किए जाने वाले परिपत्र / कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त दिशा-निर्देश को सम्मिलित करने के लिए ।
2. निदेशक (तकनीकी) एन.आई.सी., राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवा दें ।

दिनांक : २८ फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हर वर्ष सितम्बर माह में "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

- (क) हिंदी पखवाड़ा आरंभ होने के पूर्व मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए;
- (ख) हिंदी पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ-ही-साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों;
- (ग) आई.टी. क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए;
- (घ) हिंदी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु मुख्य समारोह 14 सितंबर को ही आयोजित किया जाए;
- (ङ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी माननीय गृह मंत्री जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए, और उसकी प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भिजवाई जाए;
- (च) इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जाए;
- (छ) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए, इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए;

- (ज) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने के बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए;
- (झ) उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिंदी पखवाड़ा" मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाए; और
- (ञ) पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदन से किया जाए।

इसे सचिव (रा.भा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


 (डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
 संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

प्रति - आवश्यक कार्रवाई हेतु:

- i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- ii. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस संबंध में जारी किए परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त दिशा-निर्देश को सम्मिलित करने के लिए।
- ✓ iii. निदेशक (तकनीकी) एन. आई.सी., राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग,
चौथी मंजिल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली,
दिनांक : 30 अगस्त, 2018

कार्यालय जापन

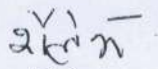
विषय: हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह - 2018 के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के का.जा. सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1) दिनांक 21.04.1987 का अवलोकन करें, जो हिंदी दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में है। हिंदी भाषा के देशव्यापी प्रसार और स्वीकार्यता को देखते हुए 14 सितम्बर, 1949 को इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिवस की स्मृति में प्रति वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

2. संविधान की मूल भावना है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुखों का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी दिवस/ सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह का आयोजन किया जाए। पखवाड़ा की अवधि इस प्रकार रखी जाए कि हिंदी दिवस 14 सितम्बर उसमें शामिल हो। पखवाड़े के दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं जो अधिकारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सक्षम बनाए तथा व्यावहारिक रूप से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग भी बढ़े। साथ ही, इनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र जैसे कार्य मूल रूप में हिंदी में किए जाने पर बल दिया जाए, ताकि आमजन को बेहतर सेवाएँ व सुविधाएं मिल सकें। इस क्रम में यह भी अनुरोध है कि आयोजनों में यथासंभव सादगी व मितव्ययता बरती जाए।

4. उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक निदेश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत करायें।


(शैलेश)

सचिव (राजभाषा)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

फा सं 11014/34/2014-राभा(प)

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(पत्रिका एकक)

एन डी सी सी - || भवन,
चौथा तल, बी, विंग, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 21 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - राजभाषा गृह पत्रिकाओं की गुणवत्ता व उच्च स्तर को बनाने के लिए सुझाव ।

केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/संगठनों द्वारा प्रकाशित होने वाली गृह पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य कर्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए सक्षम बनाना व प्रोत्साहित करना तथा अपने संगठन की गतिविधियों से अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का ज्ञानवर्धन करना है ।

राजभाषा विभाग का सुझाव है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गृह पत्रिकाएं प्रकाशित करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान में रखा जाए -

- i. पत्रिका में संगठन के कार्यक्षेत्र संबंधी लेख अधिक-से-अधिक मात्रा में शामिल किए जाएं ताकि अधिकारी/कर्मचारी संगठन के कार्य से एवं उससे संबंधी शब्दावली से अधिक-से-अधिक परिचित हो सकें ।
- ii. पत्रिका में उन लेखों को प्राथमिकता दी जाए जो कार्यालयों में प्रयोग में लाई जा रही हिंदी के ज्ञानवर्धन में सहायक हो ।
- iii. पत्रिका में अधिक-से-अधिक लेख आंतरिक अधिकारियों/कर्मचारियों के शामिल किए जाएं ।
- iv. पत्रिका में लेख लिखने में हिंदीत्तर भाषियों द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए ।
- v. अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यिक संबंधी लेख भी शामिल किए जाएं ।
- vi. पत्रिका को रुचिकर बनाने के लिए सरल भाषा में सामयिक लेख, साहित्य, स्वास्थ्य, पर्यटन, यात्रा वृत्तांत आदि को शामिल किया जाए ।
- vii. पत्रिका को स्तरीय और आकर्षक बनाने के लिए पत्रिका की साज-सज्जा एवं गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए ।
- viii. पत्रिका को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने पर प्रयास किए जाएं ताकि इसकी उपलब्धता व्यापक हो सके ।

812-5
21/01/2015
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक (कार्यान्वयन/पत्रिका)

011-23438129

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु । उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी भेजें ।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को भारत के सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
11. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।

गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन डी सी सी - II भवन, चौथा तल, बी विंग'

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 16 जून, 2016

17

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय ।

राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय संबंधित राजभाषा विभाग के दिनांक 16 जून, 1994 के कार्यालय ज्ञापन सं 11014/25/93- राभा(प) तथा दिनांक 16 अगस्त, 1999 के का.ज्ञा.सं 11015/32/99 - राभा(प) में संशोधन करते हुए विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" में प्रकाशित लेखों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये लेखकों को दी जानेवाली मानदेय की राशि बढ़ा दी गई है। मानदेय की नई दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :

1. पत्रिका में प्रकाशित नियमित लेख - रु 3000/- (रु तीन हजार मात्र)
2. विशेषांक में प्रकाशित लेख - रु 5000/- (रु पाँच हजार मात्र)

नई दरें 01 जुलाई 2016 से प्रभावी होंगी । यह कार्यालय ज्ञापन आंतरिक वित्त प्रभाग (गृह) के डायरी सं 3353704/ए. एस.& एफ. ए.(एच)/2016 दिनांक: 27-05-2016 की सहमति से जारी किया जा रहा है। ये दरें केवल राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मान्य होंगी।



(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)

संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. सभी मंत्रालय/विभाग - अनुरोध है कि इसका अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में परिचालन करें।
2. रोकड़-1 अनुभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, चौथा तल, बी विंग', जय सिंह रोड,, नई दिल्ली ।
3. रोकड़-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II भवन, चौथा तल, बी विंग', जय सिंह रोड,, नई दिल्ली ।
4. आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
7. सचिव (राजभाषा) के प्रधान सचिव।
8. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग।

संख्या 21034/11/2010-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई, 2011

कार्यालय जापन

22 JUL 2011

विषय:-केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए हिंदी भाषा कार्यशालाओं का आयोजन- प्रति सत्र पारिश्रमिक की राशि में वृद्धि।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए अतिथि वक्ताओं के तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि को निम्नलिखित दरों के अनुसार बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:-

- (क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा। किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक के रूप में देय राशि 5000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों से भिन्न अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का पारिश्रमिक देय होगा। 5000/- रुपये प्रति वर्ष के देय पारिश्रमिक की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी।
2. यह कार्यालय जापन गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग की दिनांक 15.06.2011 की डायरी संख्या 93000/एस एस एवं एफ ए (एच) द्वारा दी गयी उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
3. ये आदेश इस कार्यालय जापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
6. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।

संख्या : 12019/81/2015-रा.भा.(का.-2)/पार्ट-2

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी, 2016

कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन ।

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों को हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं । इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले सरकारी कर्मियों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करना है। इन कार्यशालाओं में मुख्य रूप से सरकारी काम हिंदी में किए जाने का अभ्यास करवाया जाना चाहिए । यह अभ्यास संबंधित कर्मियों के रोजमर्रा के कार्य से संबंधित होना चाहिए ।

.2 विभाग द्वारा 01.10.1973 तथा 29.10.1984 में इस विषय पर निर्देश जारी किए गए थे। कार्यशालाओं का आयोजन करने के संबंध में विभाग द्वारा अब तक जारी किए गए सभी कार्यालय जापनों/दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे :-

- (i) कार्यशाला की न्यूनतम अवधि 1 कार्य दिवस की होगी । कार्यशाला में न्यूनतम दो-तिहाई समय, कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए ।
- (ii) राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशाला में प्रयोग हेतु 'कार्यशाला संदर्शिका' वैबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है । प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम आदि के मुख्यालय इस संदर्शिका का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार नई 'कार्यशाला संदर्शिका' का निर्माण करें । इसमें अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों का समावेश करें तथा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों आदि के कामकाज को ध्यान में रखते हुए उपयोगी सामग्री तैयार की जाए ताकि प्रशिक्षण के पश्चात कर्मियों को अपना कामकाज हिंदी में करना सुविधाजनक हो ।
- (iii) कार्यशाला में प्रशिक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाए जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों । आवश्यकतानुसार बाहरी विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है ।
- (iv) हर कर्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाए और तदनुसार ही वर्ष में होने वाली कार्यशालाओं की

संख्या निर्धारित की जाए | कार्यशालाओं में उच्च अधिकारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाए | प्रशिक्षण के उपरांत समय-समय पर कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कर्मिकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यशाला में पुनः नामित किया जाए |

- (v) कार्यशाला के उपरांत प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला की उपयोगिता पर फीडबैक भी लिया जाए |
- (vi) प्रशिक्षण कार्य के लिए विशेषज्ञों को कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्देशों(वर्तमान- NO. 13024/01/2009-Trg. (Trg. Ref.)dated 23.09.2014) के अनुसार मानदेय दिया जाए |
- (vii) जिन छोटे-छोटे कार्यालयों में कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं हो पाता है, वहां अन्य कार्यालयों के साथ संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए | इस संबंध में समुचित समन्वय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा किया जाएगा|

कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि हिंदी कार्यशालाएं उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आयोजित हों ।

23/2/2016
निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस ज्ञापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के एनआईसी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

23/2/2016
(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)

No.13024/01/2009-Trg.(Trg. Ref.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Training Division

Block-IV, Old JNU Campus,
New Mehrauli Road, New Delhi – 110067

Dated: 23rd September, 2014

OFFICE MOMORANDUM

Sub: Honorarium for Guest Faculty.

The undersigned is directed to refer to DoPT's O.M. No.13024/2/2008-Trg.1 dated 3rd March, 2009 wherein rates of honorarium to the Guest faculty payable to Serving Officers/Non-Serving Officers/Experts/Eminent persons coming as guest faculty to the Central Training Establishments (CTIs) have been mentioned. The same are reproduced below:

S.No.	Category	Existing rates
1	Serving officers	Rs.500/- per session
2	Non-Serving Officers	Rs.1000/- per session
3	Experts/Eminent resource persons	Rs.4,000/-per session (with reasons justifying such payment, duly recorded by the Head of CTI)

2. The above rates were based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission and accordingly the pattern followed by the DoPT and LBSNAA, Mussoorie for the purpose of grant of honorarium payable to Guest Faculty was made applicable to all CTIs for Group A Services.

3. A number of references have been received in DoP&T from various CTIs for revision of fees/honorarium. The matter was considered and it is hereby clarified that the fees/honorarium for guest speakers can be decided by respective Ministries/Departments in consultation with their IFD and with approval of the Competent Authority.

4. There will be no change in the other conditions as mentioned in DoPT's O.M. referred above.


(Rajesh Arya)
Director (Trg.)

Tele No.011-26107956

To
All Ministries/Departments of Government of India (as per standard list)
All Central Training Institutes

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जून, 2016

कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन : मानदेय के संबंध में स्पष्टीकरण ।

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में दिनांक 29 फरवरी, 2016 को एक समसंख्यक कार्यालय जापन जारी किया गया था । उक्त कार्यालय जापन के पैरा 2(6) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के का.जा. सं. 13024/01/2009-प्रशिक्षण के अनुसार मानदेय दिए जाने का उल्लेख किया गया है । इसी क्रम में वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) से प्राप्त अनुमोदन (डायरी संख्या 3317673, दिनांक 14/06/2016) के आधार पर सरकारी कार्मिकों के हिंदी में कार्य करने के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

- (क) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 500/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा । किसी भी वक्ता को एक वर्ष में पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में देय राशि 5000/- रुपए से अधिक नहीं होगी ।
- (ख) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अतिथि वक्ताओं को 75 मिनट के प्रति सत्र के लिए 1000/- रुपए का पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा । 5000/- रुपए प्रति वर्ष देय पारिश्रमिक/मानदेय की सीमा इस श्रेणी पर लागू नहीं होगी ।


(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस जापन को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.जा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।


(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय जापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय जापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलतः हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्टूबर 2012 के कार्यालय जापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

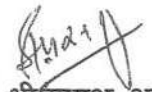
पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय जापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

3. यह कार्यालय जापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को अपने संबद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं० ॥/12013/3/87-रा०भा०(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में आलेखन/टिप्पण के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गयी नगद पुरस्कार राशि को राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं० ॥/12013/18/93-रा०भा० (नी०2) के तहत पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया गया था ।

2. उपरोक्त योजनाके अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पुनः विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर पुरस्कार राशि को पुनः दोगुना कर दिया है । बढ़ाई गई पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है:-

(क) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 2000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 1200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 600/-

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 1600/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 800/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	: प्रत्येक ₹0 600/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी । पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी ।

६/१२-१२
३०/१०/२०१२

3. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/12013/1/89-रा०भा०(क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में पुरस्कार राशि दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/12013/18/93-रा०भा०(नी०2) में दिए गए निर्देशों द्वारा 1000/- रु० कर दी गई थी। इस योजना में दी जाने वाली राशि अब 2000/- रु० कर दी गई है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 09-11-2011 के यू०आ० सं० 1(18)/E.Coord./2011 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

30/11/2012
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)

सेवा में :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवार ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
18. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची अनुसार)

परिपत्र सं० 21/88

संख्या-II/12013/3/87-रा.भा.क-28

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3.

दिनांक 16 फरवरी, 1988.

कार्यालय जापन

विषय: सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दो में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

इस विभाग के कार्यालय जापन संख्या-II/12013/1/84-रा.भा.क-28 दिनांक 25 मई, 1984 के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिन्दो टिप्पणी/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी । इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति को 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दो में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे । इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जो 25 मई, 1984 के कार्यालय जापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी । योजना का विवरण इस प्रकार है :-

2. 1.1 योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधोनस्था कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दो में करते हैं ।

॥ख॥ केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र ॥ अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ॥ में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र ॥ जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं ॥ में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें । इसमें मूल टिप्पणा व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे ।

॥ग॥ आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

॥घ॥ हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक हो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

॥३॥ पुरस्कार-

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

॥क॥ केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :-

पहला पुरस्कार ॥ 2 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु0 500/-

दूसरा पुरस्कार ॥ 3 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु0 300 /-

तीसरा पुरस्कार ॥ 5 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु0 150 /-

-----3/-

४४४ केन्द्रोय सरकार के किंसी विभाग के प्रत्येक अधोनस्थ
कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से : -----

पहला पुरस्कार २ पुरस्कार : प्रत्येक रु० ४०० /-

दूसरा पुरस्कार ३ पुरस्कार : प्रत्येक रु० २०० /-

तृतीय पुरस्कार ५ पुरस्कार : प्रत्येक रु० १५० /-

४४४ योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधोन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधोन क्षेत्रोय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा । रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधोनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

४४५ पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

४क४ मूल्यांकन करने के लिए कुल १०० अंक रखे जाएंगे । इनमें से ७० अंक हिन्दो में किए गए काम को मात्रा के लिए रखे जाएंगे और ३० अंक विचारों को स्पष्टता के लिए होंगे ।

४ख४ जिन प्रतियोगियों को मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें २० प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

४ग४ प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दो में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेगी । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अग उच्च अधिकारों द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारों को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

-----४/-

§ 68 एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दो में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारों के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा ।

§ 68 मूल्यांकन समिति

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दो प्रभारों संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारों अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दो अधिकारों/हिन्दो अधिकारों इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दो अधिकारों और एक अन्य राजपत्रित अधिकारों या राजभाषा अधिकारों इसके सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारों/कर्मचारों के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा । पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए ।

4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से लिया जाएगा । विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है । इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि.सं. एच-78/ई-III/87, दिनांक 27.1.88 द्वारा दे दी है ।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी ।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना को

.....5/-

अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तुरन्त परिचालित करें और अपने मंत्रालय/विभाग में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करें। गाँवे अपने सभी संबद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों को भी इस योजना के बारे में तुरन्त अवगत कराएं और उन्हें भी अपने सभी कार्यालयों में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करने के आदेश दें। वे अपने नियंत्रण अधोन उपक्रमों, निगमों आदि को भी इस योजना के बारे में जानकारी दें और उन्हें इस आधार पर अपने कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने के लिए प्रेरित करें।

7. इस संबंध में की गई कार्रवाई को सूचना इस विभाग को कृपया साप्ताहिक/मासिक दी जाए।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारो : की की समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दो के मूल काम को साप्ताहिक विवरणी।
विवरणी

क्रम सं०	तिथि	कुल फोइलों, रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिन में हिन्दो में काम किया गया।	हिन्दो में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या।	हिन्दो में किए गए और काम सक्षिप्त शब्दों की संख्या।	उच्च अधिकार के हस्ताक्षर सप्ताह में एक बार।
1.	2.	3.	4.	5.	6. 7.

गोविन्द दास वेलिया
गोविन्द दास वेलिया
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. भारत का निर्वाचन आयोग

सं. 11/12013/18/93-रा भा. ॥नी. 2॥

भारत सरकार,
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

-0-

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-3 दिनांक 16 फरवरी 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज ॥टिप्पण/आलेखन॥ मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11/12013/3/87-रा. भा. ॥क-2॥ के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 में जो नगद पुरस्कार देने का प्रावधान रखा गया था, उन पुरस्कार राशिओं को पहले के मुकाबले दुगुना कर दिया गया है अर्थात् :

॥क॥ केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार ॥2 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 1000/-
दूसरा पुरस्कार ॥3 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 600/-
तीसरा पुरस्कार ॥5 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 300/-

॥ख॥ केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार ॥2 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 800/-
दूसरा पुरस्कार ॥3 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 400/-
तीसरा पुरस्कार ॥5 पुरस्कार॥	:	प्रत्येक रु० 300/-

....2/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल, 1998 से लागू मानी जाएगी।

2. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/1/89-रा.भा. ॥क-2॥ के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में पुरस्कार राशि लगभग 500/- रु० रखी गई थी। इस पुरस्कार राशि को भी वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की स्वीकृति के आधार पर बढ़ाकर दुगुना अर्थात् 1000/- रु० कर दिया गया है। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। इस योजना में दी जाने वाली बढ़ी हुई राशि भी पहली अप्रैल, 1998 से लागू मानी जाएगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 3.8.98 के यू.ओ. सं० 1/॥51॥ई.कोर्ड/98 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

बृजमोहन सिंह भगी
निदेशक नीति

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली.
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली.
4. भारत कानूनिक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली.
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली.
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली.
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली.
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली.
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली.
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली.

....3/-

11. योजना आयोग, नई दिल्ली.
12. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली.
13. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली.
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.
15. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एकस-चाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली.
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक कायान्वयन 2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ.
18. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कायान्वयन कार्यालय संलग्न सूची अनुसार.
19. अतिरिक्त प्रतियां 100

(17)

(344)

प्राप्त सं. 11.2.89

संख्या- II/12313/1/89-रा0भा0क-28

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

(78)

(353)

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 6 मार्च, 1989

कार्यालय आपन

विषय: अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन-
मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 सितम्बर, 1988 को इस विभाग के कार्यालय आपन सं०-II/20015/62/88-रा0भा0क-28 के अन्तर्गत सभी मंत्रालय/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने कार्यालयों में प्रति वर्ष एक ऐसे अधिकारी को भी पुरस्कार के लिए चुनें जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में दे। यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि संभव हो तो हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार रखे जाएं। कई मंत्रालय/विभागों ने अनुरोध किया है कि ऐसी योजना शुरू करने के लिए उन्हें मार्गदर्शिका दिया जाए। अतः नीचे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये जा रहे हैं जिनके आधारे पर संबंधित मंत्रालय/विभाग इस योजना को लागू कर सकते हैं :-

- §1§ ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- §2§ योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी जाए। वित्तीय वर्ष 1989-90 के शुरू होने से पहले इस योजना के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी दे दी जाए।
- §3§ योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा दिये गये डिक्टेशन के बारे में रिकॉर्ड रखें।

रिकार्ड उनके स्टेनो/निजी सहायक भी रख सकते हैं।
उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी
का होगा। यह रिकार्ड संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा
निर्धारित किये गये प्रोफार्मा नमूना संलग्न है। ये रखा जा
सकता है अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा एक फोल्डर रखा
जा सकता है जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम,
डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का
नाम अंकित हो तथा दिये गये डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित
फाइल क्रमांक के साथ रखी गई हों।

§4§ पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लगभग 500/- रुपये का पुरस्कार
रखा जा सकता है। पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं।
एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिन्का घोषित
निवास स्थान "क" तथा "ख" क्षेत्र के अंतर्गत हो, और दूसरा
पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिन्का घोषित निवास
स्थान "ग" क्षेत्र में हो।

§5§ सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं बना
सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिन्दी डिक्टेशन
कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। "कार्यालय"
से तात्पर्य सामान्यतः उस कार्यालय से होगा जिसका
स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष
घोषित किया गया हो।

§6§ पुरस्कार निर्धारित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी
को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जा सकता है, अथवा
इस हेतु एक समिति गठित की जा सकती है।

2. क्योंकि यह योजना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त
मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर लागू की जा सकती है, वे ही इस संबंध में
विस्तृत व्यवस्था करने के लिए सक्षम होंगे, जैसे कि यह तय करना कि योजना
के अंतर्गत होने वाला व्यय किस शीर्ष के अंतर्गत आहरित किया जाए। अतएव
मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा

प्रोफार्मा नमूना १

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्शनरी से संबंधित पुरस्कार
योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले रिकार्ड का प्रोफार्मा नमूना १

क्रम संख्या/दिनांक	डिक्शनरी से लिखे गये शब्दों की संख्या	व्याप्त संख्या	टिप्पणी
--------------------	--	----------------	---------

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

.....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

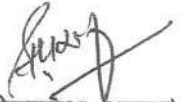
कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/18/93-रा.भा.(नी-2) के तहत अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 30 अक्टूबर 2012 का अधिक्रमण करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर रुपये 5000/- कर दिया गया है।

2. विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० II/12013/1/89-रा०भा० (क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं० 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
- ✓ 18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 04 अप्रैल, 2012

कार्यालय जापन

विषय:- हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को देय मानदेय (पारिश्रमिक) की दरों में संशोधन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय जापन सं0 14034/29/99-रा.भा.(प्रशि0) दिनांक 14.09.2000 का हवाला देते हुए अधोहस्ताक्षरी को हिंदी शिक्षण योजना / विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत नियुक्त हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक अनुदेशकों को निम्नलिखित संशोधित दरों पर मानदेय (पारिश्रमिक) देने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निर्देश हुआ है:-

अंशकालिक हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशक

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 14.09.2000 को जारी आदेश के तहत स्वीकृत मानदेय	विवरण	संशोधित स्वीकृत मानदेय
1	<u>हिंदी टंकण अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक) यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	45/- प्रतिमाह 450/- प्रतिमाह 750/- प्रतिमाह	<u>हिंदी टंकण अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) -- कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	-- 900/- प्रतिमाह 1500/- प्रतिमाह
2	<u>हिंदी आशुलिपि अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह (1 से 5 तक) यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 06 से 10 तक हो यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	90/- प्रतिमाह 750/- प्रतिमाह 1050/- प्रतिमाह	<u>हिंदी आशुलिपि अनुदेशक</u> (केवल सरकारी सेवकों के लिए) -- कम से कम 10 प्रशिक्षार्थी यदि प्रशिक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक हो	-- 1500/- प्रतिमाह 2100/- प्रतिमाह

नोट:- पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लेह लद्दाख, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी नहीं मिलते, पर प्रशिक्षार्थियों की सीमा कम से कम 5 निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में इन केंद्रों पर कार्यरत अंशकालिक हिंदी टंकण अनुदेशक को 900/- एवं हिंदी आशुलिपि अनुदेशकों को 1500/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

2. इस संबंध में अन्य शर्तें उसी प्रकार लागू रहेगी जैसी कि इस विभाग के दिनांक 07 सितंबर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12013/56/74-एच/1/रा.भा.(डी) में उल्लेख किया गया है।
3. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी संख्या-65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है।
5. मानदेय की ये संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगी।


(सुरेश भान)

उप सचिव (प्रशि.)

सेवा में,

1. सभी महालेखाकार।
2. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. हिंदी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी।
5. सभी उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनकी टिप्पणी डायरी संख्या 65243/JS(Fin./Pers) ||/2011 दिनांक 15.12.2011 के संदर्भ में।
7. गार्ड फाईल।

D:\ P&C-fresh\training sec.doc

सं.13034/12/2009-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

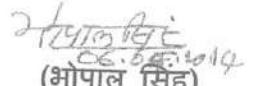
एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 6 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देना।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 13017/4/90-रा.भा(ग), दिनांक 28.07.1998 का संदर्भ लें।

2. इस प्रोत्साहन राशि को 06 मई, 2014 से आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए क्रमशः रु. 240/- तथा रु. 160/- प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का.ज्ञा.सं. 14012/55/76-रा.भा.(ग) में इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जो शर्तें दी गई हैं, वे लागू रहेगीं।


(मोहान सिंह)
निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं।

संख्या II/12013/4/2005-रा.भा.(नी.-2)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्टूबर, 2005.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को शामिल किया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/15/91-रा.भा.(क-2) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा । इस संदर्भ में अब यह निर्णय लिया गया है कि इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना को और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी को भी इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाए ।

2. तदनुसार इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से निम्नलिखित 6 श्रेणियों के लिए शील्ड/पुरस्कार दिए जाएंगे-

- (1) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
- (2) भारत सरकार के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
- (3) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
- (4) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
- (5) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के लिए समेकित रूप से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड ,

(6) व्यक्तियों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार ।

3. उपरोक्त पांचवीं श्रेणी में शामिल बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के मुख्यालय, 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थितिवार, विचार क्षेत्र में होंगे । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे । पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने अधीन बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के मुख्यालयों को परिचालित कर दें ताकि वे इस योजना में भाग ले सकें और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें ।

(बृज मोहन सिंह नेगी)
निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ।
4. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ।
5. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
6. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय ।
7. अनुसंधान एवं पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग ।

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त, 2005

संकल्प

सं० II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) : तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.10.2000 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए वर्ष, 2005-06 से (वर्ष 2004-05 में प्रकाशित पुस्तकों के लिए) नई पुरस्कार योजना जारी की जाती है जिसका नाम “राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना” है। इस योजना के विनियम निम्नलिखित हैं :-

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान - विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम

- 1.नाम : इन विनियमों का नाम “राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम” है।
- 2.परिभाषाएं : इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (i) “योजना” से अभिप्राय है “तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना”।
 - (ii) “पुस्तक” से आशय प्रकाशित पुस्तक से है।
 - (iii) “विनियम” से अभिप्राय है : “राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम”
 - (iv) “वर्ष” से अभिप्राय है : “ वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा ”
- 3.उद्देश्य : योजना का उद्देश्य तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों के बारे में उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इन विषयों में समसामयिक विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।
- 4.पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	- दो लाख रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार (एक)	- एक लाख पच्चीस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)	- पचहत्तर हजार रुपए, प्रमाण-पत्र तथा स्मृति चिन्ह
सांत्वना पुरस्कार (दस)	- दस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को
- 5.अवधि : योजना के अंतर्गत किसी वर्ष में पुरस्कार के लिए विचारार्थ पुस्तकें उसके ठीक पिछले वर्ष में प्रकाशित पुस्तकें ही होंगी।

6. पुरस्कार के लिए पात्रता :

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है, उदाहरणार्थ (सूची पूरी नहीं है):-

- (i) इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान,....
- (ii) समसामयिक विषय - जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण.....

(2) भारत का कोई नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।

(3) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उसके तत्काल पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी ।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(5) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(6) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रविष्टि पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(7) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(8) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

7. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टि विनियमों के अंत में दिए गए प्रपत्र में भेजी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी होंगी, जो वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय - वस्तु परस्पर भिन्न हों ।

(iv) प्रविष्टियां निम्न पते पर परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुँच जानी चाहिए :-

अनुसंधान अधिकारी,
कार्यान्वयन अनुभाग, राजभाषा विभाग,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003

- (v) इस विनियम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियाँ न भेजे जाने पर उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

8. मूल्यांकन समिति :

- (1) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।
- (2) प्रविष्टियाँ भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे ।
- (3) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।
- (4) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी ।
- (5) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।
- (6) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।
- (7) मूल्यांकन समिति के सदस्य राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे।

9. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा । पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान के बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए प्रथम श्रेणी भारतीय रेल का किराया मिलेगा तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

10. सामान्य :

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा ।
- (ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- (iii) मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान -विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना

1. पुस्तक का नाम
2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है
3. (i) लेखक/लेखकों का नाम.....
(ii) पूरा पता.....
(iii) दूरभाष संख्या.....
4. (i) प्रकाशक का नाम.....
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
(iii) मूल्य.....
(iv) प्रकाशन वर्ष.....
(v) कापी राइट किसके अधीन है.....
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हां,
तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;
(क) किस वर्ष में भेजी गई.....
(ख) किसे भेजी गई.....
(पूरा पता).....
.....
(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें.....
.....
6. क्या लेखक को **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** के
अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें -
(i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक.....
(ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....
(iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....
(iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....
(v) प्रकाशक का पूरा पता.....
(vi) पुस्तक का मूल्य.....
7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि -
(1) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं ।
(2) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है.
(3) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी
अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है.

मैं/हम बचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम “राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना” विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे.

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

नोट:1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित

‘अनुसंधान अधिकारी,
कार्यान्वयन अनुभाग, राजभाषा विभाग,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003’

को भेजा जाए.

2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए.

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

(एम. एल. गुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा)

II/12013/02/2003-रा.भा.(नीति-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 18 अक्टूबर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन ।

केन्द्रीय हिंदी समिति की दिनांक 18 सितम्बर, 1985 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना आरंभ हुई थी । इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की स्वीकृति से बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है अर्थात् :

1. प्रथम पुरस्कार	-	40,000/- रूपए
2. द्वितीय पुरस्कार	-	30,000/- रूपए
3. तृतीय पुरस्कार	-	20,000/- रूपए
4. प्रोत्साहन पुरस्कार	-	10,000/- रूपए

2. उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू है । यह बढ़ी हुई राशि वा 2006-07 से प्रारंभ मानी जाएगी । उपर्युक्त संशोधनों के अलावा बाकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/02/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित हैं, पूर्ववत् रहेंगी ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें । इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें ।

(बृजमोहन सिंह नेगी)

निदेशक (नीति)

दूरभा: 24617 764

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सं0-14011/01/2014-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली- 110001
दिनांक 04 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

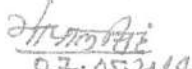
विषय: इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना में संशोधन।

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए अब पुरस्कार राशि में 50% वृद्धि की गई है अर्थात्:

1. प्रथम पुरस्कार	60,000/- रुपये
2. द्वितीय पुरस्कार	45,000/- रुपये
3. तृतीय पुरस्कार	30,000/- रुपये
4. प्रोत्साहन पुरस्कार	15,000/- रुपये

2. यह पुरस्कार योजना केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सीमित नहीं रहेगी बल्कि बैंकों, सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होगी। यह बढ़ी हुई पुरस्कार राशि वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ मानी जाएगी। उपर्युक्त संशोधनों के अलावा इसकी सभी शर्तें, जो कि इस विभाग के दिनांक 30.07.1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा.(क-2) में वर्णित हैं, पूर्ववत् रहेंगी।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस संशोधित योजना के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवायें।


07.05.2014
(मोपाल सिंह)
निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं।

20012/10/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

1/8

23 AUG 2017



चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 9 अगस्त, 2017

कार्यालय जापन

विषय : हिंदी में पुस्तक लेखन और विशेष प्रोत्साहन।

संसदीय राजभाषा समिति की 9वें खंड की संस्तुतियों पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प के रूप में दिनांक 31.03.2017 को जारी किए गए थे।

2. समिति ने संस्तुति सं० 53 में लिखा है कि मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए। इस संस्तुति को माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया है।

3. समिति ने संस्तुति सं० 54 में लिखा है कि सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए। इस संस्तुति को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

4. उक्त संस्तुतियां संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गई हैं तथा इसे माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वीकार करके अनुपालन के आदेश भी दिये हैं। अतः केंद्र सरकार मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में उक्त संस्तुतियों का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक - संस्तुति सं 53,54

(डॉ० श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

53	मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
54	सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कर्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
55	अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए। इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
56	समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
57	समिति का मत है कि एयर इंडिया अपनी समय सारणी द्विभाषी रूप में छपवाएं ताकि नियमों की अवहेलना न हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
58	समिति यह संस्तुति करती है कि स्वागत पत्रिका को पुनः एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। एयर इंडिया द्वारा प्रकाशित 'शुभयात्रा' पत्रिका एक ही जिल्द में द्विभाषी छपवाया जाए।
59	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से गोपनीय रिपोर्ट के फार्म में एक अलग कॉलम "हिंदी में लेख आदि लिखने की क्षमता" पर विचार करें।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
60	समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिंदी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
61	रेल मंत्रालय द्वारा भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र/ उपकरण ही खरीदे जाएं और प्रयोग में लाए जाएं	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

...

दिनांक: 25 मार्च, 2015

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं.11/12013/2/85-रा.भा.(क.2) दिनांक 30.7.1986, सं. 11/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) दिनांक 8.8.2005 एवं का.ज्ञापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 (उत्कृष्ट लेखों के लिए) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरू की जाती है जिसका नाम "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" है। इसके तहत निम्नलिखित पुरस्कार योजनाएं हैं:-

- (क) भारत के नागरिकों को हिन्दी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।
 - (ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।
 - (ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- (क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना।
1. **नाम** : इस योजना का नाम हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है।
 2. **परिभाषाएं**: इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - I. "योजना" का अभिप्राय है "तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना।"
 - II. 'मौलिक' से अभिप्राय है "मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक। पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद योजना में शामिल नहीं होगा।
 - III. "पुस्तक" से आशय प्रकाशित पुस्तक से है।

IV. "वर्ष" से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय- कैलेण्डर वर्ष ।

3. **उद्देश्य:** केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों इत्यादि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है । ज्ञान -विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है क्योंकि तकनीकी विषयों पर पुस्तकों की कमी है । ऐसे विषयों पर सरकारी कामकाज को हिन्दी में करते हुए कर्मिकों को कठिनाई आती है क्योंकि वे ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी शब्दावली से अनभिज्ञ होते हैं । इसका मुख्य कारण ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों का कम उपलब्ध होना है । इस क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है ।

4. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)- 2,00,000/-रु. (दो लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार (एक)- 1,25,000/-रु. (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)- 75,000/-रु. (पचहत्तर हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)- 10,000/-रु. (दस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

5. पात्रता:

(1) लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए ।

(2) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है,

उदाहरणार्थ-

- I. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष ।
विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान इत्यादि
- II. समसामयिक विषय- जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि ।

6. सामान्य शर्तें :

- (i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।
- (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

- (iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- (iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- (v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।
- (vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सह-लेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है । सह लेखक को पुरस्कार में अनुपातित राशि ही प्रदान की जायेगी ।
- (viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।
- (ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।
- (x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

7. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- (i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।
- (iii) निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रविष्टि विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।
- (iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

8. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी । समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-

सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों भी शामिल किए जा सकते हैं । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

- | | | |
|--|---|------------|
| क. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग | - | अध्यक्ष |
| ख. दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे | - | सदस्य |
| ग. निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग | - | सदस्य-सचिव |

- (1) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।
- (2) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।
- (3) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी ।
- (4) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (5) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।
- (6) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।
- (7) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

9. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

10. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/प्रकाशक का कापीराइट बना रहेगा ।
- (ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

11. योजना शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

प्रपत्र

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव

पुरस्कार - वर्ष -----

1. पुरस्कार योजना का नाम:
2. पुस्तक का नाम :
3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम :
- (ii) पूरा पता(पिन कोड सहित) :
.....
.....
- (iii) दूरभाष..... फैक्स संख्या.....
- (iv) मोबाइल फोन नं. :
- (v) ई-मेल :
4. (i) प्रकाशक का नाम :
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता :
- (iii) प्रकाशन का वर्ष :
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
.....
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि -
(i) मैंपुत्र/पुत्री श्रीभारतीय नागरिक हूँ ।

(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(ख)केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :

केन्द्रीय सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू की जाती है जिसके अन्तर्गत पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होगी:-

प्रथम पुरस्कार-	1,00,000/-रु. (एक लाख रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार-	75,000/-रु. (पचहत्तर हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार-	60,000/-रु. (साठ हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार-	30,000/-रु. (तीस हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

1. परिभाषाएं: इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- I. "योजना" का अभिप्राय है केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
- II. "पुस्तक" से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।
- III. "वर्ष" से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय- कैलेंडर वर्ष ।

2. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है ।

3. पात्रता :

- (i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों।
- (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें ।

4. सामान्य शर्तें :

- (i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।
- (ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनुवादित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।
- (iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । उपरविषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- (iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।
- (v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।
- (vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।
- (vii) यदि किसी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है ।
- (viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।
- (ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।
- (x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- (i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।
- (ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।
- (iii) निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रविष्टियां विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।
- (iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपलब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

- क. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग - अध्यक्ष
ख. दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे - सदस्य
ग. निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग - सदस्य-सचिव

- (i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।
- (ii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।
- (iii) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी । मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।
- (iv) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (v) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।
- (vi) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:

- (i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।
- (ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. सामान्य सूचना:

- (i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा ।

- (ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।
- (iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

9. योजना शिथिल करने का अधिकार :

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन योजनाओं के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

प्रपत्र

**केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवा निवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा
गौरव पुरस्कार - वर्ष**

1. पुरस्कार योजना का नाम :
2. पुस्तक का नाम :
3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम :
(ii) पूरा पता(पिन कोड सहित) :
.....
.....
(iii) दूरभाष..... फैक्स संख्या.....
(iv) मोबाइल फोन नं.
(v) ई-मेल
4. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता.....
(iii) प्रकाशन का वर्ष
5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं
यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें
.....
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैंपुत्र/पुत्री श्रीभारतीय नागरिक हूँ ।

(ii) मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय में कार्यरत हूँ/से सेवानिवृत्त हूँ । (केवल राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के लिए लागू)

(iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.....

दिनांक:.....

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर.....

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को (सेवा निवृत्त सहित) हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरवपुरस्कार ।

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट हिन्दी लेखों के लेखकों हेतु वर्ष 2013-14 में शुरू की गई पुरस्कार योजना का.जापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना जारी की जाती है । जिसका नाम हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' है । योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों के 6 पुरस्कार दिए जाएंगे:-

हिन्दी भाषी

हिन्दीत्तर भाषी

प्रथम-	20,000/-रु.	(बीस हजार रुपए)	25,000/-रु.	(पच्चीस हजार रुपए)
द्वितीय-	18,000/-रु.	(अठारह हजार रुपए)	22,000/-रु.	(बाईस हजार रुपए)
तृतीय-	15,000/-रु.	(पन्द्रह हजार रुपए)	20,000/-रु.	(बीस हजार रुपए)

पात्रता:

- (क) केन्द्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक ।
- (ख) उक्त लेख विभागीय अथवा किसी भी पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए।
- (ग) मंत्रालय अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्मिकों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के लेख वित्तीय वर्ष के आधार पर शामिल कर सकता है ।
- (घ) हिन्दी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों का माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो ।
- (ङ) हिन्दीत्तर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो ।
- (च) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी ।

मूल्यांकन प्रक्रिया :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा । इस चयन के लिए हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा । मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे । राजभाषा विभाग मंत्रालयों से प्राप्त लेखों को मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवाकर तीन पुरस्कार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए चयन करेगा । पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेखकर दिया जाएगा ।

प्रपत्र

नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	लेख का विषय	संपर्क सूत्र: फोन, मोबाइल, ईमेल आदि

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (1) निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
- (2) सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
- (3) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
- (4) राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (5) प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
- (6) मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (7) योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- (8) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
- (9) लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
- (10) लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (11) राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- (12) संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
- (13) निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
- (14) राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
- (15) सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
- (16) अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

दिनांक: 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या II/12013/2/85-रा.भा.(क.-2) दिनांक 30.07.1986, संख्या II/12013/1/2000-रा.भा.(नी.-2) दिनांक 08.08.2005 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 11014/11/2013 - रा.भा.(प) दिनांक 02.05.2013 एवं संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 के अनुक्रम में "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से उक्त योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए गए हैं:

- (i) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार मंच पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किए जायेंगे। प्रोत्साहन पुरस्कार अलग से प्रदान किए जायेंगे।
- (ii) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी नकद पुरस्कार डायरेक्ट बेंनेफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) योजना के अनुरूप हिंदी समारोह से पहले ही ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। समारोह में केवल स्मृति चिह्न/प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए पुरस्कार विजेताओं के आधार नं० व बैंक संबंधी विवरण लिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।



(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

15. साचव (राजभाषा) क वारेष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग ।


(डॉ. बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

...

दिनांक: १५ मार्च, 2015

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.7.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/2/85-राजभाषा (क.2) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरू की जाती है जिसका नाम "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:-

- (क) मंत्रालय/ विभाग
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- (ग) बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि
- (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक
- (ङ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
- (च) हिन्दी गृह पत्रिका

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले उपरोक्त कार्यालयों/ संस्थानों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जायेंगे।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें
	300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें
	ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें
	ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें

बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क, ख तथा ग क्षेत्र के लिए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित एक-एक न.रा.का.स. को	03 शील्डें
हिन्दी गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पूनम जुनेजा
(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति)

नई दिल्ली, दिनांक १५ मार्च, 2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

दिनांक 31 अक्टूबर 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

पत्रिकाओं से संबंधित

- (क) I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता - 20 अंक
 - II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 30 अंक
 - III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण - 20 अंक
 - IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर - 20 अंक
 - V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात - 10 अंक
 - VI. छपे लेखों की मौलिकता - 30 अंक
2. गृह-पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।

लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

- I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता - 20 अंक
- II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता - 20 अंक
- III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता - 15 अंक

IV. समसामयिक विषय - 20 अंक

V. विचारों की मौलिकता - 25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) - अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार, मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली । अक्टूबर
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।
17. निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फा0 सं0 13034/20/2009-रा.भा.(नी.स.)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

20 APR 2009

लोकनायक भवन, नई दिल्ली

दिनांक 2 अप्रैल, 2009

कार्यालय जापन

06 APR 2009

विषय :- विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती में समस्या।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती करने में आ रही समस्या के संबंध में श्रीमती प्रतिभा मोहन, सदस्य, कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त तारीख 5 मार्च, 2009 के अर्ध-शासकीय पत्र सं0 10/3/2006 आर.एच.क्यू.(पार्ट) की प्रति संलग्न है। आयोग ने कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन कार्यालयों के संबंध में चयन पद्धति के माध्यम से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती न करने का नीतिगत निर्णय लिया है जिनके उक्त पद के भर्ती नियम, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के भर्ती नियमों से भिन्न हैं। अतः आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों को सूचित किया है कि वे कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर चयन पद्धति के माध्यम से भर्ती करने के मांगपत्रों को स्वीकार न करें। आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों को यह भी सलाह दी है कि वे उपयोगकर्ता विभागों से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने का अनुरोध करें ताकि उन्हें केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के भर्ती नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने के परिणामस्वरूप व्यय विभाग ने अपने तारीख 24 नवम्बर, 2008 एवं 27 नवम्बर, 2008 के कार्यालय जापन सं.1/1/2008-आई.सी. (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से बाहर केंद्र सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विद्यमान समान पदाभिहित पदों के लिए वही वेतनमान मंजूर किए गए हैं जो केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा को प्रदान किए गए हैं।

3. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने उन कार्यालयों को छोड़कर, जिनमें कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए मानक भर्ती नियम हैं, अन्य अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दें ताकि आयोग, खुली परीक्षा के माध्यम से उनके लिए उपर्युक्त पद के लिए भर्ती कर सकें। इससे न केवल आयोग को सुविधा होगी बल्कि अधीनस्थ कार्यालयों को भी पात्र अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में समय पर उपलब्ध हो सकेंगे।

नृपराज इशे इरर मंत्रालय
के प्रशासनिक निदेशों के
अधीन कार्य कर रहे हैं।
संलग्न (अधीनस्थ कार्यालयों)

(चन्द्र प्रकाश)

उप-सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और सेवा-राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन के
प्रति :- कर्मचारी चयन आयोग को उनके तारीख 5.3.2009 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 10/3/2006-
आर.एच.क्यू.(पार्ट) के संदर्भ में।

4

F.No.1/1/2008-IC
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Implementation Cell

New Delhi, dated the 24th November, 2008.

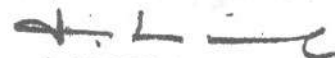
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised pay scales for Official Language posts in various subordinate offices of the Central Government.

Consequent upon the implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission, this Department has received queries from many Ministries/Departments regarding the revised pay structure applicable in the case of Official Language posts existing in subordinate offices of the Central Government. In this connection, it is clarified that in accordance with the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government, similarly designated posts existing outside the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre in various subordinate offices of the Central Government have been granted the same pay scales as those granted to CSOLS. The Government has notified the following revised pay structure for the Official language cadre belonging to CSOLS: -

Designation	Recommended pay scale	(In Rs.) Corresponding Pay Band & Grade Pay	
		Pay Band	Grade Pay
Jr. Translator	6500-10500	PB-2	4200
Sr. Translator	7450-11500	PB-2	4600
Asstt. Director (OL)	8000-13500	PB-3	5400
Dy. Director (OL)	10000-13500	PB-3	6100
Jt. Director (OL)	12000-16500	PB-3	6600
Director (OL)	14300-18300	PB-3	7600

2. Accordingly, w.e.f. 1.1.2006, all Ministries/Departments etc., are required to grant the revised pay scales approved for various posts in the CSOLS to similarly designated Official Language posts existing in their subordinate offices.


(ALOK SAXENA)
DIRECTOR (IC)

To:

All Ministries/Departments of Government of India as per standard mailing list.

Copy to:

All FAs by name

5

F.No.1/1/2008-IC
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Implementation Cell

New Delhi, dated the 27th November, 2008.

CORRIGENDUM

Subject: Revised pay scales for Official Language posts in various subordinate offices of the Central Government.

In partial modification of this Department's O.M. of even number dated 24th November, 2008 (copy enclosed), the table in para 1 of the said O.M. may be read as under: -

Designation	Recommended pay scale	(in Rs.) Corresponding Pay Band & Grade Pay	
		Pay Band	Grade Pay
Jr. Translator	6500-10500	PB-2	4200
Sr. Translator	7450-11500	PB-2	4600
Asstt. Director (OL)	8000-13500	PB-3	5400
Dy. Director (OL)	10000-15200	PB-3	6600
Jt. Director (OL)	12000-16500	PB-3	7600
Director (OL)	14300-18300	PB-4	8700

2. All Ministries/Departments etc., are required to grant the revised pay structure as indicated in the table above, which has been approved for various posts in the CSOLS, to similarly designated Official Language posts existing in their subordinate offices.


(ALOK SAXENA)
DIRECTOR (IC)

To: All Ministries/Departments of Government of India as per standard mailing list.

Copy to:

All FAs by name

235/Div(5)109
1813.



Pratibha Mohan
Member
Tel : 2436 0547

D.O.NO.10/3/2006/RHQ(Pl.)

अ० शा० पत्र सं०.....

भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-12, सी० जी० ओ० कम्प्लेक्स, लोधी रोड

D.O. No.....

GOVERNMENT OF INDIA
STAFF SELECTION COMMISSION

DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING

Block-12, C.G.O. Complex, Lodhi Road,

नई दिल्ली - 110003

Dated 5th March, 2009

New Delhi-110003 the

Dear Shri Pandey,

उत्तराखण्ड सरकार
23/09

I am writing this in connection with recruitment to the post of Junior Hindi Translator for various offices of the Government of India. The Staff Selection Commission conducts an All-India Competitive Examination for filling up the vacancies of Junior Hindi Translator in CSOLS and Junior Translators in various subordinate offices of the Government of India. The Commission also receives requisitions for the post of Junior Hindi Translator from various Departments/offices where the Recruitment Rules are not in conformity with the Recruitment Rules of either the CSOLS or the Subordinate Offices. Such vacancies cannot be filled up through the Open Competitive Examination due to variance in the Essential Qualifications, Age Limit, etc. The Commission is, therefore, forced to make recruitment to these vacancies in piecemeal through Selection method. The Commission has been facing lot of difficulties in making recruitment to these vacancies through selection method. The Commission is forced to conduct a separate skill test for filling up of these isolated vacancies of Junior Hindi Translator. Moreover, in many cases where recruitment has been done through selection method, the Commission has not been able to get sufficient number of eligible/qualified candidates. The entire selection process, therefore, becomes infructuous.

2. Keeping in view the above difficulties, the Commission has taken a policy decision not to make recruitment to the post of Junior Hindi Translator through selection method in respect of requisitions where RRs are at variance with model RRs of DOP&T received after 30th of May, 2008. The Commission has, accordingly, advised the Regional Directors not to accept requisitions for the post of Junior Hindi Translators after the cut off date for recruitment through selection method. The Commission has also advised the Regional Directors to address the user Departments requesting them to amend the Recruitment Rules for the post of Junior Hindi Translator suitably with a view to bring them at par with the Recruitment Rules of either CSOLS or the Subordinate Offices.

Contd...2

matter was
again discussed
in (or) when D(Other)
& also present. J(Or)
red to D(Or) to
with this

DS(Policy)

18/3/09

77

3. The Departmental of Official Language being the nodal agency is, therefore, requested to address Departments/offices of the Government of India other than those offices having standard Recruitment Rules for JHT, to amend the Recruitment Rules for the post of Junior Hindi Translator so that the Commission can meet their requirements through Open Examination. This will not only help the Commission but also ensure timely availability of sufficient number of eligible candidates to the user departments.

4. I shall be grateful for an early action in the matter under intimation to the Commission.

With regards,

Yours sincerely,

P. Mohan

(Pratibha Mohan)

Shri D.K. Pandey,
Joint Secretary (Official Language),
Deptt. of Official Language,
Room No.8-C, 2nd Floor,
Lok Nayak Bhawan,
Near Khan Market,
New Delhi - 110 003.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1,
दिनांक: 21.06.2016

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान / केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो / केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग / क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति ।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किए गए कार्यालय आदेश संख्या 14034/23/2009-रा.भा.(प्रशि), दिनांक 15.02.2012 एवं 13034/03/2014-रा.भा.(प्र/ब.), दिनांक 05.03.2014 का अवक्रमण करते हुए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों व केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए सुविचारित नई स्थानांतरण नीति बनाई जाती है। इस स्थानांतरण नीति के निम्नलिखित प्रावधान होंगे :-

- (क) सामान्यतया स्थानांतरण कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा ।
- (ख) अधिकारियों/कर्मियों का कार्य-निष्पादन (Performance), स्थानांतरण करने का आधार माना जाएगा । उत्कृष्ट निष्पादन करने पर यथासंभव मनचाहे स्थान पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। असंतोषजनक निष्पादन की स्थिति में अनिवार्यतः 'कठिन' जगह में स्थानांतरण किया जाएगा।
- (ग) ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्र अथवा दक्षिण क्षेत्र के लिए ही हुई है, का स्थानांतरण, नए अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद अथवा कम से कम 07 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने के बाद ही किया जाएगा । अन्य स्थानों के लिए भी यह अवधि 07 वर्ष ही रहेगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर यथासंभव, कार्य-आवश्यकता को देखते हुए उनके ऐच्छिक स्थान पर किया जाएगा । ऐसे प्रस्ताव/अनुरोध जिसमें अधिकारी अपने पुराने कार्यस्थल पर स्थानांतरण निवेदन कर रहा हो, को उनके पुराने स्थान से कार्यमुक्त करने की तिथि से 03 वर्ष से पहले, उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- (घ) ऐसे कर्मिक, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते हैं, को यथासंभव अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- (ङ) ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान पूर्वोत्तर या दक्षिण क्षेत्र में सेवा नहीं की है उनकी पदोन्नति होने पर उन्हें इन क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा ; बशर्ते उनकी अधिवर्षिता की सेवा 02 साल से कम न हो । यदि वे नए पदस्थापन में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति अस्वीकार की है तथा नियमानुसार वे पदोन्नति से डिबार (तदर्थ प्रोन्नति के मामले में एक वर्ष एवं नियमित प्रोन्नति में तीन वर्ष) हो जाएंगे ।
- (च) यदि पति एवं पत्नी दोनों भारत सरकार के कर्मिक हैं, तो दोनों को एक स्टेशन (कार्यस्थल) पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा ।

- (छ) इन कार्मिकों के स्थानांतरण सामान्यतया सत्र अप्रैल से जुलाई माह तक किए जाएंगे ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई एवं प्रशिक्षण कार्य में विशेष व्यवधान न आए ।
- (ज) किसी कार्मिक की पदोन्नति होने पर उसे अन्य जगह में अनिवार्यतः पदस्थापित किया जाएगा बशर्ते उनकी अधिवर्षिता की सेवा 02 साल से कम न हो । यदि नए पदस्थापन में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो प्रोन्नति नहीं मिलेगी एवं डिबार (तदर्थ प्रोन्नति के मामले में एक वर्ष एवं नियमित प्रोन्नति में तीन वर्ष) हो जाएंगे ।
- (झ) कार्य की आवश्यकता के अनुसार या विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में किया जा सकेगा । किन्तु इसके लिए निदेशक/विभागाध्यक्ष को स्थानांतरण का औचित्य फाइल में रिकार्ड करना होगा ।
- (ञ) मानवीय आधार पर स्थानांतरण जैसे पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती, चिकित्सा आधार पर तैनाती, विकलांग कार्मिकों तथा ऐसे कार्मिकों जिनके बच्चे मानसिक रोगी हैं, जैसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक यथासंभव विचार किया जाएगा तथा इन कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा ।
- (ट) ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में गए हुए हैं, उनके प्रत्यावर्तन के समय जिन कार्यस्थलों पर रिक्ति होगी, उन्हें उन कार्यस्थलों पर ही तैनात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किए गए कार्यस्थल पर प्रत्यावर्तित होने के बाद दोबारा तैनात करना उनका अधिकार नहीं होगा ।
- (ठ) सरकारी कार्यहित में किसी भी कार्मिक का पद सहित स्थानांतरण किसी भी केंद्र या मुख्यालय में किया जा सकता है ।
- (ड) इन कार्मिकों का स्थानांतरण एक समिति की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा (ब्यौरा पैरा 3 के अनुसार) ।

2. समूह 'ग', एम.टी.एस. एवं अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का संवर्ग क्षेत्रीय होने के कारण, उनका स्थानांतरण उसी क्षेत्र में उपर्युक्त नीति के अनुसार होगा ।

3. राजभाषा विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु गठित स्थानांतरण समितियों का विवरण निम्न प्रकार है -

(1) राजभाषा विभाग (सेवा संवर्ग)

राजपत्रित अधिकारियों हेतु-

- | | |
|---|------------|
| 1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (सेवा) | सदस्य सचिव |
| 3. राजभाषा विभाग का कोई अन्य निदेशक/उप सचिव | सदस्य |

अराजपत्रित कार्मिकों हेतु -

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | निदेशक (सेवा) | अध्यक्ष |
| 2. | राजभाषा विभाग का कोई
अन्य निदेशक/उप सचिव | सदस्य |
| 3. | अवर सचिव (सेवा) | सदस्य-सचिव |

उपरोक्त समितियों की सिफारिश पर राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.) तथा अराजपत्रित कार्मिकों के लिए संयुक्त सचिव (रा.भा.) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन)

राजपत्रित अधिकारियों हेतु -

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | निदेशक (कार्यान्वयन) | अध्यक्ष |
| 2. | राजभाषा विभाग का कोई
अन्य निदेशक/उप सचिव | सदस्य |
| 3. | अवर सचिव (कार्यान्वयन) | सदस्य - सचिव |

अराजपत्रित कार्मिकों हेतु -

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | अवर सचिव (कार्यान्वयन) | अध्यक्ष |
| 2. | राजभाषा विभाग का कोई
अन्य अवर सचिव | सदस्य |
| 3. | अनुभाग अधिकारी (कार्या.) | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समितियों की सिफारिश पर राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.) तथा अराजपत्रित कार्मिकों के लिए संयुक्त सचिव (रा.भा.) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो -

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो | अध्यक्ष |
| 2. | उप निदेशक
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो | सदस्य |
| 3. | उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 4. | प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति की सिफारिश पर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.), उप निदेशक व सहायक निदेशक के अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव व अन्य मामलों में निदेशक (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

- | | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | संयुक्त निदेशक | अध्यक्ष |
| | केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान | |
| 2. | उप निदेशक (मध्योत्तर) | सदस्य |
| | हिन्दी शिक्षण योजना | |
| 3. | उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) | सदस्य |
| | केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान | |
| 4. | उप निदेशक | सदस्य |
| | केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो | |
| 5. | प्रशासनिक अधिकारी | सदस्य-सचिव |
| | केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान | |

उपरोक्त समिति की सिफारिश पर निदेशक व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए सचिव (रा.भा.), उप निदेशक व सहायक निदेशक के अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव व अन्य मामलों में निदेशक (केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

हरिन्द्र कुमार
21/4/2018
(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
2. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
3. अवर सचिव (कार्यान्वयन-1)
4. अवर सचिव (सेवा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी (राजभाषा विभाग)
4. राजभाषा विभाग के सभी निदेशक / उप सचिव

प्रभास कुमार झा

सचिव

Prabhas Kumar Jha

SECRETARY

Tel. : 23438266 Telefax : 23438267

E-mail : secy-ol@nic.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

**GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001**

अ0शा0पत्र संख्या 15/42/2013-रा0भा0(सेवा)

दिनांक: 28 मार्च, 2017

प्रिय सचिव जी,

मैं आपका ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 19.10.2016 के समसंख्यंक अ.शा. पत्र (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008-आइसी का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जोकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है।

अवगत कराना है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पद नाम व वेतनमान की साम्यता संबंधी वित्त मंत्रालय के वर्ष 2008 के आदेश व राजभाषा विभाग के तत्कालीन सचिव (राभा) के दिनांक 19.10.2016 के अ.शा. पत्र का तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ कार्यालयों के भर्ती नियम (शैक्षणिक योग्यता आदि) भी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान होने चाहिए।

सादर,

अनुलग्नक : यथोपरि ।

शुभेच्छु,

ह0/-

(प्रभास कुमार झा)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।

✓ प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन आई सी- कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें ।

(प्रभास कुमार झा)

अनूप कुमार श्रीवास्तव

सचिव

Anoop Kumar Srivastava

SECRETARY

Tel. : 23438266 Telefax : 23438267

E-mail : secy-ol@nic.in



सत्यमेव जयते

स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अर्ध शासकीय पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा)

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2016

25 OCT 2016

प्रिय सचिव जी,

राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये अर्ध शासकीय पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा) दिनांक 02.05.2013 तथा निदेशक (रा.भा.) द्वारा दिनांक 04.06.2013 को जारी समसंख्यक शुद्धि पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संज्ञान लें। आपको विदित होगा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी, दिनांक 24 नवम्बर, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह आदेश किया था कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जो कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि व्यय विभाग का आदेश अभी तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू नहीं हुआ है, जिससे कि वहां कार्यरत राजभाषा अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

2. मैं आपका अति आभारी हूंगा यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

आपका

अनूप

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)



प्रभास कुमार झा

सचिव

Prabhas Kumar Jha

SECRETARY

Tel. : 23438266 Telefax : 23438267

E-mail : secy-ol@nic.in



भारत सरकार

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ0शा0पत्र संख्या 15/42/2013-रा0भा0(सेवा)

दिनांक: 15 नवम्बर, 2017

प्रिय 6 जिवजी

मैं आपका ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 02.05.2013, 19.10.2016 एवं 28.03.2017 के समसंख्यंक अ.शा. पत्र (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008-आइसी का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जोकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि व्यय विभाग का आदेश अभी तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू नहीं हुआ है, जिससे कि वहां कार्यरत राजभाषा अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

मैं आपका अति आभारी हूंगा यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

अनुलग्नक : यथोपरि।

प्रभास कुमार झा

शुभेच्छु

प्रभास कुमार झा

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

Speed Post

प्रभास कुमार झा
सचिव

Prabhas Kumar Jha

SECRETARY

Tel. : 23438266 Telefax : 23438267

E-mail : secy-ol@nic.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ0शा0पत्र संख्या 15/42/2013-रा0भा0(सेवा)

दिनांक: 28 मार्च, 2017

17 April 2017

प्रिय सचिव जी,

मैं आपका ध्यान राजभाषा विभाग के दिनांक 19.10.2016 के समसंख्यंक अ.शा. पत्र (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/1/2008-आइसी का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जोकि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है।

अवगत कराना है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पद नाम व वेतनमान की साम्यता संबंधी वित्त मंत्रालय के वर्ष 2008 के आदेश व राजभाषा विभाग के तत्कालीन सचिव (राभा) के दिनांक 19.10.2016 के अ.शा. पत्र का तात्पर्य यह है कि अधीनस्थ कार्यालयों के भर्ती नियम (शैक्षणिक योग्यता आदि) भी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान होने चाहिए।

सादर,

अनुलग्नक : यथोपरि।

शुभेच्छा,

ह0/-

(प्रभास कुमार झा)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

✓ प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन आई सी- कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

(प्रभास कुमार झा)

17 APR 2017

श्री शेखर बासु

सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग, कलकत्ता

17 APR 2017

अनूप कुमार श्रीवास्तव
सचिव
Anoop Kumar Srivastava
SECRETARY
Tel : 23438266 Telefax : 23438267
E-mail : secy-ol@nic.in



रूपिड प्लेस्ट

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय

१५/-
२३१/-

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
3rd FLOOR, N.D.C.C.-II BUILDING,
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अर्ध शासकीय पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा)

दिनांक: 19 अक्तूबर, 2016

25 OCT 2016

प्रिय सचिव जी,

राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये अर्ध शासकीय पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा) दिनांक 02.05.2013 तथा निदेशक (रा.भा.) द्वारा दिनांक 04.06.2013 को जारी समसंख्यक शुद्धि पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संज्ञान लें। आपको विदित होगा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी, दिनांक 24 नवम्बर, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह आदेश किया था कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जो कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि व्यय विभाग का आदेश अभी तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू नहीं हुआ है, जिससे कि वहां कार्यरत राजभाषा अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

2. मैं आपका अति आभारी हूंगा यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

आपका

अनूप

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)



2 1

अरुण कुमार जैन, भा.प्र.से.
सचिव
A. K. JAIN, I.A.S.
SECRETARY
Tel. : 24631573
Telefax : 24648559



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
लोक नायक भवन, खान मार्केट
LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET
नई दिल्ली-110003
NEW DELHI-110003

दिनांक: 02.05.2013

अर्ध शासकीय पत्र सं.15/42/2013-रा.भा.(सेवा)

प्रिय सचिव जी,

आपको विदित होगा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/2008-IC, दिनांक 24 फरवरी, 2008 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह आदेश किया था कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम एवं वेतनमान वही होगा जो कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि व्यय विभाग का आदेश अभी तक सभी अधीनस्थ कार्यालयों में लागू नहीं हुआ है, जिससे कि वहां कार्यरत राजभाषा अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।

मैं आपका अति आभारी हूंगा यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

आपका,

(ए.के.जैन)

का० ५०

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव.

प्रतिलिपि :-

1. मंत्रिमण्डल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली. P.B.No 28/2010 3/5/2013
2. गृह मंत्री जी के निजी सचिव. } P.B.No 1/2012
3. गृह राज्य मंत्री(एस) के निजी सचिव } 3/5/2013

(2)
(1)

F.No.1/2008-IC
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Implementation Cell

New Delhi, dated the 24th November, 2008.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revised pay scales for Official Language posts in various subordinate offices of the Central Government.

Consequent upon the implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission, this Department has received queries from many Ministries/Departments regarding the revised pay structure applicable in the case of Official Language posts existing in subordinate offices of the Central Government. In this connection, it is clarified that in accordance with the recommendations of the Sixth Central Pay Commission as accepted by the Government, similarly designated posts existing outside the Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) cadre in various subordinate offices of the Central Government have been granted the same pay scales as those granted to CSOLS. The Government has notified the following revised pay structure for the Official language cadre belonging to CSOLS: -

(in Rs.)

Designation	Recommended pay scale	Corresponding Pay Band & Grade Pay	
		Pay Band	Grade Pay
Jr. Translator	6500-10500	PB-2	4200
Sr. Translator	7450-11500	PB-2	4600
Asstt. Director (OL)	8000-13500	PB-3	5400
Dy. Director (OL)	10000-13500	PB-3	6100
Jt. Director (OL)	12000-16500	PB-3	6600
Director (OL)	14300-18300	PB-3	7600

2. Accordingly, w.e.f. 1.1.2006, all Ministries/Departments etc., are required to grant the revised pay scales approved for various posts in the CSOLS to similarly designated Official Language posts existing in their subordinate offices.

(ALOK SAXENA)
DIRECTOR (IC)

To: All Ministries/Departments of Government of India as per standard mailing list.

3

2

E.No.1/2008-IC
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Implementation Cell

New Delhi, dated the 27th November, 2008.

CORRIGENDUM

Subject: Revised pay scales for Official Language posts in various subordinate offices of the Central Government.

in partial modification of this Department's O.M. of even number dated 24th November, 2008 (copy enclosed), the table in para 1 of the said O.M. may be read as under: -

Designation	Recommended pay scale	(in Rs.)	
		Corresponding Band	Pay Grade
Jr. Translator	6500-10500	PB-2	4200
Sr. Translator	7450-11500	PB-2	4600
Asstt. Director (OL)	8000-13500	PB-3	5400
Dy. Director (OL)	10000-15200	PB-3	6600
Jt. Director (OL)	12000-16500	PB-3	7600
Director (OL)	14300-18300	PB-4	8700

2. All Ministries/Departments etc., are required to grant the revised pay structure as indicated in the table above, which has been approved for various posts in the CSOLS, to similarly designated Official Language posts existing in their subordinate offices.

(ALOK SAXENA)
DIRECTOR (IC)

To: All Ministries/Departments of Government of India as per standard mailing list.

Copy to:

संख्या.12024/16/2011-रा.भा./ (का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक: मई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में 10 से 50 तक के सदस्य कार्यालयों वाली समिति को रूपए 3000/- प्रति बैठक (रु0 6000/- वार्षिक), 51 से 100 सदस्यों वाली समितियों को रूपए 5000/- प्रति बैठक (रु0 10,000/- वार्षिक) और 101 से अधिक सदस्य संख्या वाली समिति को रूपए 6000/- प्रति बैठक (रु0 12,000/- वार्षिक) करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन समितियों की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन होने पर इसकी सूचना राजभाषा विभाग को दी जाए ताकि तदनुसार उनकी प्रतिपूर्ति की राशि में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकें। वर्तमान में गठित समितियों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर बैठक पर व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी:-

(1) निम्नलिखित 163 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपए 6000/- प्रतिवर्ष (रूपए 3000/- प्रति बैठक)

1.	दुलियाजान	36.	तिरुवल्ला	71.	अनुगोल	106.	भरुच	141.	नेपानगर
2.	बोंगाईगाँव	37.	कायमकुलम	72.	पाराद्वीप	107.	जागीरोड-मोरीगाँव	142.	भिलाई
3.	कोहिमा	38.	वडगरा	73.	केन्दुझर	108.	देवास	143.	जगदलपुर
4.	डिगबोई	39.	कावरत्ती	74.	अंबाला	109.	नीमच	144.	अम्बिकापुर
5.	नलबाडी	40.	ईरोड	75.	कुरुक्षेत्र	110.	बालाघाट	145.	बहरोड
6.	नगाँव	41.	तिरुनलवेली	76.	डलहौजी	111.	छत्तरपुर	146.	अजमेर
7.	तेजपुर	42.	कारैकुडी	77.	धर्मशाला	112.	सतना	147.	आबू पर्वत
8.	नाजिरा	43.	कडलूर	78.	भटिण्डा	113.	होशंगाबाद	148.	भरतपुर

9.	धुबडी	44.	तंजावुर	79.	मण्डी	114.	रायसेन	149.	विजयपुर- जिला गुना
10.	जोरहाट	45.	कारैक्काल	80.	रेवाडी	115.	पिपरिया	150.	हनुमानगढ
11.	भद्रावती	46.	विरुदुनगर	81.	रोहतक	116.	शाजापुर	151.	मुजफ्फरन
12.	बागलकोट	47.	विल्लुपुरम	82.	हिसार	117.	सीहोर	152.	सहारनपुर
13.	बेल्लारी	48.	बर्नपुर- आसनसोल	83.	लेह-लदाख	118.	झाबुआ	153.	शाहजहाँपुर
14.	बिजापुर	49.	शांतिनिकेतन	84.	अमरावती	119.	धार	154.	बुलंदशहर
15.	दावणगेरे	50.	बहरमपुर	85.	चन्द्रपुर	120.	छिन्दवाडा	155.	अलीगढ
16.	गुलबर्गा	51.	मालदा	86.	भंडारा	121.	इटारसी	156.	मुरादाबाद
17.	हासन	52.	हल्दिया	87.	सोलापुर	122.	राजनांदगांव	157.	रामपुर
18.	कोलार	53.	बर्धमान	88.	सतारा	123.	बिलासपुर	158.	रायबरेली
19.	कारवार	54.	दुर्गापुर	89.	अहमदनगर	124.	श्रीगंगानगर	159.	शक्तिनगर
20.	मडिकेरी	55.	खडगपुर	90.	जलगांव	125.	अलवर	160.	हल्द्वानी
21.	मण्डया	56.	कलिम्पोंग	91.	भुसावल	126.	आबू रोड	161.	टिहरी
22.	पुत्तूर	57.	फरक्का	92.	रत्नागिरी	127.	बीकानेर	162.	हरिद्वार
23.	अन्नतपुर	58.	जलपाईगुडी	93.	बडोदरा	128.	जैसलमेर	163.	मडगांव
24.	आदिलाबाद	59.	दार्जिलिंग	94.	सूरत	129.	भीलवाडा	164.	
25.	एलूरू	60.	कटिहार	95.	राजकोट	130.	रतलाम	165.	
26.	गुन्तकल	61.	भागलपुर	96.	वलसाड	131.	शिवपुरी	166.	
27.	कर्नूल	62.	बरौनी- बेगूसराय	97.	वेरावल	132.	रीवा	167.	
28.	खम्मम	63.	गया	98.	गांधीधाम	133.	मेहसाणा	168.	
29.	नेल्लूर	64.	दरभंगा	99.	गोधरा	134.	खण्डवा	169.	
30.	निजामाबाद	65.	धनबाद	100.	भुज	135.	पंचमढी	170.	
31.	तिरुपति	66.	बोकारो	101.	भावनगर	136.	बुरहानपुर	171.	
32.	वारंगल	67.	हजारीबाग	102.	दाहोद	137.	विदिशा	172.	
33.	मेहबूबनगर	68.	भुवनेश्वर- प्रथम	103.	परभणी	138.	मण्डीद्वीप	173.	
34.	कासरगोड	69.	भुवनेश्वर- द्वितीय	104.	नांदेड	139.	खरगोन	174.	
35.	पय्यनूर	70.	सम्बलपुर	105.	वर्धा	140.	उज्जैन	175.	

(2) निम्नलिखित 78 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपर 10000/- प्रतिवर्ष (रूपर 5000/- प्रति बैठक) :-

1.	गन्तोक	17.	कोल्लम	33.	उटटी-कूनूर	49.	करनाल	65.	कोल्हापुर
2.	आईजोल	18.	आलप्पुषा	34.	नागरकोविल	50.	गुडगाँव	66.	नासिक
3.	शिलचर	19.	कोट्टयम	35.	वेल्लूर	51.	जालंधर	67.	अकोला
4.	दिमापुर	20.	तृशूर	36.	सिलीगुडी	52.	दिल्ली(दक्षिण)	68.	जामनगर
5.	ईटानगर	21.	पालक्काड	37.	पटना	53.	पटियाला	69.	सिलवासा
6.	डिबुगढ	22.	कालिकट	38.	मुजफ्फरपुर	54.	पानीपत	70.	दमण
7.	मणिपुर	23.	कण्णूर	39.	राँची	55.	फरीदाबाद	71.	गोवा- दाक्षिण
8.	बेलगाम	24.	सेलम	40.	जमशेदपुर	56.	लुधियाणा	72.	गोवा- उत्तर
9.	हुबली	25.	तिरुच्चिराप्पल्ली	41.	सुनाबेडा	57.	सोनीपत	73.	दीव
10.	मैसूर	26.	मदुरै	42.	पुरी	58.	मुंबई	74.	गाँधीनगर
11.	मंगलूर	27.	कोयंबतूर	43.	राउरकेला	59.	नवी मुंबई	75.	कोटा
12.	गुण्टूर	28.	पुदुच्चेरी	44.	पोर्ट-ब्लेयर	60.	मुंबई-उत्तर	76.	इन्दौर
13.	विजयवाडा	29.	तूतीकोरिन	45.	अमृतसर	61.	औरंगाबाद	77.	ग्वालियर
14.	सागर	30.	उदयपुर	46.	मेरठ	62.	गोरखपुर	78.	रायचूर
15.	रायपुर	31.	गाजियाबाद	47.	आगरा	63.	झाँसी		
16.	जोधपुर	32.	नोएडा	48.	मथुरा	64.	इज्जतनगर- बरेली		

(3) निम्नलिखित 26 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को रूपर 12000/- प्रतिवर्ष (रूपर 6000/- प्रति बैठक) :-

1.	गुवाहाटी	8.	कोच्चिन	15.	शिमला	22.	इलाहाबाद	29.	
2.	शिलांग	9.	चेन्नै	16.	पुणे	23.	कानपुर	30.	
3.	अगरतला	10.	कोलकाता	17.	अहमदाबाद	24.	वाराणसी	31.	
4.	बैंगलूर	11.	कटक	18.	भोपाल	25.	देहरादून	32.	
5.	हैदराबाद	12.	चंडीगढ	19.	जयपुर	26.	नागपुर	33.	
6.	विशाखापट्टणम	13.	जम्मू	20.	जबलपुर	27.		34.	
7.	तिरुवनन्तपुरम	14.	दिल्ली(मध्य)	21.	लखनऊ	28.		35.	

2, यह स्वीकृति गृह मंत्रालय (वित्त-॥ शाखा) की सहमति से उनकी दिनांक 23-01-2012 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या-सी.एफ.113931/ए.एस एण्ड एफ ए (एच) के अंतर्गत जारी की जा रही है।

आपका,

(जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक (कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हट्मेट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. वित्त-॥ शाखा, गृह मंत्रालय।
3. लेखा-। अनुभाग, गृह मंत्रालय।
4. वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय।
5. राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 23.02.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नराकास की बैठकों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि संबंधित नगर स्थित कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच उपलब्ध हो । इस मंच से यह अपेक्षा की जाती है कि नराकास की बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली चर्चा हो और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की जानकारी का आदान-प्रदान हो सके । साथ ही जिन कार्यालयों को राजभाषा के प्रयोग में कठिनाई हो रही हो उनकी कठिनाइयों के समाधान का भी हल निकाला जा सके । किंतु विगत कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि समितियों की बैठक अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं हो रही है । कई समितियों की बैठकें तो अब औपचारिक आयोजन जैसी रह गई हैं ।

अतः नराकास की बैठक के आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :-

- (1) नराकास की बैठकों का आयोजन राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर होना अपेक्षित है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि नराकास की बैठकों की कार्य सूची में सभी अपेक्षित मदें शामिल हों। यदि कार्यसूची विधिवत रूप में नहीं है, तो दोबारा बनवा लें।
- (2) नई समितियों का गठन संचालन, उद्देश्य, संरचना व अन्य प्रासंगिक क्रियात्मक पक्ष से संबंधित राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कुछ संशोधन किए गए हैं । इसकी प्रति संलग्न है ।
- (3) दिशा-निर्देशों में मुख्य संशोधन निम्नांकित हैं:-
 - (i) नराकास की प्रत्येक बैठक से पूर्व सदस्य सचिव सभी सदस्य कार्यालयों से उनकी समस्याओं पर चर्चा करें और उनसे सुझाव मांगें। प्राप्त सुझावों पर बैठक में चर्चा जरूर हो ।

- (ii) सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नई पहल करने वाले कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय की ओर से बैठक के दौरान, उनके द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु की गई नई पहल पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया जाए ताकि अन्य कार्यालय भी उसका अनुकरण कर सकें। साथ ही, अपेक्षा के अनुरूप कार्य निष्पादन न कर पाने वाले कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार के लिए कार्य-योजना तैयार की जाए तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई / कार्य में प्रगति की समीक्षा अगली बैठक के दौरान की जाए।

कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नराकास के सदस्य सचिवों को अनुदेश जारी करें।


(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (का.)

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु:

राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय -

1. कोलकाता 2. गुवाहाटी 3. बेंगलुरु 4. गाजियाबाद
5. मुंबई 6. कोच्चि 7. भोपाल 8. नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उपर्युक्त निर्देश अपने क्षेत्र में आने वाली नराकास के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों को ई-मेल से भिजवा दें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन, संचालन, उद्देश्य, संरचना व अन्य प्रासंगिक क्रियात्मक पक्ष

- I (i) **गठन:** राजभाषा विभाग के दिनांक 22-11-1976 के का.जा. सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(क-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालय हों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार के सचिव, राजभाषा विभाग की अनुमति से किया जाता है।
- (ii) **उद्देश्य:** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को बनाने का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर कार्यालयों/उपक्रमों/ बैंकों आदि के अधिकारी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी का आदान-प्रदान कर अपनी अपनी उपलब्धि स्तर में सुधार ला सकते हैं।
- (iii) **अध्यक्षता:** इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। समिति के गठन का प्रस्ताव भेजते समय, प्रस्तावित अध्यक्ष अपनी लिखित सहमति विभाग को भेजते हैं जिस पर सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन के पश्चात उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- (iv) **सदस्य सचिव:** समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष अपने कार्यालय अथवा किसी अन्य सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य सचिव मनोनीत करते हैं। समिति के कार्यकलाप, अध्यक्ष की अनुमति से, सदस्य सचिव द्वारा किए जाते हैं।
- (v) **बैठकें:** वर्ष में समिति की दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रथम बैठक गठन के दो माह के अंदर व दूसरी उसके छः माह पश्चात की जानी अपेक्षित है। समिति की बैठकों के लिए माहों का निर्धारण राजभाषा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। बैठकों के आयोजन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को अवश्य दी जाए ताकि उनमें तैनात अधिकारी बैठकों में विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।

- (vi) **प्रतिनिधित्व :** समिति की बैठकों में नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं भाग लेना अपेक्षित हैं क्योंकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय) / क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी भी इन बैठकों में भाग लेते हैं। इनके अलावा इन बैठकों में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अधिकारियों तथा नगर स्थित केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की शाखाओं में से किसी एक प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाए।

जातव्य है कि राजभाषा हिंदी के कार्य को विशेष महत्व देने और कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उल्लेख कार्मिकों के वार्षिक एपीएआर के पेन पिक्चर संबंधी कॉलम में किए जाने का प्रावधान है।

- (vii) **समितियों का वर्गीकरण एवं बैठकों हेतु प्रतिपूर्ति राशि :** सदस्य कार्यालयों की संख्या के आधार पर समितियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 10-50 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए 3000/- प्रति बैठक, 51-100 सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए 5000/- प्रति बैठक, और 101 या इससे अधिक सदस्य कार्यालयों वाली समितियों को रुपए 6000/- प्रति बैठक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं उपक्रमों के लिए पृथक रूप से गठित समितियों को कोई व्यय राशि प्रदान नहीं की जाती । समिति की बैठक पर हुए व्यय का एक उपयोग प्रमाण-पत्र(राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में) समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से, राजभाषा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को बैठक के आयोजन के 15 दिन के अंदर भेजा जाना चाहिए।

- (viii) **सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली समिति को पुरस्कार:** राजभाषा विभाग के द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है ।

II (1) नराकास की अध्यक्षता-परिवर्तन के प्रस्ताव की प्रक्रिया

- (i) राजभाषा विभाग के पूर्वानुमोदन से ही अध्यक्षता में परिवर्तन सम्भव होगा।
(ii) विभाग को अध्यक्षता में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।
(iii) प्रस्तावित अध्यक्ष की लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ भेजी जाएगी।

(iv) नराकास की अध्यक्षता का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानीय स्तर पर पारस्परिक रजामन्दी से परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

III न.रा.का.स. की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट :-

(i) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन** - बैठकें नियमित रूप से राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कैलेंडर माह में प्रतिवर्ष दो बार आयोजित करना और बैठक में सदस्य कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।

(ii) **वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा** - राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिंदी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(iii) **तिमाही पत्राचार की समीक्षा** - सदस्य कार्यालयों की हिंदी की पिछली दो तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत रूप से समीक्षा करना ।

सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर नई पहल करने वाले कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय की ओर से बैठक के दौरान, उनके द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु की गई नई पहल पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया जाए ताकि अन्य कार्यालय भी उसका अनुकरण कर सकें । साथ ही, अपेक्षा के अनुरूप कार्य निष्पादन न कर पाने वाले कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में सुधार के लिए कार्य-योजना तैयार की जाए तथा उनके द्वारा की गई कार्रवाई / कार्य में प्रगति की समीक्षा अगली बैठक के दौरान की जाए ।

(iv) **नराकास की प्रत्येक बैठक से पूर्व सदस्य सचिव, सदस्य कार्यालयों से उनकी समस्याओं/कठिनाईयों पर रिपोर्ट मंगवाए।** बैठक के दौरान इन समस्याओं/कठिनाईयों को दूर करने के लिए निर्णय लिए जाएं और निर्णयों को लागू करने की कार्य योजना बनाई जाए।

(v) **सूचना प्रबंधन प्रणाली** - राजभाषा विभाग की वेबसाइट में नराकास की बैठकों संबंधी विवरण यथा समय अपलोड करना तथा सूचनाएं अद्यतित रखना ।

(vi) **प्रशिक्षण को प्राथमिकता** - हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कराना ।

(vii) **प्रत्येक सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति संबंधी मद स्थायी रूप से शामिल करवाना ।**

- (viii) **सूचना प्रौद्योगिकी** - कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्यालय में यूनिकोड का उपयोग सुनिश्चित करवाना एवं सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले सिस्टम साफ्टवेयर में हिंदी में कार्य करने की सुविधा एवं उसका प्रयोग सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र में हुई नई प्रगति व नए आई.टी.टूल्स के बारे में सदस्य कार्यालयों को अवगत कराना।
- (ix) **वेबसाइट को संवर्धित व द्विभाषीय बनाना** - सदस्य-कार्यालयों की वेबसाइट को द्विभाषीय बनवाने और उसे अद्यतित रखने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- (x) **सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण** - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित तथा उपलब्ध कराए गए ई-टूल्स/साफ्टवेयरों के बारे में जागरूकता पैदा करके अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिलवाना।
- (xi) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करना ।**
- (xii) **पदों का सृजन, रिक्तियों को भरना व संवर्ग का पिरामिडीकल ढांचा सुनिश्चित करवाना** - सदस्य कार्यालयों में हिंदी कार्य के निष्पादन के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन करवाना, पिरामिडीकल ढांचा सुनिश्चित करवाना तथा रिक्त पद भरवाना ।
- (xiii) **राजभाषा नियम 11 का अनुपालन** - राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के कार्यालय से संबंधित मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रजिस्टर, नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में मुद्रण अथवा उत्कीर्ण सुनिश्चित करवाना ।
- (xiv) **हिंदी टंककों और आशुलिपिकों की तैनाती** - हिंदी टंककों और आशुलिपिकों की हिंदी जानने वाले अधिकारियों के साथ तैनाती सुनिश्चित करवाना।
- (xv) **संगोष्ठियां** - हिंदी से संबंधित सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करना तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों आदि को पुरस्कार/ प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।
- (xvi) **पत्रिकाओं का प्रकाशन** - नराकास स्तर पर पत्रिका प्रकाशन करना तथा सदस्य-कार्यालयों को हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित करना और प्रकाशित करने वाले सदस्य कार्यालयों को सम्मानित करना।

अनुरोध है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार समिति की बैठकों की कार्यवाही चलाई जाए। इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए राजभाषा विभाग (मुख्यालय), नई दिल्ली अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

दिनांक 14 जुलाई 2016

संकल्प

संख्या 11034/48/2014- रा भा(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च, 2015 के का. जा. 11034/48/2014-रा.भा (नीति) के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2016-17 से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की श्रेणी में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

- i नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। 'क,' 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को 2-2 शील्ड प्रदान की जाएगी ।
- ii पुरस्कार विजेता नराकास के सदस्य सचिव को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।


(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।



(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 19.06.2018

कार्यालय आपन

विषय- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर होने वाले खर्च के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशि में बढ़ोतरी करके निम्नानुसार स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

नगराकास के सदस्य कार्यालयों की सं.	प्रति बैठक प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि	वर्ष में दो बैठकों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि
10-50 तक	4500 रु.	9,000 रु.
51-100 तक	6250 रु.	12,500 रु.
101 से अधिक	7500 रु.	15,000 रु.

- केवल बैंकों तथा केवल उपक्रमों की नगराकासों को विगत की भांति बैठकों पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी।
- यह स्वीकृति आंतरिक वित्त-2, गृह मंत्रालय की दिनांक 11-06-2018 की डायरी सं.- 116/रा.भा.II/18/ S.S & F.A (Home) पर दी गई सहमति के अनुसार जारी की जा रही है।
- उक्त दरें 01 जुलाई 2018 तथा इसके बाद होने वाली बैठकों के लिए प्रभावी होंगी।

संदीप
(संदीप आर्य)
19/06/18

निदेशक (कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि:-

- वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1, हट्मेटस, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110003.
- आंतरिक वित्त-2, गृह मंत्रालय ।
- वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय ।
- राजभाषा विभाग के सभी (08) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

फा.सं.-12027/03/2017-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 26.09.2018

कार्यालय जापन

विषय : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नराकासों के कुछ विशेष कार्य के संबंध में ।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग द्वारा अब नराकासों की बैठक पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर भी स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि कई स्थितियों में अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है।

2. नराकासों के कुछ विशेष कार्य, उदाहरणार्थ: विकलांगों के लिए किए जाने वाले कार्यों, मेडिकल साइंस, रोबोटिक्स इत्यादि में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में नराकासे विचार कर सकती है ।

संदीप
26/9/18
(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष : 011-23438143

प्रति:

1. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कृपया अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त नराकासों को इस संबंध में सूचित करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव ।

निजी सचिव
ईस राजभाषा विभाग वेबसाइट
पर उपलब्ध है ।
27/9/2018

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 19.12.2018

कार्यालय जापन

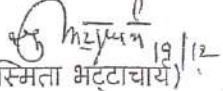
विषय:- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से राजभाषा नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश ।

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नराकास के सदस्य कार्यालयों के पंजीकरण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति, कार्यालय की श्रेणी निर्धारण आदि के संबंध में दिशानिर्देश इस प्रकार से हैं-

1. यदि एक ही नगर में एक कार्यालय की बहुत सी शाखाएं होती हैं जहां पर कार्मिकों की संख्या 8 या 8 से अधिक है, को सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए किन्तु कुल नराकासों की संख्या यथावत बनी रहेगी । जहां पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है अर्थात्, किसी जिले में जहां नराकास गठन के लिए 10 से कम सदस्य कार्यालय हो, वहां 8 से कम कार्मिक होने पर भी वैसे कार्यालय/बैंक/उपक्रम, जिनके अधिकारी वरिष्ठ हों, को नराकास का सदस्य कार्यालय बनाना प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अनिवार्य होगा ।
2. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्य कार्यालयों (जहां पर कार्मिकों की संख्या 8 या 8 से अधिक है) का पंजीकरण 15 दिन में पूर्ण हो तथा पंजीकृत कार्यालय तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजे।
3. विभाग द्वारा नराकासों के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के साथ सलग्न 16/10/2017 को इस विषय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त (अनुलग्नक 2 की पृ.सं.-2) की मद संख्या 12 में आंशिक संशोधन करते हुए पंजीकरण के लिए किसी भी स्तर के कार्यालय के स्थान पर कम से कम 8 स्टाफ संख्या होना अनिवार्य कर दिया गया है।
4. बोर्डों आदि के मामले में उनके मुख्यालय को छोड़कर शेष सभी अधीनस्थ कार्यालय (Offices) की श्रेणी में आएंगे । आकाशवाणी, दूरदर्शन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यालयों की श्रेणी में पंजीकरण करवाएंगे । भारतीय विमान पतन प्राधिकरण उपक्रमों की श्रेणी में आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, सीएसआईआर (CSIR) तथा आईसीएआर(ICAR) के अधीनस्थ कार्यालय Office की श्रेणी में पंजीकरण करवाएंगे ।

0/C

5. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में रखा गया है और इसी श्रेणी में उन्हें क्षेत्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2018-19 से क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा।


(सुस्मिता भट्टाचार्य) 19/12

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष:- 011-23438143

प्रति:

1. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कृपया अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त नराकासों को इस संबंध में सूचित करें।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

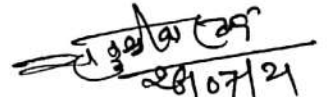
एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 24.07.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय- बैंकों की नराकास में सदस्य कार्यालय के रूप में बीमा कंपनियों को शामिल किए जाने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (न.रा.का.स.) अहम भूमिका निभाती हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बैंक व उपक्रम के लिए अलग-अलग नराकास का गठन किया जाता है तथा सदस्य कार्यालय के रूप में बैंकों की नराकास में केवल बैंक व उपक्रमों की नराकास में केवल उपक्रम तथा कार्यालय की नराकास में कार्यालय, बैंक व उपक्रम तीनों को शामिल किया जाता है।

2. राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अनुरोध है कि बैंकों की घटती संख्या तथा बीमा कंपनी की बैंकों जैसी कार्य प्रकृति को देखते हुए अब बैंक की नराकास में बैंकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों (जहां ऐसा करना आवश्यक हो) को भी शामिल किया जा सकता है ।


(राजेश श्रीवास्तव)

उप निदेशक (का.)

दूरभाष- 011-23438143

प्रति:-

1. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कार्यालय प्रमुख, जहां आवश्यक हो, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें ।

सं.01/01/2020-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 7 जनवरी, 2021

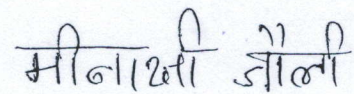
कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की संवर्ग समीक्षा (Cadre Review) - भागीदार मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के पदों की संख्या निर्धारित मानदंड के अनुसार होने संबंधी सूचना मंगाए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भागीदार मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाना है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के निदेश के अनुसरण में, सीएसओएलएस की संवर्ग समीक्षा विचाराधीन है। संवर्ग समीक्षा में, संवर्ग को दक्षतापूर्ण ढंग से और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अन्य प्रासंगिक विषयों के साथ-साथ इस पहलू को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है कि संवर्ग के भागीदार कार्यालयों में हिंदी पदों की स्वीकृत संख्या वहां कार्यरत अनुसचिवीय (Ministerial) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में निर्धारित मानदंड (प्रति संलग्न - अनुलग्नक-1) के अनुसार है या नहीं। अपेक्षित सूचना संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-2) में उपलब्ध कराई जानी है।

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि हिंदी पदों संबंधी मानदंड न्यूनतम अपेक्षित संख्या के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी कार्यालय में अनुवाद एवं संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में, राजभाषा के समुचित प्रयोग की प्रगति की निगरानी संबंधी कार्य की मात्रा के हिसाब से वर्तमान में स्वीकृत हिंदी पद पर्याप्त नहीं हैं तो उसका उल्लेख करते हुए औचित्य के साथ अपेक्षित पदों की मांग-सूचना संवर्ग नियंत्रक, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। हिंदी पदों की अतिरिक्त अपेक्षित संख्या का आकलन करते समय राजभाषा संबंधी कार्यभार के अनुपात में पदों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भावी पांच वर्षों का पूर्वानुमान किया जाना आवश्यक है ताकि अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य निरंतर सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।

अतः सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त मदों से संबंधित सूचना अति तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि मानदंड एवं कार्य की मात्रा के आधार पर अपेक्षित हिंदी पदों का व्यावहारिक मूल्यांकन करके समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सके और इसे संवर्ग समीक्षा के प्रस्ताव में शामिल किया जा सके।



(डॉ मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2343 8130

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संयुक्त सचिव, प्रशासन (संलग्न सूची के अनुसार)

कांज्ञा सं० 13035/3/95-रा०भा० (नीति एवं समन्वय), दिनांक 22.7.2004

विषय: केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक पुनः निर्धारित करना।

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहली बार हिंदी पदों के मानक राजभाषा विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80-रा०भा०(ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। ये मानक संशोधित करके दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं० 13053/3/88-रा०भा० (ग) द्वारा परिचालित किए गए थे। न्यूनतम हिंदी पदों के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत पर बनाने पर विचार किया गया ताकि अनुवाद के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पद सृजित किए जा सकें। तदनुसार, अनुवाद और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए जाते हैं:-

1.1 मंत्रालयों/विभागों के लिए

- (i) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग में, जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।
- (ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात् उप-निदेशक (राजभाषा)। राजभाषा विभाग के दिनांक 13.4.1987 के कांज्ञा सं० 13017/1/81-रा०भा०(ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर 12000-16500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (इसी वेतनमान में पहले निदेशक) का पद बनाया जा सकता है।
- (iii) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक कनिष्ठ अनुवादक, 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 कनिष्ठ अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

1.2 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए

- (i) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी [सहायक निदेशक, (राजभाषा)]।
- (ii) (क) 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों कार्यालयों को छोड़कर)-18 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो-कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए

- (1) 18 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक। 76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक। 126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक। 175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए तीन कनिष्ठ अनुवादक तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।
- (2) रक्षा सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, यही मानक लागू होंगे।
- (3) 'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों तो एक हिंदी टाइपिस्ट पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे।

1.3 मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अन्य पद:-

- (i) अनुवाद के अलावा अन्य कई प्रकार का कार्य ऐसा है जो राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जैसे आदेशों का परिचालन करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना, कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए नामित करना, कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि। मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में इस कार्य के लिए निम्नलिखित पदों की अनुशंसा की जाती है:-

- (क) अवर श्रेणी लिपिक (हिंदी टाइपिस्ट) का एक पद यह पद पहले से अस्तित्व में है जैसाकि राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.1989 के कांज्ञा सं० 13035/3/88-रा०भा०(ग) में उल्लिखित है।

(ख) सहायक का एक पद, उन मंत्रालयों/विभागों में तथा सहायक या उसके समकक्ष पद उन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में, जहां अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या (ग्रुप 'डी' को छोड़कर) कम से कम 310 है।

(ii) यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहां उक्त कार्यों के लिए सहायक या समकक्ष पद पहले से स्वीकृत है, वहां अतिरिक्त पद अनुशंसित न किया जाए।

2. 'अनुसचिवीय कर्मचारियों, से सभी कर्मचारियों से (श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों को छोड़कर) है जिनके पद लिपिक वर्गीय कार्यों के लिए मंजूर किए गए हैं भले ही वे तकनीकी या वैज्ञानिक कर्मचारी या अधिकारी हों। इसके अतिरिक्त जिन तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुसचिवीय कार्य (जैसे टिप्पण, प्रारूपण, पत्र लेखन, लेखाकरण आदि) सौंपा गया है उनको भी हिंदी पदों की गणना में शामिल किया जाए।

3. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में हिंदी पदों की जो संख्या निर्धारित की गई है वह न्यूनतम है ताकि इनकी व्यवस्था, बिना कार्य अध्ययन के, केवल कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या और कार्यालय किस क्षेत्र में स्थित है, के आधार पर की जाए ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर न पड़े। काम की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्यालय में इससे अधिक पदों का यदि औचित्य हो तो उनका सृजन कार्य अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है।

4. कार्य अध्ययन करते समय उसी कार्य को ही ध्यान में न लिया जाए जो इस समय किया जा रहा है बल्कि वे कार्य की सारी मढ़ें हिसाब में ली जाएं जो राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम आदि की अपेक्षाओं के अनुसार हिंदी में या दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में किए जाने जरूरी हैं। कहना न होगा कि कार्य अध्ययन कार्यभार की मात्रा का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करके ही किया जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यालयों में अनुवादक आदि के पद पूर्व के मानकों के आधार पर पहले से सृजित किए जा चुके हैं उन्हें इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित संख्या से वे अधिक हैं। तथापि, कोई भी अतिरिक्त मांग मंत्रालय/विभाग तथा उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में समग्र रूप से फालतू पाए जाने वाले पदों से समायोजित की जाएं।

6. केंद्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवाद कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यक पदों का सृजन किया जाना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम पदों का कोई मानदंड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानक और राजभाषा विभाग के दिनांक 13 अप्रैल, 1987 के कांज्ञा सं० 13017/1/81-राभा(ग) (प्रति संलग्न) में पहले से निर्धारित अनुवाद संबंधी कार्यभार के मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

8. यह कार्यालय ज्ञापन निदेशक, (कर्मचारी निरीक्षण एकक) वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 26.12.2003 की अन्तर्विभागीय टिप्पणी सं० 526/एस०आई०/2003 में दिए गए अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रोफार्मा

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय का नाम/पता ई-मेल	स्वीकृत हिंदी पदों (निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी) की संख्या	अनुसचिवीय (Ministerial) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या	क्या हिंदी के पद निर्धारित मानदंडों के अनुसार सृजित किए गए हैं (हां/नहीं)	अभ्युक्ति*

* कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त हिंदी पदों की अपेक्षा को वर्तमान एवं भावी 5 वर्षों के पूर्वानुमान के आधार पर प्रस्तुत किया जाए।